राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का २३वां दिवस [संख्या १५

गुरुवार, दिनांक १७ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, सिंचाई, गृह, स्वायत्त शासन, खाद्य एवं रसद, सहकारी, आबकारी एवं कर जन सम्पर्क, यातायात तथा पंचायत-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

कोटपुतली डिस्पेन्सरी में बैड्स, दवाइयों एवं ऑपरेशन के औजारों आदि की उपयुक्त व्यवस्था

४३४. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कोटपुतली की डिस्पेन्सरियों में रोगी संख्या जयपुर जिलों में जयपुर शहर के अलावा अन्य सब ही जगहों से अधिक है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का डिस्पेन्सरी में बैड्स और दवाइयों की वृद्धि करने व इसे अच्छा अस्पताल बनाने का विचार है ?

(ग) क्या सरकार के ध्यान में है कि इस डिस्पेन्सरी में ऑपरेशन के औजार बहुत कम हैं और स्थान की भी कमी है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

श्री रामकरणसिंह : यह आपने जो भाग (दो) व (तीन) का जवाब दिया, यह आपकी अपनी पर्सनल जानकारी के आधार पर दिया है या किसी और जानकारी के आधार पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों तरीके जानकारी के हैं और दोनों के आधार पर दिया है।

श्री रामकरणसिंह : आपने खुद ने पांच तारीख को वहां आकर देखा है और खुद ने यह अनुभव किया है और कहा है कि वास्तव में यहां जगह बहुत कम है और इस तरह के अस्पतालों की बिल्डिंग और बैड्स जो हैं उनका दूसरी जगह होना आवश्यक है और आज जवाब में यह बता रहे हैं, तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं या उस वक्त किसी चीज से प्रभावित होकर आपने कुछ कह दिया था ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है । आपका सवाल यह है कि रोगी की संख्या अन्य सब जगहों से अधिक है जयपुर को छोड़कर, तो इसका मैंने जवाब दिया, 'नहीं,' फिर आपने पूछा बैड्स और दवाइयों की वृद्धि करने के विचार के बारे में, तो इसका यही जवाब होता । वहां इस समय व्यवस्था अच्छी है । बदलने-बढ़ाने का अभी सवाल नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि ६ तारीख को आप कोटपूतली पधारे थे, मैडिकल ऑफिसर भी वहां थे, तो मैंने उनके सामने आपको बताया था, उन्होंने भी उसका समर्थन किया था कि वहां उस दिन टिंक्चर एक बूंद भी नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: टिंचर के बारे में तो याद नहीं, दवाइयों की व्यवस्था तो सब है ।

(हंसी)

श्री रामकरणसिंह : उस समय मैडिकल ऑफिसर भी मौजूद थे, दूसरे डॉक्टर भी मौजूद थे, दूसरे अन्य कार्यकर्त्ता मौजूद थे हैड मास्टर साहब भी मौजूद थे, उनको जब मैंने टिंक्चर के बारे में बताया तो आपके मैडिकल ऑफिसर ने भी हां किया और आपकी जानकारी में भी यह बात लाई गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले जहां कोई ५००) की सहायता दी जाती थी वहां अब १५७०) रुपये इन्स्ट्रूमेन्ट्स आदि के लिये, बल्कि ज्यादा दिये हैं । इसके बाद भी और कोई दवा की बात होगी तो देख लेंगे ।

श्री रामकरणसिंह : मैंने तो अर्ज किया था आपकी जानकारी में है, ६ तारीख की बात है । मैडिकल ऑफिसर ने आपको बताया था । अब पर्सनल जानकारी के आधार पर आपकी इतनी नोलेज रहते हुए भी अगर क्वेश्चन का जवाब इस तरह से आ रहा है और आप ही खुद अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं, यह कहां तक ठीक है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है । पहले आप अपना सवाल जो आपने किया है वह तो देखें ।

श्री रामकरणसिंह : आपने मौके पर तो जवाब यह दिया कि यहां जरूरत है और खुद ने सारी बातें देखीं और यहां उस जानकारी के आधार पर क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप देखिये, अपना सवाल आप देखिये । आपने सवाल किया है कि कोटपूतली की डिस्पेन्सरी में रोगी संख्या, जयपुर जिले में, जयपुर शहर के अलावा अन्य सब ही जगहों से अधिक है, मैंने कहा, 'नहीं' । आपने दूसरा सवाल यह किया कि यदि 'हां', तो क्या सरकार का डिस्पे-

Page No.3

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

न्सरी में बैड्स और दवाइयों की वृद्धि करने व इसे अच्छा अस्पताल बनाने का विचार है? जब पहले का जवाब मैंने 'नहीं' में दे दिया तो इसका भी जवाब जो मैंने दिया यही हो सकता था कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता। फिर आपने पूछा कि क्या इस डिस्पेन्सरी में ऑपरेशन के औजार बहुत कम हैं और स्थान की भी कमी है तो मैंने कह दिया 'नहीं'। जवाब ठीक दिये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने, पहले जो बजट था उसका तिगुना कर दिया। दवाइयों के लिये पैसा बढ़ा दिया, पर जब इसके बाद भी दवाइयां नहीं मिलतीं, तो इसका क्या कारण है? क्या वे बाजार में चली जाती हैं या बिक जाती हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसने कहा ?

श्री रामकरणसिंह : पूरी बजट के अनुसार जो स्ट्रेन्थ या कोटा है उसके अनुसार दवाइयां पहुंचती हैं या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चलते फिरते औषधालय के पशु-पालन अधिकारी, बीकानेर के विरुद्ध शिकायत

४३५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि चलते-फिरते औषधालय के पशु-पालन अधिकारी, बीकानेर, ने गाड़ी में तीसरे दर्जे में दौरा करके प्रथम दर्जे का टी. ए. उठाया है ?

(ख) क्या इनके खिलाफ सरकारी जीप का दुरुपयोग करने की कोई शिकायत की गई है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस सम्बन्ध की कोई जांच इस विभाग द्वारा चल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने 'जी नहीं' कह दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार की एन्क्वायरी चल रही है। आप कहते हैं कि कोई बात ही नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल नहीं है।

माही नदी पर कड़ाना प्रोजेक्ट

४३६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि बम्बई सरकार माही नदी पर कड़ाना प्रोजेक्ट तैयार कर रही है? यदि हां, तो क्या इसमें राजस्थान सरकार से भी परामर्श किया गया है? यदि नहीं तो राजस्थान सरकार ने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(२) इस बांध योजना का कैचमेन्ट व कमान्डेड एरिया क्या है और इसकी डूब में कितनी मालियत के कितने ग्राम व जमीन इत्यादि आवेंगे ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, इस योजना के बारे में सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन से पत्र-व्यवहार चल रहा है, राजस्थान के हितों को सुरक्षित रखने की कार्यवाही की जा रही है।

(२) बम्बई राज्य के द्वारा बनाई हुई योजना की पूर्ण सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है। इसमें १,०७,००० मिलियन क्यूबिक फुट पानी रोक कर, ४,२५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई और २०,००० किलोवाट बिजली पैदा करने का अनुमान था। इस बांध के बनने से राजस्थान की ३६ वर्ग-मील भूमि डूब में आती थी जिसमें गलियाकोट व यहां की प्रसिद्ध दरगाह भी थी। सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन ने इस योजना को मन्जूर नहीं किया है और राजस्थान सरकार ने भी ग्राम व जमीनें डूब में आने के कारण इस योजना का प्रतिरोध किया है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : कब राजस्थान सरकार ने बम्बई सरकार को पत्र लिखा था ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : कई लेवल पर विरोध किया था। ५६ में हमारे मुख्य मन्त्री ने पहले पत्र लिखा वहां के मुख्य मन्त्री को। अभी हाल में चीफ इन्जीनियर ने भी पत्र लिखा है वहां के चीफ इन्जीनियर को, क्योंकि हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भेजनी चाहिये थी वह उन्होंने नहीं भेजी। हमने सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन को लिखा है।

श्री चन्दनमल वैद : चीफ इन्जीनियर ने पत्र किस साल, किस तारीख को लिखा ?

श्री भीखाभाई : दो महीने हुए।

श्री चन्दनमल वैद : जब मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा तब भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो क्या आप समझते है कि चीफ इंजीनियर के लिखने से कोई नतीजा निकल जावेगा ?

श्री भीखाभाई : नतीजे नहीं निकलने का सवाल नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। दरअसल हमारे मुख्य मंत्री के नोटिस में जब आया कि वे ऐसी कोई प्लान बना रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं और हमारे इलाके में भी सर्वे की मांग की है, तो उसकी तो मन्जूरी देनी ही थी, हमने दे दी कि हमारी टैरीटरी में सर्वे कर सकते हो। पर इसके बाद में उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो हमें भी भेजनी चाहिये थी, नहीं भेजी। कुछ हिस्से ही भेज कर रह गये, सब नहीं भेजी। इस पर हमने सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन को पूछा, और हमने कहा कि इसके लिये दोनों सरकारें एक मिली-जुली योजना तैयार करें। इस पर हमने तो अपनी योजना स्थगित कर रक्खी है और अब यह तय किया जा रहा है कि सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन के आॅस्पिसेज़ में एक सम्मिलित योजना बनाई जावे और उसको क्रियान्वित किया जावे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : राजस्थान सरकार से परामर्श नहीं किया तो आपको

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

किस तरह से मालूम हुआ कि इससें इतने लाख एकड़ भूमि सींची जावेगी और इतना किलोवाट पॉवर निकाला जावेगा ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि जो स्कीम है वह हमारी ही है, बम्बई सरकार ने अपनी स्कीम अलग बनाई है। उन्होंने हमसे सर्वे की इजाजत मांगी, उसको हम रोक नहीं सकते थे, हमने इजाजत दे दी। हम उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहते थे। हम यह चाहते हैं कि हमारी मिलीजुली योजना बने। उसके ड्रॉइंग तैयार हो रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सरकार की जानकारी में है कि वहां साइट पर बिल्डिंग वगैरह कुछ बन गई हैं कुछ तैयार हो रहे हैं। बिजली लग चुकी है, सड़कें बन चुकी हैं, नल भी लग चुके हैं और राजस्थान सरकार सोई हुई है, लिख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

श्री भीखाभाई : सरकार जागरूक है। उसके यह सब नोटिस में है

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिस वक्त यह स्कीम थी, इतने ऑफिसर लगे हुए थे, कार्य हो रहा था और जब आपको पता था कि इतनी बड़ी जमीन और गलियाकोट डूब में आ रहा है, तो आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री भीखाभाई : एक्शन लिया गया है वही तो मैं बता रहा हूं। सारी बातें सरकार के नोटिस में हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने नोटिस ले लिया तो इस वक्त भी वहां कन्स्ट्रक्शन जारी है आप देखें, मकान बन रहे हैं सब कुछ हो रहा है; आपने इनको रोकने के लिये क्या किया ?

श्री भीखाभाई : यह हो जरूर रहा है, परन्तु वहां पर डैम का काम अभी चालू नहीं हुआ है। हमारा प्रश्न इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो उनका डैम है उसको ओरिजिनल हाइट जो है वह इतनी ऊंची न हो कि हमारे गांव इस तरह से डूब में आ जावें, हमें यह देखना है। इसी हाइट पर हमारी मिली जुली योजना निर्भर है। फिर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट बनाये जाते हैं तो पॉवर प्रोजेक्ट तो वह बनावेंगे ही। हम तो इतना चाहते हैं कि हाइट रिड्यूस हो जावे, यह हमारी कोशिश है। इसमें आपके सहयोग की भी जरूरत है। सरकार भी इसके लिये कोशिश करेगी और आप भी करते रहें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि मिली-जुली योजना बना रहे हैं। जब तक यह न बने तब तक के लिये राजस्थान सरकार को यह रिक्वेस्ट उनसे करनी चाहिये कि यह कन्स्ट्रक्शन वर्क स्टॉप कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि बान्ध तो वहां बनेगा। पर कितना ऊंचा बनेगा इस पर बातचीत चल रही है और मिली जुली योजना किस तरह की बने कि जिससे यहां की जमीन और गांव इस तरस से डूब में न आवें, जैसी सम्भावना आज है, तो इस तरह बान्ध रोकना थोड़े ही है। मिली जुली योजना बनाना है, जिससे सबको ठीक फायदा हो।

रावराजा श्री सरदारसिंह : रिज़र-वायर भी बन चुका है और मैं अर्ज करूं कि अगर मिली-जुली योजना बनेगी तो उनकी योजना इतनी बड़ी थी कि पंचमहल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि से अहमदाबाद तक बिजली जायेगी और राजस्थान सरकार बांसवाड़ा से १० मील दूर एक बांध बना रही है। तो जो योजना बम्बई की थी तो सारी राजस्थान से ही कार्यवाही की जायेगी या आधी आधी दोनों स्टेट करेंगी ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि सारी स्कीम सेन्ट्रल वाटर कमीशन बना रही है और फिर वह स्कीम तैयार होकर दोनों राज्यों के सामने रखी जायेगी। इसके बाद फिर यह विचार होगा कि यह इर्रिगेशन प्रोजेक्ट बनेगा या इर्रिगेशन-कम-पॉवर प्रोजेक्ट बनेगा। उसमें क्या शर्तें होती हैं। उसमें कास्ट का भी सवाल होगा और यह सब तब होगा जब कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे सामने आयेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्जेज में रजिस्टर्ड उम्मीदवार

४३७. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कहां कहां एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्जेज़ के दफ्तर हैं ?

(ख) हर एक दफ्तर में कितने उम्मीदवारों को जनवरी, १९६०, तक सर्विस नहीं मिली है ?

(ग) कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक दफा भी इन्टरव्यू के लिए मौका नहीं दिया गया ?

(घ) एक वर्ष से अधिक समय से कितनों के नाम रजिस्टर्ड हैं ? कार्यालय वाइज़ सूची सदन की मेज पर रखें।

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) राजस्थान के एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्जेज़ के दफ्तर निम्नलिखित नगरों में हैं:-

अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टौंक, उदयपुर।

(ख) ३१ जनवरी, १९६०, को विभिन्न एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्जेज़ के चालू रजिस्टर पर नौकरी पाने में सहायता के लिए दर्ज नामों की संख्या निम्नांकित थी :-

एम्पलॉयियेट एक्सचेंज	संख्या
अजमेर	५६६६
अलवर	२५५१
भरतपुर	३५४६
भीलवाड़ा	१२२५
बीकानेर	१६५८
जयपुर	११७०४
जोधपुर	३७४१
कोटा	२६४७
पाली	८४८
सवाईमाधोपुर	१८३८
सिरोही	७०९
श्रीगंगानगर	१४६८
टौंक	७७२
उदयपुर	३६६७
जोड़	४२०७०

Page No.7

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ग) एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्जेज़ के चालू रजिस्टर पर दर्ज नामों में से तारीख २६–२–६० को २०७७० व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें तब तक एक दफा भी इन्टरव्यू के लिए नहीं भेजा जा सका था।

(घ) एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्जेज़ के चालू रजिस्टर पर दर्ज नामों वाले व्यक्तियों में से ३२५५ ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम एक वर्ष से अधिक समय से रजिस्टर्ड है। कार्यालय–वाइज़ सूची संलग्न तालिका में दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४३८.

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३९.

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री रामकरणसिंह।

जिलाबोर्ड, जयपुर के हटाये हुए अध्यापकों की फिर से नियुक्ति

४४०. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बोर्ड, जयपुर, में सन् १९५८–५९ व १९५९–६० में कुल कितने अध्यापक थे ?

(ख) उनमें से कितनों को हटाया गया और कितनों को बाद में वापिस ले लिया गया ?

(ग) कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें नहीं लगाया गया और नये अध्यापक उनके स्थान पर लगाये गये व क्यों ?

(घ) क्या यह भी सही है कि बजट से अधिक अध्यापक लगाये गये ? यदि हां, तो कितने ?

(ङ) क्या हटाये हुए अध्यापकों को, यदि स्थान हो तो, फिर से नियुक्त किया जायेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) सन् १९५८–५९ में ३०१ व १९–५९–६० में ३०८ अध्यापक थे।

(ख) किसी को नहीं हटाया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) हां, तीन अध्यापक अधिक लगाये गये।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामकरणसिंह : आपने जो सूचना दी है कि किसी को नहीं हटाया गया उसमें एक अध्यापक की जानकारी मुझे अच्छी तरह से है, नन्चूसिंह पुत्र मोजीराम जो कि पालड़ा में अध्यापक था उसको हटाया गया और उसके स्थान पर तीन को लगाया गया।

श्री सम्पतराम : पोज़ीशन यह थी कि उस समय कुछ अध्यापक ऐसे थे जो कि टर्म्स पर लगाये गये थे और टेम्प्रेरी थे और उनको सब्स्टीट्यूट के तरीके से लगाया गया था और ऐसे अध्यापक ३२ थे। अब हो सकता है कि जिनके बारे में आप कह रहे हैं वे उनमें से हों। तो उनको भी लेने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामकरणसिंह : ऐसी चीज है कि जब उनको लगाया गया उस समय उनकी उम्र २५ साल से कम थी। जब उनको हटाया गया तो अब वे दूसरी जगह सर्विस कर नहीं सकते क्योंकि वह सरकारी नियम के अनुसार ओवरएज हो गए, तो क्या उनके ओवरएज होने का कन्सीडरेशन नहीं रखते हुए जिलाबोर्ड मे कहीं लगाने का सुझाव देंगे?

श्री सम्पतराम : वैसे सरकार इस प्रकार के अध्यापकों को लेने के लिये कमिटेड नहीं है क्योंकि उनको लिमिटेड पीरियड के लिये लगाया गया है, तो वह किसी विशेष परिस्थिति की वजह से लगाया गया होगा। तो सरकार कमिटेड नहीं कि दुबारा उनको लगाये, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि ऐसे ३२ अध्यापकों को लगाया गया है और यदि कोई टैक्निकल डिफिकल्टी नहीं हुई और आसानी से उनको लगाने के योग्य सरकार होगी तो उनके लिए कोशिश की जायेगी।

श्री रामकरणसिंह : जो बजट स्ट्रेन्थ है उससे सरप्लस में कहां लगायेंगे। सरकार कमिटेड तो नहीं है, तो फिर और दूसरों को कैसे लिया गया?

श्री सम्पतराम : आखिर यह एक इन्डिविजुअल केस का मामला है, इसको मैं देखूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी): सरकार ने एक व्यक्ति को इस प्रकार से कम कर दिया और उन्हीं स्थानों पर दूसरों का अपोइन्टमेंट किया तो फिर सरकार ने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा कि जो पहले काम कर चुके हैं उस स्थान के लिये उन्हीं को प्राथमिकता दी जाये?

श्री सम्पतराम : इसमें प्रायोरिटी देने या नहीं देने का प्रश्न नहीं है। जिलाबोर्ड के जितने अध्यापक हैं उनको एब्ज़ॉर्ब करना है, उस पर मैंने कहा कि ६०० अध्यापक थे और सबको लगा दिया और एक अध्यापक के बारे में आपने कहा तो मैंने कहा कि ३२ अध्यापक जो कि टेम्प्रेरी लगाये गये थे ता उनका अपॉइन्टमेंट परमानेन्ट बेसिस पर नहीं हुआ था लेकिन फिर भी ऐसे अध्यापकों को ले लिया। हो सकता है वह जो आप केस बता रहे हैं उन अध्यापकों में से ही हो। हम इन्डिविजुअल केस को देखेंगे और हो सका तो अवश्य मदद करेंगे।

प्रश्न संख्या ४४१.

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

गेहूँ की उपाप्ति एवं संभरण

४४२. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Food Minister be pleased to state:

At what rate the Government Procured wheat frcm Ganganagar

(श्री पी० के० चौधरी)

District during the 2nd and 3rd quarter of the year, 1959, and at what rate the Government supplied it to the retail dealers in Jaipur ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : Government procured wheat of fair average quality at the following rates:—

1. Red wheat @ Rs. 13/-p. m.
2. Dara wheat@Rs. 14/-p. m.
3. Farm wheat @Rs. 15/-p. m.

The issue price to retailers was as under :—

1. Red wheat @Rs. 16/-p. m.
2. Dara wheat@Rs. 17/-p. m.
3. Farm wheat@Rs. 18/-p. m.

श्री पी० के० चौधरी : आपने इतना ज्यादा मार्जिन क्यों रखा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो आपको सारी बातें बताई थीं, एक दिन पहले ही।

श्री पी० के० चौधरी : वह तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बताया था, यह जो डिफ़रेन्स है प्रोक्योरमेन्ट प्राईसेज़ और सेल प्राईस में ३ रुपये का, वह किस बात का है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २ रु० २ आने का तो प्रोक्योर किया था सोसाइटीज़ के मार्फत और वह एक साल तक स्टोरेज रख कर बाद में बेचने की व्यवस्था की और १४ आने ट्रान्सपोर्ट वगैरह के और दिये थे वहां से ले जाकर दूसरी जगह बेचने के लिये। इस तरह से तीन रुपये का डिफ़रेन्स होता है।

श्री पी. के. चौधरी : सोसाइटी के अलावा दूसरी किसी एजेन्सी के जरिये प्रोक्योर नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : या तो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया या सोसाइटी ने किया, दूसरी एजेन्सी ने नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा के लिए अवाप्त भूमि का मुआवज़ा

४४३. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा को बनाने के लिए किन किन काश्तकारों से भूमि अवाप्त की गई थी ?

(ख) इस अस्पताल को बने कितना समय हो गया है ?

(ग) क्या जिन लोगों की भूमि अवाप्त हुई है उन लोगों को मुआवज़ा मिल गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) लगभग ७ वर्ष।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ग) जी नहीं। प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : यह गांधी अस्पताल के लिये जिन कृषकों की भूमि अवाप्त की गई उनकी सूची दी है, तो यह भूमि कब ली गई थी ?

श्री बद्रीसाद गुप्ता : अस्पताल बनने से पहले, यानी करीब ८ साल पहले।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह पूछना चाहता हूं कि लैंड एक्विज़ीशन एक्ट के अन्दर ऐसा नियम नहीं है कि अमुक समय के अन्दर अन्दर मुआवज़ा मिल जाना चाहिये ? क्या कारण है कि ७–८ साल हो गए और उनको रकम अभी तक नहीं मिली और उनकी ज़मीन अवाप्त में आ गई, इससे वे खेती भी नहीं कर सकते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लैंड एक्विज़ीशन एक्ट में कोई टाइम दिया हुआ नहीं है कि फलां टाइम पर पेमेन्ट हो जाना चाहिये।

डॉ० चंद्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : तो क्या सरकार उसी का फायदा उठा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं कह चुका हूँ कि कानून में कोई टाइम दिया हुआ नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : तो इसका मतलब है कि क्योंकि एक्ट के तहत कोई टाइम का प्रावधान नहीं है इसलिए चाहे जितने समय में दें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सवाल पूछा था कि क्या एक्ट में ऐसा प्रोविज़न है तो मैंने कहा है कि नहीं है। जहां तक मुआवज़े देने का संबन्ध है तो मैं आपको बताऊं कि यह केस रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमारे पास १६५६ में ही आया और वहां पर ही सब कार्यवाही हो रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने कहा कि प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तो सरकार किस बात पर विचार कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लैंड एक्विज़ीशन के लिये सेक्शन ४ और ५ का नोटिस जारी होता है और यह डिटर्मिन होता है कि मार्केट प्राइस क्या है, उसके बाद में दिया जाता है। हमारे पास ५६ में कागज़ात आये हैं और उन पर जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आपके पास ५६ में यह कागज़ात आये, तो फिर ५६ से अब तक यह कागज़ात कहां पड़े हुये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जेब में दफ्तर नहीं है। हमेशा कागज़ात दफ्तर में ही रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : 'जेब' का सवाल नहीं है, सवाल सेक्रेटेरियट का है ?

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब सरकार से है, जेब से नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब सेक्रेटेरियट से है, बद्रीप्रसादजी से नहीं है, बल्कि मिनिस्टर से है। ५६ से लेकर यह कागज़ात कहां पड़े रहे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १६५६ में कलेक्टर ने रिपोर्ट करके भेजी है और बीच में जानकारी की जा रही थी और फिर अब आगे कार्यवाही की जा रही है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आप जेब में भी कागज रखते हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने तो अर्ज कर दिया कि मेरी जेब में कागज़ नहीं रहते हैं। मेरे पास तो कल ही क्वेश्चन के सिलसिले में आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाये कि ५६ में यह कागज़ात सेक्रेटेरियट में आये और उस समय से लेकर केवल कल ही कागज़ात आपके पास पहुंचे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी के लिए दुबारा गये हुए थे और मेरे पास कल सवाल के सिलसिले में आये।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार महसूस करती है कि इस मामले में अनुचित देरी हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अनुचित कार्यवाही क्या हुई, रुपया तो उनको मिलेगा। यह हमारे डिपार्टमेंट में नहीं था। यह हमारे डिपार्टमेंट में अभी आया था। डिफरेन्ट डिपार्टमेंट से होकर यह कागज़ात आये इसलिये देरी हुई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने उनसे इतने साल पहले जमीन ले ली तो जो उनको इतना नुकसान हुआ है खेती वगैरह का, तो क्या उसका मुआवज़ा सरकार देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मारकेट प्राईस बहुत बढ़ गई है उससे फायदा हो जायेगा।

श्री पी. के. चौधरी : मार्केट पाईज़ का असेसमेंट प्रेजेन्ट रेट से करेंगे या जिस समय जमीन पर कब्जा किया था उस समय की रेट से देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो कानून के मुताबिक की कार्यवाही होगी। असेसमेंट ७,००० के करीब हुआ है। जल्दी ही कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : मार्केट वेल्यू बढ़ गई है ....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह चुके हैं कि इसमें देरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि जल्दी करा दिया जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मार्केट वेल्यू बढ़ गई है उनको लाभ होता है, तो कोई हर्ज नहीं है। पर आप यह तो बताइये कि आप नये हिसाब से देंगे या पुराने हिसाब से देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपसे अर्ज किया कि कानून लैण्ड एक्विज़िशन एक्ट है उसके अनुसार डिटरमिन होता है। उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : कानून में नये रेट्स के मुताबिक नहीं मिलता है और पुराने

(श्री मुरलीधर व्यास)

रेट के मुताबिक मिलता है और मंत्री महोदय कहते हैं तो संभवतः उन लोगों को मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शंकरलाल।

सहकारी भूमि बंधक बैंक

४४४. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सहकारी भूमि बंधक बैंक की स्थापना कब हुई और इस वक्त उसकी कितनी हिस्सा पूंजी है ?

(ख) कितने बैंक जिलों में कहां कहां, कौन कौन सी तारीखों में स्थापित हो चुके हैं और उनके प्रत्येक की कितनी हिस्सा पूंजी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) भूमि बंधक सहकारी बैंकों से कितने काश्तकारों को कितनी धनराशि ऋण के रूप में अब तक दी गई और कितनी दरख्वास्तें कितने समय से कितनी कितनी धनराशि की जिलेवार विचाराधीन पड़ी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

जोधपुर के अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर

४४५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर में अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के एग्ज़िक्यूटिव इंजिनियर कौन हैं तथा उनकी योग्यता क्या है ?

(ख) इनके आधीन कौन सी मशीनरी रखी गई है ? उसका पूर्ण विवरण देने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री संपतराम) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध एग्रीकलचर विभाग से है। इसलिए उसका उत्तर कृषि मंत्री अपने टर्न पर देंगे।

प्रश्न संख्या ४४६ व ४४७

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

थाना, नीम का थाना के हथियारों का निरीक्षण

४४८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि दिसम्बर सन् १९५९ में आर. आई. ने थाना, नीम का थाना के हथियारों का निरीक्षण किया था ?

(ख) क्या यह सही है कि निरीक्षण से दो कारतूस सन् १९४७ तथा दो बिला नम्बर अर्थात् ४ कारतूस बदले हुई पाए गये ?

Page No.13

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) क्या यह सही है कि आर. आई. ने इस बात की रिपोर्ट थाने के रोज़नामचे में लिखी तथा उच्चाधिकारियों को भी पेश की?

(घ) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, ये कारतूस सरकारी ही थे।

(ग) जी नहीं, आर. आई. ने ५०० पुराने कारतूस जो कि नीम के थाने के थे बदले और इस विषय की रोज़नामचे में एक रिपोर्ट लिखी।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बीकानेर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य

४४६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) बीकानेर मेडिकल कॉलेज के निर्माण में कुल कितनी धनराशि लगाये जाने की योजना है ?

(ख) मेडिकल कॉलेज की नींव का शिलान्यास कब किया गया तथा उसके बाद अब तक कुल कितनी धन-राशि लगी ?

(ग) इसका निर्माण कार्य पूरा कब तक हो जावेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) करीब ६० लाख रुपये।

(ख) बीकानेर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास दिनांक ५. २. ५६ को हुआ था। जनवरी १६६० तक ६५,४६१) रु० ४६ नये पैसे व्यय किये जा चुके हैं।

(ग) निर्माण कार्य पूरा होने के विषय में अभी तक कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है और काम होता जाता है वैसे २ रुपया देते जाते हैं। जल्दी ही उसको पूरा करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : वह धनराशि कितनी रखी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६० लाख रुपये की रकम है। कमती-बेशी भी हो सकती है। प्लान के लिए ६० लाख की मन्जूरी दी है। जैसे जैसे काम होता है दे देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: उसका प्लान नहीं है क्या ? उसका कुछ न कुछ प्लान तो होगा कि एक या दो साल के अन्दर इतना काम होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : योजनाबद्ध तो है ही, लेकिन वह वर्क की प्रोग्रेस पर डिपेन्ड करता है।

श्री मुरलीधर व्यास-: इसमें आपकी योजना क्या है, कितने साल में पूरा करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : साल तो नहीं है मेरे पास इस वक्त में लेकिन थर्ड प्लान में पूरा हो जायगा। तो थर्ड प्लान का जब डिटर्मिनेशन करेंगे तब साल डिटर्मिन करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : थर्ड प्लान में भी दो साल, चार साल के अन्दर हो जायगा, यह तो होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६० लाख रुपये का सारा प्लान है। जैसे पी. डब्लू. डी. कहेगी उतना उतना रुपया खर्च करते जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : स्कीम बनाने का काम पी. डब्लू. डी. का नहीं है। आपने योजना बना कर उनको दी होगी। कॉलेज बनाने का काम है उसके अन्तर्गत इस प्रकार से प्लान किया होगा कि दो साल के अन्दर इतना काम हो जायगा और तीन साल के अन्दर एक होस्पिटल हो जायगा। इस प्रकार की योजना होगी तो वह योजना क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका फाइनल प्लान हो गया है, यह दर्ज नहीं है। इसको थर्ड प्लान में जाकर पूरा करना है और थर्ड प्लान के बारे में अभी हमने फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं किया है, इसलिए नहीं कह सकता हूं।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या अगले सत्र के पहले १०० लड़कों के रहने के लायक होस्टल की बिल्डिंग तैयार हो सकेगी जब कि वहां पर चार महीनों से काम रुका हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६० लाख रुपये की सेन्क्शन पी. डब्लू. डी. को दे रखी है। उनके यहां प्रोविज़न का सवाल है। हमारे यहां यह कोई डिले नहीं हुई है। जल्दी बनाने को कह रखा है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सेन्क्शन भेजने के बाद मंत्री महोदय के कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है क्या ? कितना काम हुआ है, उसकी क्या प्रगति है यह भी वे देखते हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनवरी १९६० तक ९५ हजार रुपया खर्च किया गया है। काम चालू है। इतना रुपया व्यय हो चुका है।

प्रश्न संख्या ४५०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

जयपुर शहर के शराब के ठेके की दूकानें

४५१. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री, आबकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) इस समय जयपुर शहर में सरकार द्वारा दिये हुए कुल कितने शराब के ठेके, कहां कहां पर हैं ?

(ख) इनमें से प्रत्येक ठेके से कितनी कितनी सालाना आय होती है ?

(ग) रास्ता ठठेरान में शराब के ठेके की दुकान कब से है ?

(घ) क्या यह सच है कि जनता ने इस ठेके को यहां से हटाने की मांग की थी और सरकार द्वारा उसे हटवा देने का आश्वासन दे दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

Page No.15

(डॉ० चन्द्रकला)

(ङ) यदि हां, तो अब तक उक्त शराब की दुकान के न हटने का क्या कारण है ? क्या अब सरकार इसे हटवाने की शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

आबकारी मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): ठेके जयपुर शहर में निम्नलिखित हैं:—

(१) कच्चा बन्धा आमेर,

(२) हीदा की मोरी,

(३) खुर्रा धाभाईजी,

(४) कोठी रैंगरान,

(५) पुराना घाट,

(६) लाल कोठी,

(७) स्टेशन जयपुर,

(८) चांदपोल,

(९) गनगौरी गेट,

(१०) अजमेरी गेट, और

(११) चौड़ा रास्ता।

(ख) (१) कच्चा बन्धा १५,२५०)

(२) हीदा की मोरी १६,५००)

(३) खुर्रा धाभाईजी २५,१००)

(४) कोठी रेंगरान १६,०००)

(५) पुराना घाट ५,१००)

(६) लाल कोठी ३६,०००)

(७) स्टेशन जयपुर ५३,१००)

(८) चांद पोल ५०,०००)

(९) गनगौरी गेट ३३,०००)

(१०) अजमेरी गेट ३७,५००)

(११) चौड़ा रास्ता २५,१००)

(ग) जयपुर गवर्नमेंट के समय से है।

(घ) जी हां। दूकान को हटाने की आज्ञा दे दी गई थी।

(ङ) ठेकेदार को नोटिस देने पर ठेकेदार ने हाईकोर्ट में रिट पेश कर दिया और हाई कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित करने की आज्ञा जारी कर दी। आयन्दा साल १ अप्रेल, १९६०, से चौड़ा रास्ता की दूकान का ठेका बन्द कर दिया गया है।

डॉ० चन्द्रकला :क्या यह सही है कि ऐसी कोई नीति है जिसके मातहत यह ठेके बस्ती के भीतर नहीं रखे जायं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : और ठेके कहां ले जायं ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सरकार हर साल दुकानों को क्यों कम करती जा रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : प्रोहिबिशन करने का इरादा है, इसलिए धीरे धीरे हर साल २, ४, ५ दूकानें बन्द की जाती हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि जन साधारण को ठेके शराब से

Page No.16

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बन्द बोतलों में शराब बेचना चाहिए ? लेकिन वे खुली बोतलें बेचते है और लोग वहीं पीते हैं, जिससे आम पब्लिक में अव्यवस्था होती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नियम के अनुसार बन्द बोतले दी जाती हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या आपके ध्यान में इस प्रकार की बहुत सी जगहों से शिकायतें आई हैं कि खुली बोतलों में शराब देने से लोग वहीं बैठकर पीते हैं और शराब पीकर लोग अव्यवस्था फैलाते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है हमारे सामने ।

श्री भीमसेन : दूकानें कम करने से शराब की खपत में कमी नहीं होती है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कमी तो होती ही है ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आपने जो इन्कम बताई है इन ठेकों की तो वह इन्कम सरकार की है या ठेकेदार की ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सरकार की है ।

डॉ० चन्द्रकला : तो बस्ती के अलावा सरकार को और कोई जगह नहीं मिलती है जहां शराब के ठेके रखे जायं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जंगल में तो मेरे खयाल से ठेके नहीं चलेंगे ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट के भाषण में कहा कि शराब की खपत बढ़ जाने से आमदनी बढ़ी है यह कहा है और माननीय मंत्री महोदय कह रहे है कि दूकानें कम करने से शराब की खपत में कमी होती है, तो यह बात तो ऐसी नहीं है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दूकानें कम करने से शराब के उपयोग में कमी हो जाय, ऐसा नहीं है लेकिन जहां तहां नाजायज़ शराब निकलती थी उस पर कड़ाई से पाबन्दी की है उससे जायज़ शराब की दूकानों पर अधिक लोग आते हैं । मैंने केवल इतना बताया था कि उनकी आमदनी में सुधार हुआ है ।

आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत आये जिला बोर्ड के अधीनस्थ वैद्यों आदि को बकाया वेतन की अदायगी

४५२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि जिला बोर्ड समाप्त होने पर जिला बोर्ड के अधीनस्थ वैद्य, उपवैद्य एवं परिचारक राजकीय आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत आ गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन वैद्यों को अभी तक वेतन नहीं मिला ?

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब कब तक तनख्वाह मिल जायगी ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) :(क) जी हां ।

(श्री भीखाभाई)

(ख) चुरू एवं गंगानगर जिला बोर्डों के औषधालयों के स्टाफ को छोड़ कर अन्य समस्त जिला बोर्डों के स्टाफ को वेतन नियमित रूप से मिलना प्रारम्भ हो गया है ।

(ग) चुरू एवं गंगानगर जिला बोर्डों के औषधालयों के स्टाफ से अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र सही स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकने के कारण ट्रेज़री द्वारा एतराज किया गया । संशोधित अन्तिम प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालय से प्राप्त किये जा रहे हैं । उनके प्राप्त होने पर वेतन के चुकारे की व्यवस्था इसी मास में कर दी जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : उनको वेतन मिलना कब से प्रारम्भ हुआ है ?

श्री भीखाभाई : वेतन तो उनको हमेशा से मिलता रहा है, जब से नौकर हुए तभी से मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से जब वे आयुर्वेद विभाग के अंडर में आये तब से उनके लिये एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुआ । उनके द्वारा लास्ट पे सर्टिफिकेट नहीं भेजने के कारण कुछ खामियें रहने से कुछ का वेतन रुक गया था ।

श्री भैरोंसिंह : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एबोलिश होने के बाद आयुर्वेद विभाग में आने के बाद कब से उनको वेतन मिलना शुरू हुआ ?

श्री भीखाभाई : २ अक्टूबर की ऐतिहासिक तारीख आपको याद रहनी चाहिये । उससे पहले का सभी वेतन मिल चुका है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि इस ऐतिहासिक तारीख से उनको तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई थी ?

श्री भीखाभाई : इससे पहले तक सब मिल गई है ।

श्री भैरोंसिंह : इसके बाद क्या सब जगह मिल गई ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि सब जगह वेतन मिलना शुरू हो गया । जहां के बारे में ऐतराजात थे, लास्ट पे सर्टिफ़िकेट वगैरह नहीं भेजे गये उनके बिल पर ए० जी० ने एतराजात कर दिये, इसमें गवर्नमेन्ट का क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर जिला बोर्ड के जितने वैद्य थे उनको चार महीने की तनख्वाह चुकाने के ऑर्डर अब हुए हैं ?

श्री भीखाभाई : दो के बाकी थे, बाकी को मिल गई ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि २ अक्टूबर से वेतन मिलना शुरू हुआ, वे राज्य-सेवा में २ अक्टूबर से आ गये लेकिन उनको तनख्वाह चार महीनों के बाद अब मिलनी शुरू हुई है ?

श्री भीखाभाई : उनके लिये एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ था, उनकी तरफ से लास्ट पे सर्टिफिकेट भेजने में देरी हुई, उनको मिलने में देरी हुई होगी, बाकी को मिल गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनको तनख्वाह लास्ट पे सर्टिफिकेट के बेसिस पर मिली है ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जितनी तनख्वाह जिला बोर्ड में मिली थी उतनी ही यहां मिली है ?

श्री भीखाभाई : जी हां, वही मिली है लेकिन उनके क्लासिफिकेशन वगैरह की अलग कार्यवाही चल रही है।

प्रश्न संख्या ४५३

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचंद डागा।

(अनुपस्थित)

तहसील देवली की दीवानी, फौजदारी का ताल्लुक अदालत टोंक से स्थापित करना

४५४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ठिकाना उनियारा की साबिका तहसीलें नगर, आंवा, मय देहातों के, तहसील देवली में हैं ? अगर हां, तो इस तहसील की दीवानी फौज़दारी का ताल्लुक अदालत टोंक में है या मालपुरा में ?

(ख) क्या यह सही है कि सिर्फ मुकदमात दफा १०७ व १४५ का ताल्लुक मालपुरा से है और बाकी के मुकदमात का ताल्लुक टौंक से है ? अगर हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि बनिस्बत अदालत मालपुरा के जनता को टौंक की अदालतें नजदीक होने से सुविधा है ? अगर हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधा की दृष्टि से और यातायात की सुविधा को देखते हुए बजाय मालपुरा के टोंक अदालतों से इनका संबंध रखने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) उनियारा ठिकाने में पहले नगर व आवां दो तहसीलें थीं। नगर में ५६ ग्राम थे व आवां में ३७। ५६ ग्रामों में से २२ वर्तमान तहसील देवली में तथा ३७ वर्तमान तहसील अलीगढ़ में हैं। आवां के ३७ ग्राम तहसील देवली में है। इस प्रकार भूतपूर्व ठिकाना उनियारा के ५६ ग्राम तहसील देवली में हैं। इन ५६ ग्रामों के दीवानी मुकदमात का सम्बन्ध मालपुरा मुन्सिफी से है व फौजदारी मुकदमात का सम्बन्ध टोंक के सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट के न्यायालय से है। अलबत्ता जाब्ता फ़ौजदारी की प्रिवेन्टिव सेक्शन्स १०७, १०८, १०९, ११० व १४५ के मुकदमात का सम्बन्ध मालपुरा के एस० डी० एम० के न्यायालय से है।

(ख) इसका विवरण ऊपर बता दिया गया है।

(ग) मालपुरा की अपेक्षा टोंक देवली के पास है किन्तु मालपुरा के एस० डी० एम० आरम्भ से ही देवली के मुकदमात का निर्णय देवली में किया करते हैं और किन्हीं विशेष परिस्थितिवश ही वहां की जनता को मालपुरा जाना पड़ता है। इतनी सी कठिनाई भी मालपुरा देवली सड़क बन जाने पर दूर हो जावेगी ऐसी अवस्था में वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्रीजी ने बताया कि वहां सड़कें बन जायेंगी, तब आवश्यकता पूरी हो जायगी। वहां सड़कें कब बनेंगी और कब पूरी होंगी तब तक तो आर्थिक कठिनाइयां दिन दिन ज्यादा बढ़ेगी।

श्री रामकिशोर व्यास : ऑफिसर देवली जाकर सुनते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ऑफिसर वहां जाकर सुनते हैं लेकिन आधा मालपुरा में कर दिया है और आधा टौंक में। टौंक नज़दीक पड़ता है तो टौंक में ही क्यों न कर दिया जाय?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सवाल कई बार आपने फरमाया और हमने अर्ज किया कि जो स्थिति है वही ठीक है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कई बार आपने फरमाया लेकिन अब क्या विचार है?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई विचार नहीं है अभी बदलने का।

राजस्थान दूकान-वाणिज्य संस्थान अधिनियम का साग-सब्जी के विक्रेताओं पर लागू किये जाने के संबंध में

४५५. **डॉ० चंद्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान दूकान वाणिज्य संस्थान अधिनियम सब्जी बेचनेवालों पर भी लागू होता है?

(ख) जयपुर शहर में साग-सब्जी बेचने वालों को महीने में कितने दिन की, किस किस दिन की छुट्टी मिलती है?

(ग) क्या सरकार साग-सब्जी बेचने वालों के लिये पूर्णमासी की अधिकृत छुट्टी घोषित करेगी?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां। परन्तु इन व्यवसाय वालों को राजस्थान दूकान वाणिज्य अधिनियम, १९५८, की धारा ११ (१) व १२ (१) से मुक्त कर दिया गया है?

(ख) चूंकि साग सब्जी बेचनेवालों को अधिनियम के प्रावधान १२ (१) के अन्तर्गत मुक्त कर दिया गया है, इस कारण दूकानों के बंद रहने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता परन्तु दूकानों पर काम करने वाले नौकरों को सप्ताह में एक दिन का पूर्ण अवकाश सवेतनिक देना आवश्यक है।

(ग) जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को मालूम है कि जयपुर में सभी सब्जी बेचनेवाले पूर्णमासी को छुट्टी रखा करते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे चाहें तो रख सकते हैं, गवर्नमेन्ट का ऐसा ऑर्डर नहीं है। वीकली होलिडे लागू होती है।

डॉ० चन्द्रकला : साग सब्जी बेचनेवाले सप्ताह में या महीने में पूर्णमासी को छुट्टी रखें, क्या यह वाजिब नहीं लगता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे चाहें हर रोज छुट्टी रखें हमें, इसमें क्या ऐतराज है।

डॉ० चन्द्रकला : और रोज भी रखें तो क्या ऐतराज है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमें तो, वीकली छुट्टी न करें तो ऐतराज है।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय सदस्या ने पूर्णमासी को साग खाना छोड़ दिया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

विश्व कृषि प्रदर्शनी, दिल्ली में राजस्थान पेविलियन में दीवार से एक पेड़ का आधा हिस्सा लगा कर उसके पत्ते लगाने का ठेका

४५६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि विश्व कृषि प्रदर्शनी, दिल्ली में राजस्थान पेविलियन में दीवार से एक पेड़ का आधा हिस्सा लगाकर उसके पत्ते लगाये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उसका ठेका किस व्यक्ति को और किस कीमत में तथा किस प्रकार से दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि इस ठेकेदार ने एग्रीमेन्ट के अनुसार कार्य नहीं किया ? यदि हां, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ? कृपया इसके एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) यह एक १५४० वर्ग फीट की दीवार पर रिलीफ में बनाये गये एक ग्राम्य चित्र का आंशिक भाग था। पूरे कार्य का ठेका १० हजार रुपये में मेसर्स आर्टिफिकेट्स, जयपुर, को दिया गया था और उसके लिये कॉटेशन मांगे गये थे।

(३) कार्य एग्रीमेन्ट के अनुसार किया गया था। किन्तु जहां तक पत्तों के हरा भरा रखने का कार्य था वह संतोषजनक नहीं रहा। केमिकल्स में डुबाये गये पत्ते सूख गये थे। इसके लिये पार्टी को नोटिस भी दे दिया गया था। पार्टी की २००० रु० की सिक्योरिटी की रकम अभी तक रोकी हुई है और इन सब का निर्णय होने पर ही इसका भुगतान किया जायगा। इस सम्बन्ध में उनको दिये गये वर्क ऑर्डर की प्रति संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ४५७

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

जयपुर शहर के बस स्टेन्ड

४५८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर शहर में कहां कहां, कितने बस स्टेन्ड हैं ? क्या ये सब स्टेन्ड स्थाई हैं ?

(डॉ० चन्द्रकला)

(२) क्या ये बस स्टेन्ड बदलते रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या इन बस स्टेन्डों पर यात्रियों के लिये बैठने, पानी पीने आदि की व्यवस्था है ?

(४) क्या शहर भर के लिये एक बस स्टेन्ड बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक क्रियान्वित हो जायगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जयपुर शहर में ८ बस स्टेन्ड निम्नलिखित जगहों पर हैं :

(क) घाट दरवाजे बाहर बस कंपनी के सामने स्थाई ।

(ख) राजामल का तालाब, चांदी की टकसाल (अस्थाई) ।

(ग) पोलो विक्ट्री के सामने (अस्थाई)

(घ) पोलो विक्ट्री के बराबर बायें हाथ पर (अस्थाई) ।

(ङ) चांदपोल गेट के बाहर (अस्थाई)

(च) चांदपोल बाहर झोटवाड़ा रोड पर खाद्दू हाऊस के पास (अस्थाई) ।

(छ) रामनिवास बाग के बाहर रामलीला मैदान के सामने (अस्थाई)।

(ज) फते टीबा मुस्लिम हाई स्कूल के पास (अस्थाई) ।

(२) ये बस स्टेन्ड कलेक्टर, एस. पी. सिटी, यू. आई. बी. तथा म्युनिसिपल कौंसिल के विचार-विमर्श से बदलते रहते हैं ।

(३) उपर्युक्त सब बस स्टेन्डों पर यात्रियों के बैठने व पानी पीने आदि की व्यवस्था है, कहीं कहीं पर मोटर मालिकों की तरफ से है ।

(४) शहर भर के लिये एक बस स्टेन्ड बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

सिरोही जिले में हुई डकैतियां

४५९. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) सिरोही जिले में सन् १९५२ से लगा कर आज तक प्रति वर्ष कितनी डकैतियां हुईं ?

(२) प्रत्येक डकैती में कुल कितना माल गया ?

(३) प्रत्येक डकैती का पुलिस के प्रयासों द्वारा क्या नतीजा रहा ?

(४) क्या सरकार के समक्ष सिरोही जिले में डकैतियों में वृद्धि को रोकने के लिये कोई विशेष योजना अथवा कार्यक्रम है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१, २ व ३) इच्छित सूचना निम्न प्रकार है :

(श्री रामकिशोर व्यास)

सन्	डकैती संख्या	माल मशरूका	पुलिस के प्रयासों का परिणाम
१९५२.	२	(१) २१ रु०	अदम पता में फाइनल रिपोर्ट दी गई।
		(२) एक रायफल मय २० कारतूस	३-३-५३ को चालान पेश किया गया।
१९५३.	१.	७२ रु० १६ न. पै. का नकद व कपड़े गये	अदम पता में फाइनल रिपोर्ट दी गई
१९५४.	२.	(१) कपड़े व जेवर कीमती ३७४ रु. ५० न. पै.	” ” ”
		(२) ३० रुपये	तारीख २८-१०-५४ को चालान पेश किया गया मुलजिमान बरी हुए।
१९५५.	२	(१) १४६० रु.	तारीख १५-११-५५ को चालान दिया गया जो कोर्ट में पेंडिंग है। २७७७रु० ३७ न. पै. का माल बाजयाब हुआ।
		(२) १६२ रु०	तफतीश से मुकदमा ३९४ जा. हि. में तरमीम होकर अदम पता में फाइनल रिपोर्ट दी गई।
१९५६.	५.	(१) २६६१ रु० ५० न. पै.	चालान पेश कर दिया गया मुलजिम बरी हुए।
		(२) २६१ रु०	” ” ”
		(३) ३४०६६रु.	ता. २१-६-५८ को चालान किया गया १४२५ रु० ७५ न० पै० का माल बाजयाब हुआ।
		(४) राइफल एक व बन्दूक एक मय कारतूस	ता. ११.४.५७ को चालान किया गया टी. एम. सी. गन रिकवर हुई।
		(५) तीस हजार रुपया	ता. ११.५.५७ को चालान पेश किया गया।
१९५७.व५८	एक भी डकैती नहीं हुई।		
१९५९.	२	(१) १४८. रु० ५० न. पै.	२०.६.५९ को चालान पेश किया गया, १०० रु० का माल बाजयाब हुआ।

Page No.23

(श्री रामकिशोर व्यास)

(२) ४५६३. ६७ न. पै. मुकदमा ज़ेर तफतीश है।

१६६०. २. (१) ६८७० रु. १२ न. पै. मुकदमा ज़ेर तफतीश है।

(२) १३८०३ रु. २५ न. पै. चालान १.३ ६० को अदालत में पेश किया गया ४१६१ का माल बाजयाब्र हुआ।

(४) डकैतियां रोकने के लिये मुख्य स्थानों पर डाकू विरोधी चौकियां स्थापित कर दी गई हैं।

श्री मोहब्बत सिंह : क्या यह सरकार के ध्यान में है कि उस एरिया में एक डाकू बहुत एक्टिव है। इसके लिए बम्बई सरकार ने १२५ आदमियों की प्लाटून डेप्यूट की है। राजस्थान सरकार के ऑर्डर की भी यह समस्या है तो राजस्थान सरकार ने कितने आदमियों को डेप्यूट किया है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बतलाना सार्वजनिक हित में नहीं है। जितने वे एक्टिव हैं, उतने ही हम भी एक्टिव हैं।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या आर. ए. सी. प्लाटून को टाइम बींइग वहां भेजने के लिए सोच रहे हैं, जब तक उस गैंग को खत्म न कर दें?

श्री रामकिशोर व्यास : जितनी ज़रूरत होगी, उतने भेज देंगे। हमने कुछ व्यवस्था की भी है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या यह सरकार के ध्यान में है कि आबू के पांच मील पर जो जगह पड़ती है, वहां दो डकैती एक सप्ताह में हुई हैं। उसके लिए सरकार सीरियसली क्यों नहीं सोचती है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है। हमने सीरियसली सोचा भी है।

श्री जर्नादनराय नागर (मावली) : सरकार सोचती है या व्यवस्था कर दी गई है?

श्री रामकिशोर व्यास : आदमी गये।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या व्यवस्था करने के लिए सरकार सोचती है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह व्यवस्था बताना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष : डॉ. चन्द्रकला।

जोरपुरा पंचायत का क्षेत्र

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जोरपुरा पंचायत (जिला जयपुर) का क्षेत्र कहां तक है?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त पंचायत आसपास के क्षेत्रों में भी अपना कब्जा जता कर लोगों को तंग करती है?

Page No.24

(डॉ० चन्द्रकला)

(ग) जोरपुरा पंचायत तथा जोबनेर नगरपालिका की सीमा रेखा क्या है ? क्या दोनों के क्षेत्रों के अलग अलग विभाजित न होने से जनता को होने वाली असुविधाओं को सरकार शीघ्र दूर करेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ-उपाध्याय) : (क) जोरपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में जोबनेर नगरपालिका क्षेत्र से बाहर की ढाणियां तथा ग्राम हैं । जिनके नाम ग्राम जोरपुरा, धाचस माहरवालों की ढाणी, प्रतापपुरा, गुमानपुरा, आई दान का बास, हरनाथपुरा, चारणावास, गीधा का बास, माछुरवाणी, रणसिंहपुरा, मेरपुरा, बंशीपुरा, डोपाली, अजीतपुरा, नयाबास, अगरपुरा, करणगढ़, नरेन्द्रपुरा, ढाणी बढ़वाला है ।

(ख) ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

(ग) जोरपुरा पंचायत जोबनेर नगरं-पालिका के चारों ओर फैली हुई है । जोबनेर नगरपालिका की सीमा पश्चिम में नहर, पूर्व में कोठी, छतरीवाली वाईवाली एवं शंकरवाली, दक्षिण में माताजी के पहाड़ की तलेटी, उत्तर में छतरियां हैं । इससे बाहर का क्षेत्र जोरपुरा पंचायत में आता है । क्षेत्र अलग अलग विभाजित है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : एक मील का रेडियस और बढ़ा दिया जाय, जैसा कि कायदा है । दोनों की सीमायें बना दें, पंचायत की और नगरपालिका की, तो ठीक रहेगा, यह मेरा सुझाव है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका सुझाव है, इस पर विचार किया जायगा ।

डॉ० चन्द्रकला : इस विभाजन में प्रकृति की एडवाइस का ध्यान नहीं रखा गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्राकृतिक एडवाइस....

डॉ० चन्द्रकला : जी हां, पहाड़ को पंचायत क्षेत्र में दे दिया गया है और पहाड़ की तलहटी नगरपालिका में मिली हुई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहाड़ की तलहटी तक नगरपालिका की सीमा है ।

डॉ० चन्द्रकला : आपने पहाड़ को पंचायत क्षेत्र में रख दिया है और नगरपा-लिका की सीमा पहाड़ की तलहटी तक रखी गई है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस संबंध में आप सुझाव देना चाहें तो दें, उस पर विचार किया जा सकता है ।

डॉ० चन्द्रकला : मैंने प्रश्न पूछा था कि जोरपुरा पंचायत आसपास के क्षेत्रों में भी अपना कब्जा जता कर लोगों को तंग करती है ? चराई की भूमि वगैरह के बारे में दिक्कत करती है इसलिए....

श्री जनार्दनराय नागर: वह देख रहे हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : देख रहे हैं । इस-लिए नगरपालिका और पंचायत क्षेत्र अलग अलग हो जायं तो झगड़ा मिटे ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : एक मील का रेडियस बढ़ा दिया जाय, जैसा कि कायदा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हमारे पास कोई शिकायत आई नहीं है कि कोई तकलीफ है। अगर हमारे पास सुझाव भेजें तो कार्यवाही की जायगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : आठ हज़ार की नीचे की आबादी के जो एरिया हैं, उनमें जो म्युनिसिपैलिटी है, उसको एक्ट के अनुसार पंचायत में कन्वर्ट कर सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपैलिटीज़ को स्वतंत्रता दी गई है अगर वे पंचायत में कन्वर्ट होना चाहें तो हो सकती हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चाहते तो हैं, लेकिन सरकार पार्टी पोलिटिक्स की वजह से नहीं करती। दरख्वास्तें भी दी हैं तो फिर पांच हजार से कम की आबादी के लिए म्युनिसिपैलिटी क्यों दी गई है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसका एक मील का रेडियस बढ़ा दें....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूं कि ऐसी म्युनिसिपैलिटी नहीं है जिसने पंचायत में कन्वर्ट होना चाहा हो और सरकार ने नहीं किया हो। हमने सबसे पूछा था लेकिन जवाब नहीं आया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करूं कि उनियारा म्युनिसिपैलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे पूछा गया। वह प्रजा का नुमाइन्दा हो नहीं सकता। प्रजा का म्युनिसिपैलिटी में चेअरमैन होता तो उसको मानते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास लिखा हुआ नहीं आया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां से लिखता कौन। आपने म्युनिसिपैलिटी भंग कर रखी है। आपने एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा, वह प्रजा का नुमाइन्दा नहीं हो सकता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो पंचायत का कानून बनाया है, उसमें यह रखा नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिसेन्ट्रलाइजेशन का कानून बनाया है, उसमें है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

अर्बन क्षेत्रों में हरिजन-सुधार की योजनाएं

४६१. **श्री रामचन्द्र** (डग-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि अरबन क्षेत्रों में हरिजन सुधार की योजनाओं में पचास प्रतिशत योगदान म्युनिसिपल बोर्डों की ओर से दिया जाता है ?

(२) क्या सरकार को यह विदित है कि इन स्वायत्त शासित संस्थाओं की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण इस प्रकार के योगदान देने में वे अपने आपको असमर्थ पाती हैं और इन योजनाओं के लाभ से हरिजन लोग वंचित रह जाते हैं ?

(श्री रामचन्द्र)

(३) क्या सरकार हरिजन सुधार हेतु इस प्रकार का प्रतिबन्ध हटाना अथवा इन संस्थाओं को जो सरकारी सहायता दी जाती है उसका ५० प्रतिशत हरिजन सुधार के लिये निश्चित करना उचित समझती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) हां, यह दिक्कत अवश्य है जिस पर भविष्य में विचार कर, यदि सम्भव हुआ तो हल निकालने की कोशिश की जायेगी।

प्रश्न संख्या ४६२

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

सहकारिता विभाग के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स

४६३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) इस विभाग में कितने और कौन कौन और कब कब से असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

(२) इनमें से कौन कौन असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पद के लिए पी. एस. सी. से एप्रूव होकर कन्फर्म्ड हैं और कौन कौन इस पद के नीचे के पदों पर कन्फर्म्ड हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो किसी भी पद पर कन्फर्म्ड नहीं हैं ?

(३) असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स में से कितने और कौन कौन ऐसे हैं जो दूसरे विभागों से लिए गये हैं ?

(४) ऐसे असिस्टेन्ट रजिस्ट्रारों ने कब कब सहकारिता विभाग में ए. आर. के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया था और सरकार द्वारा कब कब मंजूरी दी गई और उन्होंने कब से इस विभाग में कार्य करना शुरू कर दिया ?

(५) ऐसे अस्थाई ए. आर. जो दूसरे विभागों से आये हैं, उनकी लैन्थ ऑफ सर्विस क्या है तथा उनके कन्फर्म न होने के क्या कारण हैं ? पी. एस. सी. को कितनी बार इनके एप्रूवल एवं कन्फर्मेशन के लिए लिखा गया था और उस पर पी. एस. सी. का क्या निर्णय रहा !

(६) क्या यह सही है कि ऐसे ए. आर. जिनका पी.एस. सी. से एप्रूवल व सरकार से कन्फर्मेशन नहीं हुआ है वह केवल टेम्प्रेरी है ? यदि हां तो टेम्प्रेरी कितने अर्से तक रखा जा सकता है ? क्या इस श्रेणी के ए.आर. इस अवधि की परिधि से बाहर निकल चुके हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(७) क्या यह सही है कि ए. आर. व डी. आर. की नियुक्तियों के लिए नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें तथा यह बतायें कि ए. आर. एस. की नियुक्तियों में इनका कहां तक पालन हुआ है ?

Page No.27

सहकारिता मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) सहकारी विभाग में इस समय ४३ सहायक रजिस्ट्रार हैं। अन्य सूचनायें संलग्न सूची परिशिष्ट (क) के कॉलम २ व ३ में उपलब्ध हैं।

(२) इसका उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (क) के कॉलम ४ में उपलब्ध है।

(३) इसका उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (क) के कॉलम ५ में उपलब्ध है।

(४) इसका उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (क) के कॉलम ६ में उपलब्ध है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): रिटन रिप्लाई है क्या ?

(विराम)

माननीय मंत्री सदन की मेज पर रखेंगे तो हम क्या सुनेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : (५) इसका उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (क) के कॉलम ७ में उपलब्ध है।

(६) इसका उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (क) के कॉलम ८ में उपलब्ध है।

(७) जी हां, नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। सहायक रजिस्ट्रार्स की नियुक्ति इनके आधार पर ही की गई है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति इन रूल्स के आधार पर की जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, नियमों के आधार पर की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है, जिस प्रावधान के जरिये दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को इम्पोर्ट किया जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से इसमें प्रावधान है जरूर।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : प्रावधान नहीं है, मैंने बहुत गौर से पढ़ा है और देखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरे डिपार्टमेंट से सर्विस ट्रान्सफर बड़ी आसानी से करवाई जा सकती है अगर इस डिपार्टमेंट के नियमों में नहीं है तो गवर्नमेंट के जनरल नियमों के आधार पर दूसरे डिपार्टमेन्ट में जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इन रूल्स में प्रावधान है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन रूल्स में है नहीं। दूसरे सर्विसेज़ रूल्स में जरूर हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट एक विभाग में काम करता है, उस डिपार्टमेंट में वह जगह उठ जाती है तो वह दूसरे विभाग में काम कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन रूल्स में प्रावधान है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट्स खाली हो जाय तो इतनी पोस्ट्स प्रमोशन से भरी जाय और इतने नये असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नियुक्त किये जायं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें प्रमोशन देने के लिए पर्सेन्टेज है कि इतनी पोस्ट्स प्रमोशन से भरी जायगी, इतने डाइरेक्ट नियुक्त किये जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : जो दूसरे विभाग से इम्पोर्ट हुए हैं, उनका डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट समझा जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डाइरेक्ट में है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन रूल्स के अन्तर्गत गवर्नमेंट को डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट करने का प्रावधान रखा गया है, बाकी दूसरे अपॉइन्टमेंट करने का अधिकार नहीं है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो रूल्स हैं, उसमें अधिकार नहीं है । जो रूल्स में प्रोवाइडेड नहीं है, वह दूसरे तरीके से नहीं हो सकता ।

श्री श्रीभानसिंह : आप बता सकते हैं कि जब रूल्स में प्रोवाइडेड नहीं है तो आपने रूल्स को वॉयलेट करने के लिए स्टेप क्यों लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वॉयलेट कहां किया है, आप बतायें ।

श्री श्रीभानसिंह : रूल नम्बर सात है कि ५० प्रतिशत डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट व ५० प्रतिशत प्रोमोशन से पोस्ट्स भरी जायगी । इस हालत में डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट करके रूल्स को वॉयलेट करना गवर्नमेंट ने नैसेसरी क्यों समझा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अपॉइन्टमेन्ट नहीं किया गया है । मैंने कहा कि दूसरे डिपार्टमेंट में जो आदमी इक्वीवेलेन्ट पोस्ट्स पर काम करते थे, वे पोस्ट्स कमी में आ गई तो उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में आना चाहा । अगर दूसरा डिपार्टमेंट लेना चाहता है तो ले सकता है ।

श्री श्रीभानसिंह : तो क्या उन रूल्स में यह भी प्रोवाइडेड है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट में टेम्प्रेरी काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमिशन ने जिनको उस पोस्ट के लिए रिजेक्ट कर दिया है, उनको इस डिपार्टमेंट में टेम्प्रेरी लिया जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है । मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आन्सर नहीं दे सकता ।

श्री श्रीभानसिंह : तो फिर नाम लेना पड़ेगा, मन्त्री महोदय जानते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, हां, नाम ले लीजिये, १० दफा नाम ले चुके हैं और ले लीजिए, कौन घबराता है इससे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इम्पोर्टेड ऑफिसर्स, डाइरेक्ट रिक्रूटेड ऑफिसर न पी. एस. सी. द्वारा एप्रूव्ड हैं और न उनका कन्फर्मेशन ही हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सूची में दिया हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : इन रूल्स के माफिक इस तरह की नियुक्ति नहीं किये जाने का प्रावधान है, उसको गवर्नमेंट ने वायोलेट क्यों किया है ?

Page No.29

श्री नाथूराम मिर्धा : पी. एस. सी. की बिना एप्रूवल के भी गवर्नमेंट ६ महीने तक के लिये कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : इम्पोर्टेंड ऑफिसर्स का डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट मानते हैं, तो इन रूल्स को क्यों वायोलेट किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ६ महीने तक गवर्नमेंट बिना पी. एस. सी. की एप्रूवल के रख सकती है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या रूल्स में यह भी है कि बिना पी. एस. सी. एप्रूवल के ट्रेनिंग में भी भेज दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको जितना जोर लगाना है, लगा लीजिये, यह तो होगा ।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो आप फेवरिटिज्म कर रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप फेवरिटिज्म समझ लें, मैं फेवरिटिज्म नहीं समझता ।

श्री श्रीभानसिंह : Will you explain, Hon'ble Minister, as to the position of Shri Nahar Singh? was he not rejected by the Public Service Commission in the Panchayat Department? Why was he taken in the Co-operative Department ?

श्री नाथूराम मिर्धा : He was not at all rejected.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Public Service Commission approve and confirm his appointment in the Panchayat Department ?

श्री नाथूराम मिर्धा : He had not even gone before the Public Service Commission.

श्री श्रीभानसिंह : When he has served for so many years, why was he not sent for confirmation to the Public Service Commission by the Panchayat Department ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I cannot reply to this question. You should ask the Panchayat Department.

श्री श्रीभानसिंह : जब आप यह कहते हैं कि इस पोस्ट पर परमानेन्ट सर्विस पर रहा हो तभी लेना चाहिये, तो टेम्प्रेरी था तो क्यों लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कन्फर्म था या नहीं था, यह तो मैं कह चुका हूं। न कन्फर्म्ड थे न एप्रूव्ड थे, पंचायत विभाग में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर की पोस्ट नहीं रहने वाली थी इसलिए वे कोऑपरेटिव में आ गये। फेवरिटिज्म फेवरिटिज्म कह कर किसी आदमी के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता।

श्री श्रीभानसिंह : हम आपके पीछे हैं ही।

श्री नाथूराम मिर्धा : इतना जोर लगाया, और जोर लगा लेना, आप कर लेना.........पीछे पड़ के कर लेना।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! श्री रामचन्द्र ।

झालावाड़ जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हुआ सर्वेक्षण कार्य

४३८. श्री रामचन्द्र (डग सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) झालावाड़ जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितनी योजनाओं का सर्वे पिछले पांच वर्षों में किया गया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) इन पांच वर्षों में प्रतिवर्ष लघु सिंचाई योजनाओं के लिये कितना धन इस जिले के लिये मंजूर हुआ है और कितना धन खर्च किया गया और कितना लैप्स हो गया ?

(ग) अब कितनी योजनाओं का सर्वे करना विचाराधीन है ?

(घ) धन के लैप्स होने का क्या कारण था ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम-सारण) : (क) झालावाड़ जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत गत पिछले पांच वर्षों में निम्न योजनाओं का सर्वे किया गया :—

नाम योजना	तहसील
१. रीवां नदी	पंचपहाड़
२. सिंगपुर	,,
३. भोमा	,,
४. भोमरिया	,,
५. खानपुर	खानपुर
६. भाराड़	पंचपहाड़

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) निम्नलिखित योजनाओं का सर्वे करना विचाराधीन है :

१. रतानी	छाबड़ा
२. झासू	पाटन
३. राधिनपुरा	पंचपहाड़
४. धार	अकलेरा
५. पोपलाव	खानपुरा
६. घाटली	मकराना
७. सारोकला	कानपुर

(घ) नाका करने का काम पूरा कर दिया गया है । पिलासरा तालाब की कैचमेंट एरिया कम होने के कारण उसे ऊंचा किया नहीं गया और तालाब की मरम्मत करने का काम बन्द कर दिया गया है"।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का आखिरी हिस्सा यह है कि इस रकम के लैप्स होने का क्या कारण था, इसका जवाब नहीं दिया गया है। ४,१२,००० की रकम मंजूर हुई थी, इतना ही काम बताया

Page No.31

(श्री रामचन्द्र)

गया। बाकी की रकम क्यों लैप्स हो गई, इसका उत्तर नहीं दिया।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : यह अमाउन्ट माइनर इर्रिगेशन का है, वह लम्प सम मिलता है, लैप्स होने का सवाल नहीं है।

श्री रामचन्द्र : मेरा निवेदन है कि वह रकम लैप्स कर दी गई। सर्वेक्षण हो गया था तो रकम खर्च क्यों नहीं की गई, रकम खर्च की जानी चाहिये थी।

श्री दौलतराम सारण : रकम लैप्स नहीं हुई है, न होगी, यह आपको बता दिया गया है। सर्वे हुई है उसके अनुसार कई स्टेजेज़ होती हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, जिन जिन वर्क्स का सर्वे हुआ है, उनके एस्टीमेट्स बना रहे हैं, फिर सैंक्शन होगी।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया उसको देखिये कि ५ वर्ष सर्वे होने में लगा है और अभी तक एस्टीमेट्स भी नहीं हुए हैं। ४,१२,००० की रकम लघु सिंचाई के लिए रखी गई, उसका जिले को कोई फायदा नहीं पहुंचाने का कारण क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : जिले को फायदा पहुंचा है, इसकी सूची दी है, बाकी सर्वे की है, उसका तखमीना कर रहे हैं, काफी लम्बा काम है, यह बताया गया है कि ६ का सर्वे हो चुका है और ७ का होना बाकी है, दो योजनायें पूरी हो चुकी हैं। तो माननीय सदस्य कहते हैं कि कोई लाभ नहीं हुआ है, काफी लाभ पहुंचाया गया है, काफी काम हुआ है।

श्री रामचन्द्र : ५ वर्ष में ५ का सर्वे हुआ बाकी रकम लैप्स हो गई। दो योजनाओं के पूरे होने का कहा, वहां एक का काम रोक दिया गया है क्योंकि पाज ऊंची नहीं बनी, दूसरी से तो कोई फायदा नहीं हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : दूसरे की भी मरम्मत तो की गई है, उसके आस-पास के एरिया से उतना पानी आने वाला नहीं था इसलिए काम कराना व्यर्थ था। जिन जिन की सर्वे हुई है, तकमीने बन रहे हैं, जल्दी ही कार्य शुरू होगा।

श्री रामचन्द्र : दूसरे तालाब का काम छोड़ दिया गया था, क्या उससे कोई फायदा पहुंच रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री रामचन्द्र : उत्तर सेटिस्फेक्टरी नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : ४३६ प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

देसूरी व बाली तहसीलों को सिविल जज कोर्ट, पाली, के क्षेत्र में रखने के सम्बन्ध में

४३६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :

(श्री मूलचन्द डागा)

(क) पाली सिविल जज के कोर्ट में आज कुल कितने मुकद्दमात पेंडिंग हैं ? ,

(ख) क्या सरकार इन मुकदमों की संख्या को देखते हुए पाली जिले की देसूरी व बाली तहसीलों को इसी सिविल जज कोर्ट के मातहत वापिस रखने का इरादा करती है ?

(ग) क्या यह सही है कि बाली सब-डिविजन के बार एसोसियेशन ने भी मांग की थी कि हमारा सिविल जज कोर्ट पाली ही रहना चाहिये तथा भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री बापना ने भी अपनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था ।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) दिनांक १ फरवरी, १९६०, तक ३१४ मुकद्दमात पेन्डिंग थे ।

(ख) यह प्रश्न कार्यपालिका को न्याय पालिका से पृथक करने तक स्थगित है ।

(ग) बाली के वकीलों ने भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन किया था कि उनको सिविल जज न्यायालय में मुकदमे पेश करने के लिए पहले पाली जाना पड़ता है और मुकदमों के हस्तान्तरित हो जाने पर सुनवाई के लिए सिरोही जाना पड़ता है, किन्तु उनको कोई आपत्ति नहीं होगी यदि बाली एवं देसूरी तहसीलों के क्षेत्र को सिरोही में हस्तान्तरित कर दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास : ४४७ का उत्तर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : कल प्रश्न था वही है करीब करीब ।

स्वयत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): हां, अध्यक्ष महोदय, करीब करीब वही है ।

श्री अध्यक्ष : दोनों के साथ उत्तर दे दीजियेगा ।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of order Sir, अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्नोत्तर के समय में मन्त्री महोदय के ये शब्द यदि प्रोसीडिंग्स में आ गये हों कि आप तो खूब जोर लगाते जावें, यही होगा, क्वेश्चन के समय इस तरह की चैलेंजिंग लैंग्वेज में कहना कि कुछ भी करते जाओ कितना ही जोर लगा लो, यही होगा। यदि ये शब्द प्रोसीडिंग्स में आ गये हों और आप उन्हें अनुचित समझते, हों तो उन शब्दों को प्रोसीडिंग्स से निकालने की आज्ञा देंगे । नहीं तो यदि दूसरे मन्त्री महोदयों पर इनका असर हो गया और जोर लगाने का उन्होंने कह दिया तो इससे बड़ी गम्भीर अवस्था पैदा हो सकती है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ये शब्द तो रहने चाहिये, शोभा देते हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : It shows their standard, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): ये शब्द तो प्रोसीडिंग्स में आये होंगे तो कोई खास बात नहीं, पर मौन तरीके से कुछ और भी कहा गया, वह प्रोसीडिंग्स में आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मौन तरीके से कही गई मौन तरीके से ही समझ लें।

विधायी कार्य

१२.१०. म. प.

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर मत-दान।

मांग संख्या १५-शिक्षा

(अग्रेतर वाद-विवाद)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मांग पर काफी समय लग गया है इसलिये अब इस पर बहस जल्दी समाप्त करें ताकि दूसरी मांगों पर बहस जारी की जा सके। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपा कर ५ मिनट में अपने कट मोशन पर भाषण समाप्त कर दें, चाहे उनके कट मोशन्स एक से ज्यादा हों। अगर इस तरह से करेंगे तो सब को बोलने का अवसर भी मिल जाएगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जिनके चार या पांच कट मोशन्स हैं उनको भी पांच ही मिनट में समाप्त कर देना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल यह है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बाद में सारे बचे हुए कट मोशन्स को बन्द करना होगा।

श्री पी० के० चौधरी : आप अब उन पर गुलेटिन लगा दें।

श्री अध्यक्ष : मैं यह चाहता हूं कि सबको बोलने का अवसर मिले....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): मैं यह निवेदन करूंगा कि रोड्स, स्कूल्स आदि के लिये जो मामले हैं वे तो माननीय मंत्री महोदयों को फोरवर्ड कर दिये जावें और जो जनरल कट मोशन्स हैं उनको ले लें।

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है। अगर कोई ऐसी बात सामान्य इन्ट्रेस्ट की हो तो उस पर बोलें, अन्यथा गवर्नमेंट की तरफ से तो सब का जवाब मिल ही जावेगा।

[उपरोक्त मांग पर निम्न सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

रावराजा श्री सरदारसिंह:

४१. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (उनियारा हाई स्कूल को हायर सेकन्डरी करने पर विचार करने हेतु)

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

87. That the Demand No. XV Major head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure the Government to provide a Girls' Schoo l in Uniara).

श्री चन्दनमल वैद :

42. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To draw the attention of the Government for raising the GovernmentGirls' middle school at Sardarshahr to High School)

43. Demand No.XV, Major He 37-Education be reduced by Re. 1/- (To draw the attention of the Government for opening a Polytechnic at Sardarshahr)

44. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To draw the attention of the Government for opening a Junior technical school in Churu District)

श्री चन्दनमल वैद :

66. That the Demand No. XV, Major head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government in checking fraud committed by private institutions in the name of education).

श्री मोतीलाल चौधरी :

४५. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय

(प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में बहस करने के लिये)

68. That the Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the syllabuses for different classes).

श्री दलीपसिंह :

५१. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (जिला कोटा में हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने में पक्षपात पर बहस करने हेतु)

६६. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (देहाती पाठशालाओं के अध्यापकों पर की जानेवाली सख्ती पर बहस करने हेतु)

श्री अनूपसिंह :

52. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 100/- (To discuss mis-managemet of schools in the rural areas)

श्री सोहनलाल भटनागर :

५४. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्कूल्स के मुख्याध्यापकों की अधिकतम ग्रेड R.A.S. के समकक्ष करने पर बहस करने हेतु)

५५. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (माध्यमिक शालाओं में सामान पर बहस करने हेतु)

५६. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (गैर

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की गिरी हुई स्थिति पर बहस करने हेतु)

५७. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा के स्तर में गिरावट पर बहस करने हेतु)

श्री दयाकृष्ण विजय :

५८. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (माध्यमिक कक्षाओं में संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य करने हेतु)

५६. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राध्यापकों के वेतन स्तर प्रशासनिक अधिकारियों के समान किये जाने के साथ २ शिक्षकों के वेतन स्तर में भी वृद्धि की जावे)

६०. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (विद्यालयों से बढ़ रही अनुशासन हीनता को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के पाठयक्रम में धर्म को स्थान दिया जावे)

श्री मनोहर कोठारी :

82. That the Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of Government to give proper grade to V. T. C. and J. T. C. trained teachers).

83. That the Demand No. XV, Major head 37- Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to prepare uniform grant-in-aid rules for private educational institutions).

84. That the Demand No. XV Major head 37- Education be reduced by Re 1/-(To discuss the failure of the Government to provide a degree college at Nathdwara).

85. That the Demand No. XV Major head 37- Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to raise the primary Girls' School to middle school standard at Amet).

श्री रामचन्द्र :

८६. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, विवाद करने के लिये)

श्री शिवनाथसिंह :

६४. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (झुंझुनू में Three years Degree course कालेज खोले जाने पर बहस करने हेतु)

६५. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (Inspector of Schools, District Jhunjhunu द्वारा पंचायत समितियों को दी गई घड़ियों की खरीद में धांधली पर बहस करने हेतु)]

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एज्युकेशन की मांग पर एक कटौती का प्रस्ताव है और वह यह है कि उनियारा हाई स्कूल को हायर सेकन्ड्री में परिणत किया जाए । अध्यक्ष महोदय, जब से उनियारे ठिकाने की शिक्षण संस्थाओं का १६५४ में राज्य सरकार में विलिनीकरण हुआ उस समय मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और १५ या २० प्राइमरी स्कूलें थी। उसके बाद में अलीगढ़ मिल गया तो अब वहां पर ४६ के करीब प्राइमरी स्कूलें और करीब करीब ४ मिडिल स्कूलें और एक हाई स्कूल है। हमने कई दफा प्रश्नों के द्वारा इस तरफ माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया तो आपने यह फरमाया कि इसके लिये काइटेरिया यह है कि हायर सेकन्ड्री बनावे तो उसके आस पास १४ मील में कोई दूसरी हाई स्कूल नहीं हो और दूसरी बात यह है कि वहां पर छात्रों की संख्या काफी हो और मैं यह निवेदन करूं कि जब हमारे मंत्री महोदय २० जनवरी, १६५८, को वहां पधारे और भाषण दिया तो उनके भाषण का इतना असर हुआ कि जब उन्होंने फरमाया कि कम से कम मेट्रिक में ५० लड़के होने चाहिये और १३ या १४ मील में कोई दूसरा हाई स्कूल नहीं हो, ६वीं में ५०-६० लड़के होने चाहिये और इस तरह से चीफ मिनिस्टर ने फरमाया कि लड़कियों की संख्या भी ६ ठी क्लास में १ और ५वीं में २ थी, आपने फरमाया कि ७वीं कक्षा में १० लड़कियें और ६ ठी कक्षा में कम से कम ३० लड़किये होनी चाहिये। मैं बड़ा अभारी हूं कि उन्होंने उनियारा में जो भाषण दिया उससे वहां पर अब हाई स्कूल में ४५० करीब लड़के हैं ५० या ६० लड़के तो मैट्रिक में और ६० या ७० लड़के मिडिल में और ७वीं में ८ या ६ लड़कियें और स्कूल में लड़कियों की तादाद करीब ६५ के है। मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि जहां पर न तो कोई बिल्डिंग है न कोई छात्रों की संख्या है वहां पर तो आपने हायर सैकन्ड्री स्कूल खोल दी और हमारे यहां इतनी सहूलियतें होते हुए आप नहीं खोल रहे हैं। अब तो भवन भी अच्छा बन गया है। मैं बड़ा भाग्यशाली रहूंगा कि आपके कर कमलों से उसका उद्घाटन हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री): लालच हो जावेगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह: लेकिन मुझे आपसे पूरी उम्मीद है और मैं माननीय राजस्व मंत्री से भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी मेरी मदद करें क्योंकि आपकी सरकार की यह मंशा है कि शिक्षा का प्रचार हो और ज्यादा लड़कियों में हो, तो मैं यह कहूंगा कि वहां लड़कियों के लिये एक स्कूल भी ठिकाने ने संभलाई थी। वह बिल्डिंग वर्षा की वजह से खराब हो गई और उसके बाद में राजपूत बोर्डिंग हाउस में लड़कियें पढ़ने लगीं। वह भी आज बगैर मरम्मत के पड़ा है और गिर गया है। अब भी पहले की हाई स्कूल थी उसमें मिडिल स्कूल है, उसमें प्राइमरी स्कूल करके डबल शिफ्ट चलाते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि चीफ मिनिस्टर उनियारा की प्रजा पर दया अब तो करें और किसी के कहने में न आवे और हायर सैकन्ड्री जरूर करें क्योंकि वह हायर सैकन्ड्री के लायक है।

अध्यक्ष महोदय ने चूंकि यह आदेश दिया कि संक्षेप में ही कहा जावे, अतः मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा । मैं आशा करता हूं

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

और मुख्य मंत्री व राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस पर जरूर ध्यान दिया जावे।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो चुरू जिले में जुनियर टेक्निकल स्कूल और सरदार शहर में पोलिटेक्निक इन्स्टीट्यूशन खोलने की मांग की है, इससे मेरी मंशा यह कतई नहीं है कि चुरू जिले में शिक्षा पर कम खर्च हो रहा है या सरदारशहर पर कम खर्च हो रहा है। मेरी मंशा यह है कि चूरू जिले की स्थिति दूसरे जिलों से भिन्न है। अभी दो-तीन दिन पहले बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि बीकानेर में कुछ कम पैसा खर्च किया गया है और उदयपुर में ज्यादा खर्च किया गया है, उधर से उदयपुर वालों ने कहा और सलुम्बर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि गंगानगर में राजस्थान केनाल और भाखरा आदि पर बहुत खर्चा हो रहा है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि खर्चा हो रहा है। लेकिन कुछ माननीय सदस्य इस बात को कहेंगे कि बीकानेर में चूरू भी शामिल हो जाता है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि न तो वहां भाखरा से कोई फायदा होने वाला है और न राजस्थान केनाल से कोई फायदा होने वाला है न वहां पर कोई दूसरी उन्नति के कार्य हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कहूंगा कि चूरू जिले के ६ लाख आदमी मज़दूरी करने के लायक रह जावेंगे। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि पड़ौस में ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे लोगों को फायदा मिलेगा और हमें तो खुशी है कि पड़ौसी के घर में बेटा हो तो उसके लिये भी हमें खुशी होती है। मगर हम तो केवल मामूली मजदूर रह जावेंगे। हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां के लोगों को टेक्निकल शिक्षा मिल जावे ताकि वे टैक्निकल लेबरर होकर ज्यादा पैसा कमा सकें। इसलिये मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं और वहां पर पोलिटेक्निकल और टेक्निकल स्कूल खोलने की जरूरत है। इसलिये मैंने यह मांग प्रस्तुत की है वह वाजिब है। इसके अलावा सरदारशहर मिडिल स्कूल को गर्ल्स हाई स्कूल में करने के लिये प्रस्ताव किया है, वह भी वाजिब है। हमारे यहां नसीराबाद की प्रोब्लम पैदा हो गई वह नहीं होनी चाहिये लड़कों की शिक्षा पर हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं मगर लड़कियों की शिक्षा पर कम खर्च करते हैं। हम लड़कों की शिक्षा के लिये ६ करोड़ रुपया खर्च करते हैं तो लड़कियों के लिये सिर्फ ६० लाख खर्च करते हैं, इसलिये हमें इससे ज्यादा खर्च करना चाहिये। हम सब इस बात को मानते हैं कि सरदारशहर में गर्ल्स हाई स्कूल की जरूरत है। वहां पर टाटियाजी जो एस. पी. हैं वे एक बिल्डिंग बना कर दे रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि आप सरदारशहर की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिणत कर देंगे और टैक्निकल स्कूल के लिये मैंने जो मांग की है वह भी वाजिब है क्योंकि वहां की ६ लाख की आबादी है, वे लोग तो केवल मजदूरी करने के लिये ही रहेंगे। उनके पास इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर हम स्किल्ड लेबरर होंगे तो १॥ रु० के बजाय तीन-चार रुपये मिलेंगे। इसलिये मैंने ये तीनों कटौती के प्रस्ताव रखे हैं और इनको मैं पेश करता हूं। आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इसको मंजूर करने की कृपा करेंगे।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में और दूसरा सिलेंस के सम्बन्ध में।

अपने कटौती प्रस्ताव रखने से पहले मैं अपनी तरफ से सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि वह बधाई की पात्र है कि पिछले पांच-छ: वर्षों में शिक्षा में काफी प्रगति की है। यह सफलता काफी महत्वपूर्ण है। मुझे उन दिनों की याद है जब कि गांवों में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल नहीं थे, जब कि आज प्राय: एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल मिलता है। इसके साथ ही साथ राज्यपाल महोदय के भाषण के अन्दर भी यह प्रकट किया गया कि ६ से ११ साल के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था राजस्थान के सब कोनों में हो जावे। इससे ज्यादा एजुकेशन की प्रगति किसी स्टेट में शायद ही हो। कम से कम राजस्थान में यह व्यवस्था होने जा रही है जब कि पहले यहां पर खास कर जागीरी इलाकों में यह नियम था, जोधपुर स्टेट में यह नियम था कि बिना जागीरदार के हुक्म के कोई भी जागीर में स्कूल नहीं बन सकता था। उस समय इस राज्य में ऐसी बात थी। इसलिए मैं सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था कर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तक ही शिक्षा का आधार न रहे क्योंकि जो बच्चे आज प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं वे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए द्योतक हैं जब कि आज समाजमें अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, काफ़ी अशिक्षित हैं। जो आज का हमारा पंचायती राज्य का और सरकारी राज्य का ढांचा है वह इस समाज की पीढ़ी पर निर्भर है। सम्पूर्ण राजस्थान आज के रहने वालों पर निर्भर करता है। इसकी प्रगति और पंचायती राज्य की अखंडता आज के इसी समाज पर निर्भर करती है। इसलिए मेरा यह कटौती का प्रस्ताव था। आज हमारे समाज के १०० में से ६० व्यक्ति अशिक्षित हैं उनमें से ५० प्रतिशत तो प्रौढ हैं। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। उनकी व्यवस्था होने की दृष्टि से मैं माननीय मुख्य मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठाये हैं उनसे भी अधिक कदम प्रौढ़ शिक्षा के लिए उठावें। आज की पीढ़ी इस आजादी का फायदा देखना चाहती है। यह जिम्मेदारी भी इस समाज पर है कि वह किस प्रकार से इस पंचायती राज्य को चलाये, समाजवाद में सहकारिता के आधार को कायम रखे। प्रौढ़ शिक्षा में सामाजिक ज्ञान हो और अक्षर ज्ञान हो। हमने एक सेमिनार में यह तय किया कि जो प्राइमरी स्कूलस के टीचर्स हैं वे कम से कम एक घंटा नियमित रूप से प्रौढ़ शिक्षा के लिए काम करें। उनके काम के घंटे ८ से ७ कर दिये गये हैं। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रोग्राम या व्यवस्था नहीं बनायी है। जिस तरह से प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज के लिए व्यवस्था की है उसी प्रकार का प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी प्रोग्राम बनावें, वह सम्पूर्ण ढंग से हो जिससे आज समाज में जो अशिक्षित हैं, सामाजिक ज्ञान से अनभिज्ञ हैं उनको सामाजिक ज्ञान से और अक्षर ज्ञान से परिचित करा सकें। अक्षर-ज्ञान से

(श्री मोतीलाल)

भी अधिक हम यह चाहते हैं कि प्रौढ़ों को सामाजिक ज्ञान अधिक मिले। हर एक ब्लॉक में एक दो एस. डी. ओज़ हैं लेकिन उनके खुद के ही ज्ञान को देखें तो वास्तव में वे उनको सामाजिक ज्ञान नहीं दे सकते। जिस प्रकार से एजुकेशन के लिए व्यवस्था की वैसे इसके लिए सुन्दर व्यवस्था नहीं है कि जिससे यह कहा जा सके कि कितनी पर्सेन्टेज अशिक्षित जनता है उसको एक दो वर्ष में कितना कवर अप कर सकेंगे ? न तो सुन्दर व्यवस्था ही है और न कन्ट्रोल करने की कोई विशेष स्थिति ही अपनाई गई है। ब्लॉक वाइज़ भी इसके लिए व्यवस्था नहीं है। पब्लिसिटी वान गांवों में जाती है, लेकिन यह देखने के लिए व्यवस्था नहीं है कि कितनी शिक्षा दी गई और उसका क्या लाभ हुआ। वास्तव में इसको कन्ट्रोल करने के लिए भी कोई साधन नहीं जुटाये गये हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूंगा कि दूसरे दूसरे विभागों द्वारा शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है वह सब शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कर देना चाहिए। जैसे पब्लिसिटी वान है, इसका कन्ट्रोल न तो पंचायत समितियों के, न जिला परिषदों के और न ही शिक्षा विभाग के हाथ में। कहीं गयी तो गयी, नहीं तो नहीं। कितने ही सुझाव जिला परिषदें और पंचायत समितियाँ उनको देती हैं, लेकिन वे मानते नहीं। शिक्षा विभाग के पास यह हो तो इससे पता चल सकता है कि कितना खर्चा हुआ और उसका उपयोग क्या हुआ ? जैसे इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की ओर से ट्रेनिंग स्कूल चलते हैं, समाज कल्याण विभाग की ओर से भी स्कूल्स चलते हैं। उनके डिस्ट्रिक्ट्स में इन्सपेक्टर्स रहते हैं। मुश्किल से एक–दो डिस्ट्रिक्ट में तीन चार मिलते हैं। मुश्किल से एक दो प्रौढ शिक्षण संस्था मिलती हैं, एक ऑफिसर बैठा रहता है। उसको कन्ट्रोल करने वाला नहीं है, खर्चा भी होता है। चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इन सब विभागों के द्वारा इस ओर जो खर्चा किया जाता है वह सब ही शिक्षा विभाग की ओर से होना चाहिये। यह खर्चा यदि शिक्षा विभाग की ओर से व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार कराया जाय तो अधिक उसका उपयोग हो सकता है क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए एक विशेष महकमा है, एज्युकेशन मिनिस्टरी काफी सुन्दर ढंग से मजबूत है, शिक्षा की सारी व्यवस्था राजस्थान में उसके जरिये होती है। आपने टैक्निकल डाइरेक्टर एजुकेशन को रखा है, उसके पास बजट बनेगा। कहीं खादी ट्रेनिंग चल रही है, कहीं बुनकर ट्रेनिंग चल रही है, कहीं पर पाम गुड़ ट्रेनिंग चल रही है, समाज के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से स्कूल्स चल रहे हैं, अलग अलग खर्चा होता है, उन पर कोई विशेष जिस प्रकार का कन्ट्रोल होना चाहिये, कन्ट्रोल नहीं है, उनके काम की विशेष छान बीन नहीं है। मेरे पास ऐसे नमूने हैं। इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग पाये हुए आदमी हैं, उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं लेकिन एक दो साल से उनको कोई नौकरी नहीं मिलती, वे काम पर नहीं लगाये जा सके। अगर इसी तरह से इस काम को उन विभागों के हाथों में ही छोड़ देंगे तो उचित नहीं होगा और उससे हमारा खर्चा भी होता जावेगा और कोई फायदा विशेष नहीं होगा।

(श्री मोतीलाल)

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज का ज्ञान बढ़ाने के लिए सबसे बड़े दो तरीके हैं। एक तो हम सिनेमाज़ से और सामाजिक ड्रामाज से शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा की अज्ञानता को दूर करने के लिए, समाज में ज्ञान पैदा करने के लिए किस प्रकार के ड्रामा बनायें, ग्रामों में स्टेजेज़ हों और उससे लोगों को शिक्षा मिले। शिक्षा सम्बन्धी भी सिनेमा हैं, मैं पहले ही हाउस में कह चुका हूं कि राजस्थान में जितने सिनेमाज़ हैं उनको हमको नेश्नलाइज़ कर लेना चाहिये जितनी शिक्षा दे रहे हैं इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा दीजिये। आज हम देखते हैं कि स्टूडेन्ट्स की मोरेलिटी पर सिनेमाज़ का कितना असर होता है ? आज जिसके पास हाउस है वह चाहे सिनेमा फिल्म शो करें या नहीं। तमाम सिनेमाज़ को नेश्नलाइज़ कर लेने से अधिक फायदा होगा, विशेष प्रकार की फिल्में बनाने से भी अधिक फायदा होगा और एक सप्ताह में अनपढ़ लोगों को वे दिखावें तो उससे उनको अधिक ज्ञान मिल सकता है और समाज के लिए अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री अर्जनदास (अजमेर पश्चिम) : कांग्रेस वाले भी फ्री जा सकें ?

श्री मोतीलाल : फ्री कोई नहीं देखेगा, फ्री तो आप लोग ही देखते हैं ।

तीसरा मेरा सुझाव था रेडियो के बारे में। गांवों में जो पंचायतों को रेडियो दिये गये हैं उन पर कुछ संगीत ऐसे गाये जाते हैं जिस पर कंट्रोल होना चाहिये । ऐसे प्रोग्राम्स भी उनमें होने चाहिये जिनसे एडल्ट लोग फायदा उठा सकें। एडल्ट एज्युकेशन का सिस्टम यह भी हो सकता है जिसमें रेडियो द्वारा अच्छी शिक्षा मिल सकती है। विदेशों में हमने देखा है, रेडियो की मार्फत हैल्थ डॉमेस्टिक ट्रेनिंग तक दी जाती है। इसमें अधिक से अधिक एडल्ट एज्युकेशन के लिये पीरियड रहे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा रेडियोज़ जो सरकार द्वारा पंचायत समितियों को दिये गये हैं वे अच्छे दिये जांय। रेडियो जो दिये गये हैं उनके बारे में कुछ शिकायतें मिलती हैं। पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट द्वारा रेडियो खरीदे गये, खरीदने के बाद में वे काफी दिनों तक काम में नहीं आये। मेरा यह भी निवेदन है कि रेडियो प्रोग्राम्स की मार्फत हम टैक्निकल और सोशियल एज्युकेशन के प्रोग्राम भी दे सकते हैं। इस संबन्ध में हमारा प्रोग्राम हो कि हम तीन सालों में कितने आदमियों को शिक्षित कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा समाजवाद लाने का लक्ष्य है और उस जनता को शिक्षित करने का भी लक्ष्य है, जो अनपढ़ है। मुश्किल से गांव में आज कोई पढ़ा-लिखा आदमी मिलता है, मामूली पढ़ा लिखा मिल जाता है तो उसीको सरपंच बनाना पड़ता है और इस तरह से उसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन चला जाता है। आज हम देखते हैं कि कुछ पर्सेन्टेज भी हम अनपढ़ आदमियों को शिक्षित नहीं कर सके। शिक्षा विभाग को चाहिये कि हमारा समाजिक शिक्षण का जो कार्यक्रम है उस बारे में जो हमने टार्गेट निर्धारित किये हैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयत्न करें।

इसके अलावा दूसरा कटौती प्रस्ताव अलग अलग स्तर पर किये जाने वाले सिलेबस से सम्बन्धित है। आज हम जिस तरीके को

(श्री मोतीलाल)

चला रहे है, जहां हम समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं वैसी हालत में हमारी शिक्षा पद्धति भी समाजवादी होनी चाहिये। आज हम सब जानते हैं देश के समस्त नेता लोग भी यह कहते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति में बदल आना चाहिये। प्राइमरी और हाई स्कूल की जो शिक्षा होती है, कम से कम उसमें ऐसे वर्ग के लोगों के लिये जिनका जो जो धंधा हो उनको उस उस प्रकार की शिक्षा मिले। मान लीजिये एक किसान का लड़का है या मजदूर है, उसको हाई स्कूल तक इतनी ट्रेनिंग मिल जाय जिसमें मॉडर्न मेथड से किस प्रकार खेती का काम कर सके आदि का सही रूप से ज्ञान हो जाय, कोऑपरेटिव का ज्ञान हो जाय, सर्विस कोऑपरेटिव आदि का ज्ञान शुरू से ही हो जाय तो वे आगे जीवन में सुचारू रूप से चल सकते हैं इस प्रकार की सारी एलीमेन्टरी नोलेज होनी चाहिये। राजस्थान के अन्दर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां एग्रीकल्चर की शिक्षा मोडर्न मेथड से मिल सकती हो! आज हम देखते हैं जो कृषि को आगे लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिये मोडर्न मेथड से शिक्षा देने का और टैक्निकल शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। जो स्कूलें हैं वहां पर भी इस तरह का इन्तज़ाम नहीं है। गंगानगर के इलाके में जहां गंगनहर है राजस्थान नहर से और हम सिंचाई करना चाहते हैं वहां पर भी बेटर व्हीट आदि के रिसर्च के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यह बात मानी हुई है कि केवल गवर्नमेन्ट लेबोरेटरीज़ में जो परीक्षण करके बीज आता है उससे वे इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज हम यूरोप, अमेरिका आदि देशों में देखते हैं आप युनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका को ले लीजिये, जहां का एवरेज उत्पादन सब से अधिक है, वहां आपको काश्तकार एम० एस सी; बी० एस सी मिलेंगे। वहां जितनी भी डेवलपमेन्ट की स्कीम्स हुई हैं १६० स्कीम्स का रिसर्च काश्तकारों के खेतों में हुआ है, प्राइवेट फार्मस हैं उनमें हुआ है और गवर्नमेन्ट लेवल पर १०० रिसर्च हुये हैं, फर्टीलाइजर्स आदि के रिसर्च ज्यादातर प्राइवेट फार्म्स में हुए है, प्राइवेट लेबोरेटरीज में हुए हैं इसलिये जब तक हम प्राइवेट फार्म्स के अन्दर इस प्रकार की एक्टीविटीज़ को शुरू नहीं करेंगे, पढ़े-लिखे किसान तैयार नहीं करेंगे तब तक हम देश का अन्न उत्पादन उतना नहीं बढ़ा सकेंगे जितना कि अन्य देशों में बढ़ा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में यह सब ज्ञान हाई स्कूल तक आ जाना चाहिये। समाजवादी दृष्टिकोण से, पंचायत राज्य के दृष्टिकोण से राजस्थान के अन्दर रॉ मटेरियल की भी कमी नहीं है, लेकिन आज किसी भी पढ़े-लिखे आदमी की हिम्मत नहीं कि वह इन्डस्ट्री कायम कर सके क्योंकि उनको टैक्निकल ज्ञान होता नहीं। यह सब आपको फोरिन में मिलेंगे। हॉलैन्ड में आप चले जाइये वहां पर स्कूल से निकलते ही डेयरी फार्म वहां के लोग कर सकते हैं, लाइव स्टाक का काम कर सकते हैं क्योंकि उनको वहां इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग मिलती है। मैं इस पक्ष में नहीं कि आप बच्चों को स्कूलों में तकली कातना सिखावें, चरखा चलाना सिखावें, ८० प्रतिशत लोग जहां कृषि करने वाले हों वहां के लोगों को उसी प्रकार की शिक्षा के लिये बेसिक ट्रेनिंग देने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये।

(समय—समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री मोतीलाल)

इसके संबन्ध में मैं दो एक सुझाव देता हुआ समाप्त कर दूंगा। जनरल बात कहनी थी। बी० ए० और एम० ए० क्लासेज़ है उनके अन्दर बेसिक ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये और इस तरह से बी० ए० तक के सिलेबस में बदल होनी चाहिये।

हमारा एज्युकेशन का सिस्टम भी डिसेन्ट्रलाइज होना चाहिये सैकन्डरी बोर्ड भी चुना हुआ बोर्ड होना चाहिये और युनिवर्सिटी के सिनेट का भी चुनाव होना चाहिये। यहां का सिस्टम भी रिजिड है, कुछ लोगों के हाथों में जमा हुआ है, इसमें आम जनता की वोइस नहीं है। सिनेट की जो पद्धति बनी हुई है उसमें भी बदल होना चाहिये। मुझे याद है, २ अक्टूबर को विश्व विद्यालय द्वारा कुछ लोगों को ओनरेरी डॉक्टर की उपाधि दी गई जिनमें से एक तो हिन्दुस्तान के केपिटलिस्ट हैं। यह ठीक है कि उन्होंने पिलानी के अन्दर कुछ शिक्षण संस्थाओं को चला रखा है। दूसरे कोटा के महाराज को ओनरेरी डॉक्टर की उपाधि दी गई, कोटा के हिज़ हाईनेस की कोई शिक्षा के क्षेत्र में सेवा नहीं, हिस्टोरियन नहीं फिर भी उनको उपाधि दी गई। राजस्थान युनिवर्सिटी राजस्थान की सब से उच्च कोटि की शिक्षण संस्था है ....

श्री रामचन्द्र (डग सु०): इस प्रकार की ओनरेरी डिग्री सब जगह दी जाती है।

श्री मोतीलाल : ओनरेरी डिग्री भी उनको देनी चाहिये जिनकी कोमन मासेज़ के लिये सेवा हो, कोमन मासेज़ की जिसके प्रति श्रद्धा हो। मैं यह मानता हूं कि बिड़लाजी ने पिलानी में कुछ किया और कोटा रावजी ने अस्पताल बनवाया। पर उनके मुकाबले में कई दूसरे सेवाभावी लोग बैठे हैं। वे काफी सेवा कर रहे हैं। तो ये चीजें, यह सम्मान किसी पैसे वाले का विचार करके नहीं, पर सेवा का विचार करके दी जानी चाहिये, जो वास्तव में कामन मासेज़ की सेवा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका कट मोशन इसके बारे में नहीं है।

श्री मोतीलाल : मैंने डिसेन्ट्रलाइजेशन का उदाहरण दिया। इसी तरह इसके शासन-व्यवस्था में भी डीसेन्ट्रलाइजेशन को स्थान देना चाहिये। इससे काम में काफी प्रगति होगी। माननीय मुख्य मन्त्रीजी को भी इसका अनुभव है। इसलिये हर जिले में एक एजूकेशन एडवाइज़री कमेटी बने और कलेक्टर को भले ही इसका आप हैड रक्खें ताकि उस जिले की सही स्थिति और व्यवस्था आदि की जानकारी ठीक ढंग से वे सरकार को दे दें। नागौर का मैं उदाहरण दे दूं। उसमें कौनसी टैक्निकल एजूकेशन होनी चाहिये, उसको कैसे चलाया जावे, इस बारे में हम ज्यादा सही सलाह दे सकते हैं जिलों की स्थिति को देखते हुए, इस तरह से आपको राय ठीक मिलेगी। इससे सरकार को भी सुविधा होगी वैसे शिक्षा विभाग में जो हमारी प्रगति हुई है वास्तव में वह बहुत सुन्दर हुई है। अपनी आय का २२ पर्सेन्ट इसमें खर्च कर रहे हैं, यह इस स्टेट की शोभा की बात है। पर वैसे हम इससे भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसे भी इस के नीचे लाया जावे ताकि पब्लिक को मालूम हो कि हम इतना खर्च कर रहे हैं।

(समय—समाप्ति सूचक घंटी).

(श्री मोतीलाल)

इसके साथ मैं, शिक्षा पद्धति की जो उन्नति, प्रगति की है, मंत्रीजी को बधाई देता हूँ और आशा करता हूं कि इस प्रगति और भी ज्यादा होती रहे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दलीपसिंह ।

श्री दलीपसिंह (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मेरे इस मांग पर कटौती के दो प्रस्ताव हैं ।

एक तो कोटा जिले में हाई स्कूल खोलने में जो पक्षपात की नीति बरती गई है उस पर है । इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और दूसरा प्राइमरी स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनको जो कठिनाइयां पेश आ रही हैं उनके सिलसिले में रखना चाहता हूं । गवर्नमेन्ट उनकी तरफ ध्यान दे और उनको रफा करने की कोशिश करे ।

पहले मैं हाई स्कूल के मुतल्लिक अर्ज करूं कि तहसील हैड क्वार्टर कैनवास में हाई स्कूल न खोलते हुए एक पड़ौस में पांच मील पर जगह है वहां हाई स्कूल खोल दी गई । यह तो अच्छा किया जो हाई स्कूल वहां भी खोली । पर कैनवास जो तहसील हैड क्वार्टर है और सभी तरह से उसका हक है वहां हाई स्कूल खोली जाय । मैं इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक तो गवर्नमेन्ट की नीति यह है कि पहले तहसील हैड क्वार्टर पर खोले और फिर दूसरी जगहों पर । पर इस मामले में ऐसा हुआ कि दूसरी जगह खोल दी गई पर इस को नजर अन्दाज कर दिया गया । हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी की सिफारिश भी इसके लिये थी। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स की और उस वक्त के डिप्टी डाइरेक्टर की इच्छा थी, उस वक्त लोगों को यह आश्वासन था, तरजीह दी गई थी लोगों को कि आप चन्दा इकट्ठा करिये, बिल्डिंग बनवाइये, आपके यहां हाई स्कूल खोल दी जावेगी । डिप्टी डाइरेक्टर और इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के ऐसे आश्वासन पर लोगों ने १८-२० हज़ार रुपया भी इकट्ठा किया और बिल्डिंग भी बनवाई । पर इसके बावजूद भी किसी के असर में आकर, गवर्नमेन्ट ने उस केस को नजर अन्दाज किया और हाई स्कूल वहां नहीं खुली अभी तक । तो जो जो वहां विशेषताएं हैं मैं उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तो वहां भवन भी काफी उपलब्ध हैं और विद्यार्थियों की तादाद भी काफी है, तहसील हैड क्वार्टर है, सरकारी कर्मचारी भी काफी हैं, एलोपैथिक डिस्पेन्सरी है, तारघर और टेलीफोन घर हैं, पुलिस स्टेशन है व पिछले तीस सालों से वहां मिडिल स्कूल चल रहा है । आबादी वहां की काफी है और तीन तरफ से सड़कों के मिलान पर है और बरसात में वहां आने जाने को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि वहां मेहरबानी करके कैनवास में हाई स्कूल खोला जाय । वहां के लोगों में इससे उत्साह बढ़ेगा । वहां के लोगों ने काफी पैसा सरकारी अधिकारियों के आश्वासन पर खर्च करके बिल्डिंग बनाई, अगर अब नहीं खोला जावेगा तो उनको निराशा रहेगी और आइन्दा डेवलपमेन्ट के कामों में वे ध्यान देने के लिये लापरवाह रहेंगे क्योंकि वे कहेंगे कि पहले हमारा इतना रुपया खर्च कराकर गवर्नमेन्ट

(श्री दलीपसिंह)

के आश्वासन के बावजूद भी हाई स्कूल नहीं खोली तो गवर्नमेन्ट का आगे किस बात पर विश्वास करें ।

दूसरा देहाती अध्यापकों के मुतल्लिक यह अर्ज करना है कि एक तो उनको रिहाइश की तकलीफ रहती है देहातों में उनके लिये कोई स्कूल बनाते हैं, पाठशाला खोली जाती है तो वहां अध्यापक के लिये रहने को कुछ न कुछ प्रोविजन होना चाहिये ताकि उनको रहने की कठिनाई न हो ।

दूसरा यह है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए पंचायत समितियों ने प्रस्ताव पास किया है कि दो घंटे तक अध्यापक रात्रि को पढ़ाई करावें, प्रौढ़ों को पढ़ावें । लेकिन इसके लिए उनको मुआवजे का किसी तरह का कोई प्रोवीजन नहीं रक्खा गया और एक तरह से तो पहले ही प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक बहुत लो पेड हैं और मेरे ख्याल में सब सर्विसेज़ से लो पेड हैं और दूसरी तरफ उनसे यह चाहा जावे कि वे अपना समय दो घंटे रात्रि को और फ्री दें, और इस तरह ओवर टाइम में और मेहनत करें, हर रोज और मुआवज़ा न लें यह उनके साथ ज्यादती है । मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा । उनको कुछ न कुछ अलाउन्स, जैसे दो घंटे पढ़ावें तो कम से कम १५) रुपया का अलाउन्स तो जरूर होना चाहिये माहवार का उनको ।

दूसरा यह है कि जो शरणार्थी अध्यापक है उनको आठ-आठ, दस-दस साल होने आये, वे बिचारे काम तो कर रहे हैं पर उनका इन्टीग्रेशन नहीं होने से उनको जिस तनख्वाह पर वे पहले काम कर रहे थे वही तनख्वाह आज आठ-आठ, दस-दस साल बाद भी मिल रही है । उनको कोई तरक्की नहीं मिल रही है, यह सरकार के विचारने की बात है । उनके साथ बहुत बेइन्साफी हो रही है । मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं यह निवेदन करता हूं कि जो दो बातें मैंने अर्ज की हैं सरकार उनकी तरफ जरूर ध्यान देगी । इस आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है : "That the Demand No XV, Major Head 37—Education be reduced by Rs. 100/- (to discuss mis management of Schools in the rural areas.) मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव इस मांग पर रक्खा है । मैं इस पर एक ब्रौड तरीके से यह अर्ज किया चाहूंगा कि हमारे रूरल एरिया में स्कूलें तो खुलीं, यह मैं मानता हूं पर स्कूलों की क्वान्टिटी के साथ में स्कूलों की किसी तरह से क्वालिटी सुधरे यह अभी तक नहीं हो पाया । इसके कई कारण हो सकते हैं । कुछ का मैं आपके सामने वर्णन करके यह दर्शाना चाहूंगा कि ऐसे वे कौन से कारण हैं जो हटाये जाने योग्य होते हुए भी हटाये नहीं जा रहे हैं ।

सबसे पहले तो हमारे गांवों में यह रहता है कि हम इस तरह के टीचर और हैड मास्टर भेजते हैं जो आपस में इत्तफाक करके चल भी नहीं सकते । यह बड़ी दु:खद बात है कि हैड मास्टर एक अपनी पार्टी

(श्री अनूपसिंह)

बना कर रहता है तो उसके नीचे के मास्टर अपनी एक अलग पार्टी बना कर चलते हैं और इस तरह उनमें अनुशासन हीनता आती है। इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और वे एक दूसरे मास्टर की खिल्ली उड़ाकर वहां के इस अनुशासन के वातावरण को बिगाड़ कर चलते हैं। इसमें बहुत हद तक मैं मानूंगा कि हैड मास्टर जो कि वहां का एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वह निष्पक्ष होना चाहिये। अगर और मास्टर आपस में लड़ते हैं तो उनको बचाये, न कि वह अपनी अलग पार्टी बना कर एक अमुक मास्टर का पक्ष ले और दूसरे का विरोध करे। यह आजकल हमारे स्कूलों में ऐसी बिमारी घुस गई है जिसकी वजह से हमारी स्कूल का डिसिप्लिन जैसा रहना चाहिये और जो नैतिक स्तर होना चाहिये जो शिक्षा ग्रहण करने का स्तर होना चाहिये था वह बहुत ही नीचे गिर रहा है। इससे विद्यार्थियों में और उनके पेरेन्ट्स में निराशा की भावना पैदा हो गई है, जिसको निकाला जाना बहुत ज़रूरी है। अब मास्टर आपस में लड़ते क्यों हैं? उसके कई तरीके और कई वजह हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि एक मास्टर ने ट्यूशन कर ली, दूसरा नहीं चाहता कि वह ज्यादा ट्यूशन करे। एक एक मास्टर के पास तीन तीन ट्यूशन हैं और एक के पास बिलकुल भी नहीं है और हैड मास्टर एक दूसरी पार्टी को आपस में टकराता है। या तो आप ऐसा प्रावधान कर दो कि एक ही ट्यूशन रखी जाये, दो ट्यूशन रखी जायें, ३ ट्यूशन रखी जायें। मेरा मतलब है, कुछ हद रखी जाये और यह चैक रखा जाये कि क्या वह मास्टर इतना समय बचा सकता है कि प्रिपेयर्ड होकर स्कूल में आये और स्कूल की क्लास को अच्छी तरह से कोच कर सके। अब उसके साथ ही साथ यह सवाल भी उठता है कि जब मास्टरों की तनख्वाह और उनके रहन सहन का ढंग, उनके मकानों की कोई सुविधा नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं तो मास्टर इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि मैं एक दो ट्यूशन करके किसी प्रकार और इन्कम कर लूं, यह स्वाभाविक चीज़ है। मैं मानता हूं कि उनको इस तरह की ट्यूशन का टाइम मिलना चाहिए और फिर कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो कि एक्सट्रा कोचिंग चाहते होंगे। अगर वह ट्यूशन करते हैं तो कोई एतराज नहीं है लेकिन ट्यूशन को लेकर आपस में लड़ते रहें और हैड मास्टर पक्षपात करता रहे तो यह चलने वाली बात नहीं है। मैंने यहां तक देखा है कि इसके पीछे मास्टरों में हाथा-पाई हो गई और मार-पीट हो गई। अगर ऐसा वातावरण होता गया और वहां कोई इन्क्वायरी भी इसकी नहीं होती, किसी को पनिशमेन्ट नहीं मिलता, किसी को अवॉर्ड नहीं मिलता आखिर यह जो ढीला-ढाला ढांचा है उससे जो हमारी पढ़ाई का स्तर है वह बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है। आप जांच कराइये कि हैड मास्टर किस तरह से एक दूसरे को आपस में भिड़ाते हैं। लड़के भी मास्टरों की पक्षपात में होकर अपना टाइम जाया करते हैं और स्कूल का सारा काम बरबाद हो जाता है। अब इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि मास्टरों को वे सुविधायें दी जांय जिनकी वजह से वे वहां टिकें और वह इस तरह से होगा कि आप उनको अलाउन्सेज़ इस तरह के दें कि वे अच्छे मकान ले सकें और अच्छी तरह से रह सकें। जब तक यह

(श्री अनूपसिंह)

अच्छी तरह व्यवस्था नहीं होगी तब तक शिक्षकों के अन्दर इस प्रकार की भावना पैदा नहीं कर सकते कि तुम्हारा एक मिशन है और उसको तुम्हें पूरा करना है। अगर आप मिशन को बिना फेसिलिटीज़ के रखेंगे तो वह पूरा नहीं होगा। यह स्वाभाविक है कि जो जरूरी चीजें हैं उनको वे महसूस करते हैं और वे उनको होनी चाहिये मकानों की फेसिलिटी या दूसरी फेसिलिटीज़ इनके पास होनी चाहिये। उसके अलावा जो आप बारबार मास्टरों के ट्रान्सफर्स कर देते हैं इससे भी डिससेटिस्फेक्शन होता है। जिस ट्रान्सफर को पंचायत समिति चाहती है या आप चाहते हैं या अध्यक्ष चाहता है या पंच चाहते हैं कि अमुक मास्टर यहां रहे और वह ठीक काम कर रहा है, तो आप उसका सही समय पर और कभी कभी तो मिड-टर्म में ही ट्रान्सफर के ऑर्डर्स कर देते हैं। तो इस तरह से उनके अन्दर क्या भावना होगी कि वह अपना अच्छा रिज़ल्ट बनायें, ट्रांसफर के समय नहीं पूछा जाता कि उसने क्या काम किया है, उसके काम का कोई वैल्युएशन ही नहीं। उसको हटाया जाता है इसलिए कि एक आपका ट्रांसफर करने का जनरल रूटिन बना हुआ है। जब किसी मास्टर के लिए पंचायत समिति कह देती है तो फिर उसको हटाने की क्या जरूरत है? इस तरह से आप स्कूल के वातावरण को बिगाड़ते हैं और स्कूल में जो जमे हुए मास्टर हैं उनको आप रूटिन की तरह हटा देते हैं, उससे आपकी शिक्षा का स्तर और भी नीचे जाएगा। बच्चों के अन्दर और उनके पेरेन्ट्स के अन्दर वह कॉन्फीडेन्स नहीं रहेगा। साथ ही साथ मैं और अर्ज करूंगा कि ग्राम पंचायतों की सिफ़ारिश पर कुछ नहीं होता। होता वही है जो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स तय करता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : क्या आप प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स के बारे में कह रहे हैं ?

श्री अनूपसिंह : मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बारे में कह रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : २ अक्टूबर के बाद प्राइमरी स्कूल जो पंचायत समितियों को ट्रान्सफर हुये हैं उनके टीचर्स को बिना उनकी राय के हटाने का अधिकार नहीं है। अगर पंचायतों की बात आती है तो २ अक्टूबर के बाद जो प्राइमरी स्कूल्स ट्रान्सफर्स हुए हैं उनके होने के बाद ऐसा हुआ हो तो आपकी बात वाजिब हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पर्टिक्युलरली आप कहें कि कहां ऐसा हुआ, ताकि उस पर हम एक्शन ले सकें।

श्री अनूपसिंह : २ अक्टूबर के बाद भी हुये हैं और उसके पहले भी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो आप स्पेसिफिक उदाहरण दें, क्योंकि हमारे यहां ऑर्डर्स हैं कि बिना पंचायत समितियों के कन्सल्टेशन के प्राइमरी स्कूल्स के मास्टरों का ट्रान्सफर नहीं कर सकते। इसलिये कहां ऐसा हुआ है आप बता दें उसका हमें भी लाभ होगा।

श्री अनूपसिंह : बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ। उसमें प्रधान के रिकमन्ड करने पर कि आप अमुक टीचर को क्योंकि वह

(श्री अनूपसिंह)

जमा हुआ है ट्रान्सफर मत करो, पर उसी रूटिन के चक्कर की फॉर्मेलिटी में पड़कर कर दिया गया। फिर भी पंचायत समिति की सारी सिफ़ारिशों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा करें तो अच्छा रहेगा। मैं अर्ज करूंगा कि आपने स्कूलें बढ़ाई लेकिन जो फेसिलिटीज़ बेसीकली स्कूलों में रहनी चाहिये वे नहीं है। जैसे फर्नीचर होना वहां पर जरूरी है, उसके बिना स्कूलों का चलना बहुत मुश्किल है। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जहां कि हैड मास्टर लिखते हैं इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को कि हमें फ़र्नीचर दिलवाइये या कोई और चीज दिलवाइये तो उसके ऊपर तवज्जोह नहीं दी जाती है और यह कह देते हैं कि हम टेन्डर कॉल कर रहे हैं और जिस तरह की डिलेइंग टैकटिक्स का रवैया हमारे यहां पड़ा हुआ है उसको देखते हुए हैड-मास्टर तंग आ जाते हैं। आखिर यह होता है कि सेशन खत्म हो जाता है और सामान उनको नहीं मिलता है और टेन्डर्स को इन्स्पेक्टर ऑफ़ स्कूल्स पास नहीं करता है। मैं यह अर्ज करूंगा कि फिर आखिर यह कहें कि टीचर्स ठीक नहीं हैं, लड़के ठीक नहीं हैं तो उसके लिए यह देखना पड़ेगा कि बेसिक फेसिलिटीज़ जो सब स्कूलों के अन्दर होनी चाहिए वे हैं या नहीं। अगर नहीं होती हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्टेन्डर्ड ऊंचा बढ़ जाय, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत मुश्किल होगा।

(घंटी)

१ म० म०

फिर अर्ज करता हूं कि बालोतरा में, एक मिसाल के तौर पर अर्ज करूंगा कि वहां पर गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग को एक्सपेन्ड करने के लिए बहुत दिनों तक कोशिश की गई। गांव वालों से आश्वासन लिया गया तो गांव वालों ने आश्वासन दिया कि हम इतने हजार रुपये उसमें लगाने को तैयार हैं लेकिन आज तक पता नहीं कि उसका क्या हुआ? उसके साथ साथ बालोत्तरा में एक बोर्डिंग हाउस है, वहां पर लड़के रहते हैं लेकिन वह बिल्डिंग बोर्डिंग हाउस कहलाने के लायक नहीं है। अन्दर जाकर खड़े होते हैं तो यह ख्याल हो जायगा कि कहीं छत हमारे ऊपर आकर नहीं पड़ जाय, उसका इन्स्पेक्शन करने में डर लगेगा और हम कहते हैं कि शिक्षा का स्टेन्डर्ड ऊंचा हो गया है। मैं अर्ज करूंगा कि आगे हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बेसिक फेसिलिटीज़ को ध्यान में नहीं रखकर केवल क्वान्टिटी को बढ़ाते जायेंगे तो कोई फायदा नहीं है। उनको पहले कन्सोलिडेट कर दें; पूरी तरह से इक्विप कर दें और इक्विप करने के बाद में ठीक नहीं होता है तो कह सकते हैं कि टीचर्स की गलती है, लड़कों की खराबी है या किसी तरह की दूसरी बात कह सकते हैं। बेसिक फेसिलिटीज़ नहीं देते हैं। बालोत्तरा में बोर्डिंग हाउस को जाकर देखेंगे तो बोर्डिंग की यह हालत है कि कोई बच्चा नहीं ठहर सकता है, लेकिन बच्चे अपनी जान के ऊपर रिस्क लेकर पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। जायं तो कहां जायं। लाचार हैं!

आगे मैं और अर्ज करूंगा कि जहां पर जिन गांवों में, जिन शहरों में, छोटे-मोटे कस्बों में आपको किसी तरह का आश्वासन दिया गया कि इतने हज़ार रुपये जमा कराते

Page No.48

(श्री अनूपसिंह)

हैं तो उन आश्वासनों की अवहेलना करके, धन देने और श्रमदान के आश्वासन की अवहेलना करके जहां से कुछ नहीं मिलता है, कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता है, जहां पर जनता से श्रमदान नहीं मिलता है, धनदान नहीं मिलता है वहां पर स्कूल खोल दिये जाते हैं, वहां पर फेसिलिटीज़ मुहैया हो जाती हैं, लेकिन जहां पर जनता चाहती है, मेहनत करके, धन देकर कुछ करना चाहते है तो वहां पर रेस्पेक्ट नहीं करते हैं । इसी वजह से लोगों में निराशा हो रही है कि सभी चीज़ वहीं हो सकती है जहां पर कि कांग्रेस पार्टी का कोई खींचने वाला हो, अन्यथा नहीं हो सकती है । मैं इन्हीं शब्दों को दोहराना नहीं चाहता, बहुत दोहराये जा चुके हैं । हमें इस बात को मानकर चलना पड़ेगा कि कई कहते हैं कि कांग्रेस का कोई सदस्य है वह करवा सकता है, दूसरा नहीं करवा सकता है । छोटी-मोटी चीजों में....

श्री रामचन्द्र (डग म्यु.) : शिक्षा के प्रसार में सर्वोपरि है कांग्रेस सरकार, तो कैसे रुकावट डाल सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता है ?

श्री अनूपसिंह : यह आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री, शिक्षा): आपकी कॉन्स्टिटुएन्सी में जो स्कूल वगैरह खुले हैं वहां की नजीर देकर बतलाएं कि कहां पर कांग्रेस वालों की वजह से खुले हैं और दूसरी जगह पर नहीं खुले हैं । वहां का तो आपको भी याद है और मुझे भी याद है ।

श्री अनूपसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि मेरा जो कट मोशन है वह सारे रूरल एरियाज़ के लिए है, किसी खास जगह के लिए नहीं किया है । आज हमारे जिले के अन्दर ही नहीं, पूरे डिवीजन के अन्दर जो गड़बड़ है उसके लिए है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके डिस्ट्रिक्ट में तो ठीक है ।

(हंसी)

श्री अनूपसिंह : हमारे यहां भी बहुत सी होंगी ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप नाम बताइये, एकाध का तो ।

श्री अनूपसिंह : नाम भी बता दूंगा लेकिन नाम का असर नहीं होता है तो नाम बताने का मतलब क्या है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि इस बात को यहां पर माननीय सदस्य सीरियसली नहीं लेकर इस बात को उड़ा दें, यह दूसरी बात है । लेकिन जो फैक्ट्स हैं वे यह हैं कि अगर आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा । अगर आपकी पार्टी की प्रेस्टिज बढ़ सकती है तो वह चीज़ होगी, अगर प्रेस्टिज नहीं बढ़ती है तो नहीं करेंगे । यह मानी हुई चीज़ है, यह मैं मानता हूं ।

(१. ५ म. प.)

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

श्री दलीपसिंह (बारां) : आप पार्टी को दोष क्यों देते हैं, गवर्नमेन्ट को दोष दें ।

श्री अनूपसिंह : एजूकेशन, शिक्षा में आप चाहते हैं कि कुछ स्तर ऊंचा आये तो जो बेसिक फेसिलिटीज़ में कमी हैं उनको पूरा करें। टीचर्स के ट्रान्सफर्स को लेकर, उनके ग्रेड्स को लेकर जिस तरह का डि-सेटिस फेक्शन है उन सबको लेकर आपको मानना पड़ेगा कि something is missing. आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप में कुछ मिसिंग है, जिससे कि आज कुछ काम नहीं हो पा रहा है। आप मानकर चलें कि आपके यहां पक्षपात पूरा है और उसी पक्षपात की नीति से यह हो रहा है कि हमारा स्टेन्डर्ड ऊंचा नहीं आ रहा है और जिस तरह के घोटाले और जिस तरह का ढीलापन एज्युकेशन डिपार्टमेंट में दिख रहा है उतना ढीलापन और कहीं नज़र नहीं आ रहा है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे कट मोशन्स ५४ से लेकर ५७ तक हैं।

"५४. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७, शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (हाई स्कूल व हायर सेकन्डरी स्कूल्स के मुख्याध्यापकों की अधिकतम ग्रेड आर० ए० एस० के समकक्ष करने पर बहस करने हेतु)।

५५. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७, शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (माध्यमिक शालाओं में सामान पर बहस करने हेतु)।

५६. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७, शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की गिरी हुई स्थिति पर बहस करने हेतु)।

५७. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७, शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षा के स्तर में गिरावट पर बहस करने हेतु)।"

इस वर्ष का सबसे प्रशंसनीय कार्य जो सरकार का हो सकता है वह यह है कि लेक्चरार्स की ग्रेड को उन्होंने आर० ए० एस० के बराबर कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूलों के हैडमास्टर्स के ग्रेड का उठा हुआ है। मेरे ख्याल से लेक्चरार्स को डाइरेक्ट युनिवर्सिटी से आते ही वह ग्रेड मिल जाता है और जो हैडमास्टर्स होते हैं वे काफी एक्सपीरियेन्स्ड होते हैं। वे पहले १०–१५ वर्ष वर्क करते हैं उसके बाद में हैडमास्टर्स नियुक्त होते हैं, मेरे ख्याल से इसी दृष्टिकोण से देखते हुए सरकार ने हायर सेकन्डरी स्कूल्स के हैडमास्टर्स की इनीशियल पे २५०) रु० के बजाय ३००) रु० कर दी है। अब प्रश्न केवल इतना सा है और बिल्कुल साफ है कि उनका मेग्ज़ीमम ग्रेड भी आर० ए० एस० के बराबर कर दिया जाय और आर० ए० एस० का ग्रेड लेक्चरार्स के लिए इसी दृष्टिकोण से किया गया है कि अच्छे से अच्छे आदमी आयें और उनमें स्थायित्व रहें। इसी दृष्टिकोण से हैडमास्टर्स का ग्रेड, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी होल्ड करते हैं और जिनको अधिक पॉवर्स होते हैं, भी उनके बराबर कर दिया जाय। इन सारे दृष्टिकोणों से और उनके अन्दर स्थायित्व की भावना बनाये रखने के लिए यह बात जरूरी है कि उनका ग्रेड आर० ए० एस० के मिनिमम के बराबर तो कर दिया लेकिन अगर मेग्ज़ीमम ग्रेड के

(श्री सोहनलाल भटनागर)

भी बराबर कर दिया जाता है तो सरकार के ऊपर विशेष भार नहीं होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, जो मेरे दूसरे कटौती के प्रस्ताव हैं उनसे बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग में काफी विकास हुआ है। कुछ वर्ष पहले तीन करोड़ रुपया खर्च किया जाता था, उसके बजाय अब ६ करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो हमारे टार्गेट्स थे उनको एचीव ही नहीं किया है लेकिन उससे डेढ़ गुना या दुगुना ही हुआ है। इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न एक्सपेन्शन के साथ में कन्सोलिडेशन का भी आता है। शिक्षा के स्तर के बारे में मेरे ख्याल से सोच-विचार करना बहुत आवश्यक है। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। जिस तरह से छात्रवृद्धि अभियान के कारण से छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन उस प्रोपोर्शन से अध्यापकों की वृद्धि नहीं हुई है। पुराने अध्यापक १००-१५० छात्रों को कैसे कन्ट्रोल कर सकता है?

इसी तरह से कई स्कूलों में जहां पर साइन्स की क्लासेज़ खुली हैं वहां एक-एक, दो-दो वर्षों से साइन्स टीचर्स नहीं है और न कोई लेबोरेटरी है। इन सारे दृष्टिकोणों से शिक्षा के लिए जो इक्विपमेंट होने चाहिए, जो अच्छे छात्र और अच्छे नागरिक बनाने के लिए चीज़ होनी चाहिए वह नहीं है। मेरे खयाल से जब इतना एक्स-पेन्शन हो गया है तो उसका कन्सोलिडेशन भी किया जाय। इसलिए यदि एक वर्ष के लिए एक्सपेन्शन रोक भी दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा और कन्सोलिडेशन जो कुछ एक्सपेन्शन हुआ है उसका करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

दूसरा प्रस्ताव शिक्षा के स्तर के बारे में है। यह केवल राजस्थान की ही नहीं सारे हिन्दुस्तान की समस्या है कि शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट है। इसका मुख्य कारण शिक्षा का विकास है। हमें जो कुछ करना है उस पर देखना होगा कि यह गिरावट क्यों है? एक तरफ तो सरकार का ध्यान गया है और दूसरी तरफ शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान भी इस ओर गया है,लेकिन मर्ज दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। शिक्षा पद्धति या वातावरण में जो कुछ त्रुटियां है उनको दूर करना होगा। एक तरफ तो बढ़ोत्तरी होती रहे और दूसरी तरफ स्तर में गिरावट होती रहे तो मेरे खयाल से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा प्रस्ताव है वह खास तौर से निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में है। सदन के अन्दर और बाहर भी दूसरी जगह निजी शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक ग्रान्ट दी जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए और नियमों में परिवर्तन करने के लिए काफी मांग की जाती है। जो किताब हमें कल सक्युलेट की गई है उसमें बताया गया है कि ५ पर्सेन्ट शिक्षा संस्थाओं का मैनेजमेंट प्राइवेट पार्टीज़ के हाथों में है। मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा के प्रसार में रेस्ट्रिक्शन किया जाय, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि निजी संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं और सरकार हर वर्ष आर्थिक सहायता दे रही है,

Page No.51

(श्री सोहनलाल भटनागर)

बढ़ा रही है और यह आर्थिक सहायता लेने का वे अपना अधिकार मानती हैं तो उसके साथ में ही उनका कर्त्तव्य है, उनके अन्दर कार्य करने वाले जो अध्यापक हैं, उनकी तनख्वाह और नौकरी के नियमों में कुछ परिवर्तन किया जाय।

आज हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले जितने अध्यापक वगैरह हैं उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। उनकी सिक्योरिटी आॅफ सर्विस नहीं है, उनको बिना कारण बताये बरखास्त कर दिया जाता है, उनके प्रोविडेन्ट फंड आदि की पूरी व्यवस्था नहीं है, ग्रेड नहीं है। कई अच्छी अच्छी प्राईवेट संस्थाओं में भी यही हाल है। उदाहरण के तौर पर मैं विद्याभवन के बारे में कहूंगा, वहां पर श्री सोनी हैं जो राजस्थान भर में बुनियादी शिक्षा के बारे में अच्छे जानकार हैं। उनके स्वतंत्र विचारों के कारण उनको वहां से निकाल दिया गया लेकिन आज भी वे बैठे हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन उस संस्था को दिया है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि ऐसी संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापक या कर्मचारी हैं उनकी सर्विस कंडीशन्स को नियमन किया, जाय कि यह नहीं उनको आर्थिक कठिनाई में डाला जाय। मैं यह नहीं कहता कि केरल की तरह यहां भी शिक्षा पर पाबन्दी लगाई जाय। लेकिन कई संस्थाएं प्राइवेट ऐसी हैं जो चंदा वगैरह इकट्ठा नहीं करती हैं जैसा कि कायदा है कि २० पर्सेन्ट संस्थाएं खुद देती हैं और बाकी ८० पर्सेन्ट के करीब सरकार देती है, लेकिन दरअसल में होता यह है कि अध्यापक वगैरह जो भी कर्मचारी वहां पर काम करते हैं उनको उतनी ही रकम दी जाती है जितनी उनको सरकार से मिलती है, यानी २० पर्सेन्ट कटौती कर लेते हैं, इस बात से माननीय सदस्य भली प्रकार से परिचित हैं। इन संस्थाओं की दयनीय दशा को देखते हुए उनके प्रति सरकार को जागरूक रहना चाहिए और नियमों में परिवर्तन करना चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, मेरे मांग संख्या १५, शिक्षण के अन्तर्गत तीन कटौती प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य करने के लिये है। संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य किया जाय, इस विषय पर मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे समाज मे संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन का बड़ा महत्व है। प्रारम्भ में जब हम अंग्रेजी दासता से गुजर रहे थे तब हमें बताया गया था कि संस्कृत भाषा एक मृत भाषा है और अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो इन्टरनेशनल है, इसलिये हमने संस्कृत भाषा को भुलाकर अंग्रेजी भाषा को मन लगा कर पढ़ा और आज भी अंग्रेजी का इतना प्राधान्य है कि जिस संस्कृत भाषा को मृत भाषा कहा गया, उस पर पुनर्विचार करने के लिये आज भी तैयार नहीं हैं। हम स्वतंत्र हो गये हैं और देश का निर्माण अपनी प्राचीन संस्कृति के आधार पर करना चाहते हैं। परन्तु दुःख यह होता है कि इस प्रकार की बात केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही होकर रह जाती है। नाच-गान जंगल में भी ठहरने के स्थानों पर हो जाता है। लेकिन समाज का विकास केवल नाच, गान या सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है। इसके लिये हमें शिक्षा की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा । सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कोई माध्यम हो सकता है तो वह संस्कृत भाषा के द्वारा ही हो सकता है। संस्कृत से इस समय हम नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन संस्कृत पुरातन काल से चली आने वाली सभ्यता की प्रतीक है उससे यदि हमें लोगों को परिचित कराना है तो उसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम संस्कृत भाषा का प्रसार और प्रचार करें और शिक्षण संस्थाओं में इसको प्राथमिकता दें ।

हमारे संविधान में हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार किया है और यह भी कहा है कि हिन्दी में शब्द संस्कृत से लिये जायेंगे और उनका प्रयोग किया जायगा। यदि हम यह चाहते हैं कि राजस्थान में १ अप्रेल से राज्य का काम-काज हिन्दी भाषा में किया जाय तो हमें उसके लिये प्रयत्न भी करना पड़ेगा। लेकिन इस विषय में जिस प्रकार के ख़्यालात हमको देखने को मिलते हैं उनके अनुसार लोग कहते हैं कि हिन्दी में जो अनुवाद हमें मिलता है वह कठिन है, समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य होता है । यदि आप इस प्रकार की हिन्दी नहीं चाहते हैं तो कौनसी हिन्दी चाहते हैं ? क्या इस प्रकार की हिन्दी चाहते हैं जिसमें अंग्रेजी शब्दों का बाहुल्य हो या अरबी फारसी के शब्द हों ? हिन्दी तो हिन्दी ही होगी और उसमें संस्कृत भाषा से ही शब्द आयेंगे । हो सकता है कि बोलने की भाषा में कुछ अंतर आ जाय, लेकिन राज-काज में जिस भाषा का उपयोग करना है या पुस्तकों में जिस भाषा का उपयोग करना है उसके लिये तो संस्कृत भाषा की ओर ही ध्यान देना पड़ेगा।

लोग कहते हैं कि आज जो हिन्दी है वह एक व्यक्ति डॉक्टर रघुवीर की बनाई हुई है । आखिर एक व्यक्ति ने इसके लिये प्रयत्न किया है और उसमें सार है । आलोचना के लिये एक दो शब्द बताये जांय कि ये डॉ० रघुवीर के हैं लेकिन आखिर देखना है कि उन्होंने पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से उनको छांटा है और उनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। केवल उसको आलोचना का विषय बनाकर मज़ाक पर नहीं टाला जा सकता। आज हमने देखा है कि गांवों के लोग उनको पढ़ते हैं तो वे हमसे अच्छा समझ सकते हैं, जो एक्ट वगैरह जाते हैं उनको अच्छी तरह से वे लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना जानते हैं उनकी समझ में आसानी से नहीं आयेगा, परन्तु जो प्रारम्भ से ही हिन्दी में पढ़ते हैं वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं । गांवों के लोग कभी इस पर आपत्ति नहीं करते इसका कारण यह है कि वे लोग हमेशा से संसर्ग में रहे हैं इसलिये मैं कहूंगा कि हिन्दी को हम जो अनिवार्य कर रहे हैं उसके लिये संस्कृत भाषा पढ़ना आवश्यक है। पहले हमारे यहां श्री मथुरालालजी शर्मा डाइरेक्टर थे, उन्होंने ६ ठी कक्षा से संस्कृत पढ़ना अनिवार्य कर दिया था और माध्यमिक शालाओं में भी संस्कृत पढ़ना लाजिमी था, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि अब इसको स्थगित कर दिया गया है। संस्कृत को अनिवार्य रूप से शुरू किया था उसको खत्म इसलिये कर दिया गया कि अध्यापकों की कमी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है। लेकिन यह कोई दलील नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि माध्यमिक शालाओं तक ही इसको सीमित न रखकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये भी इसे अनिवार्य करना चाहिये ताकि आनेवाली पीढ़ी यह नहीं कहे कि हिन्दी कठिन है। यदि हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि संस्कृत को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये अनिवार्य किया जाय। तो मेरा यह कटौती प्रस्ताव है संस्कृत भाषा को माध्यमिक शालाओं तक अनिवार्य करने के बारे में।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है प्राध्यापकों का वेतन स्तर प्रशासनिक सेवाओं के वेतन स्तर के बराबर कर दिया गया है तो अन्य शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाना चाहिये, इस बारे में। आज शिक्षकों का वेतन स्तर अन्य कई कर्मचारियों से भी कम है। आज द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत काफी स्कूलें खोली जाती हैं और वहां पर जिन अध्यापकों को भेजते हैं उनको जो आदेश देते हैं वे कठोर होते हैं। गये वर्ष कोटा इन्सपेक्टोरेट से २५०० ट्रान्सफर्स किये गये थे। जब लोगों ने देखा कि इतने ट्रान्सफर्स हुए हैं तब टेलीफोन किये गये और सिफारिशें जाने के बाद करीब आधे से ज्यादा ट्रान्सफर्स स्थगित करने पड़े। कारण यह कि जहां आने जाने का मार्ग नहीं वहां ट्रान्सफर्स कर दिये जाते हैं। आप उन अध्यापकों को केवल ४०—५० रुपये देते हैं, उनके लिये रहने का कोई स्थान नहीं, अन्य कोई सुविधा नहीं, वहां उनको ट्रान्सफर करके भेज दिया जाता है। मुख्य मंत्रीजी को मालूम है कि कोटा में ढाई हजार ट्रान्सफर्स किये थे और उन्होंने रोकने का आदेश फरमाया था। आज हम देखते हैं कि गांवों में शफाखाने खोलने की बात आती है तो डॉक्टर को वहां जाने के लिये १५ रु० देते हैं डॉक्टर वहां जाते हैं तो अलग अलाउन्स देते हैं। लेकिन टीचर्स ने क्या बिगाड़ा है, जिनको गांव में जाने के लिए आप कोई अलाउन्स नहीं देते। उनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, पढ़ाने के लिए भी कोई अच्छा स्थान मिल जाय, इसका कोई प्रबन्ध नहीं है। ये प्रबन्ध आपने पंचायत समितियों के सुपुर्द कर दिये हैं, लेकिन मास्टरों के रहने के लिए कोई सरकार की तरफ से प्रबन्ध नहीं है, इसके लिए प्रबन्ध करना पड़ेगा। मास्टर कहां रहेगा, इसकी चिन्ता करने वाला कोई नहीं है। जो मास्टर पंचायत समितियों के अन्दर में चले गये हैं, विकेन्द्रीकरण के बाद नये सेटअप के समय जो पंचायत समितियों में टीचर्स रह गये, उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि वे वहीं रहना चाहते हैं या नहीं, वहां से ट्रान्सफर चाहते हैं या नहीं? यदि कोई ट्रान्सफर चाहता भी है तो अभी तक जिला एस्टेब्लिशमेंट कमेटी नहीं बनी है, इस कारण उनका ट्रान्सफर एक तहसील से दूसरी तहसील में नहीं हो पाता। इस तरह से टीचर्स के साथ व्यवहार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अध्यापकों को वेतन समय पर नहीं मिलता। जिस समय वर्षा का मौसम होता है तो पंचायत के अधीन कार्य करने वाले टीचर्स को गांव से चल कर आना पड़ता है, लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है। इन सारी बातों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता के साथ सोचें, और सहानुभूति और सहृदयता से विचार करें। जो अध्यापक गांव में जाते हैं, उनके रहने के

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लिए निवास की दृष्टि से, और सुविधाओं की दृष्टि से विचार करें। यदि अभी सरकार वेतन-स्तर में वृद्धि नहीं कर सकती, तो जहां गांवों में मकान टीचर्स के रहने के लिए नहीं हैं, अच्छे रास्ते आने जाने के नहीं हैं, वहां गांव में काम करने वाले टीचर्स को अतिरिक्त अलाउन्स दिया जाय या उनका वेतन स्तर ऊंचा किया जाय। तो मेरा जो दूसरा प्रस्ताव था, वह यह था कि प्राध्यापकों के वेतन स्तर प्रशासनिक अधिकारियों के समान किये जाने के साथ साथ शिक्षकों के वेतन स्तर में भी वृद्धि की जावे।

तीसरा जो कटौती का प्रस्ताव है वह विद्यालयों में बढ़ रही अनुशासन-हीनता को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के पाठ्यक्रम में धर्म को स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाय, इससे मेरा तात्पर्य मजहबी भाषा से नहीं है, उपासना पद्धति से नहीं है। मेरा धार्मिक शिक्षा से तात्पर्य विस्तृत दृष्टिकोण से है कि आध्यात्मिक उन्नति के जो तरीके हैं, आध्यात्मिक, नैतिक पुनरुत्थान के जो तरीके हो सकते हैं, उनकी तरफ मेरा संकेत है। मैं यहां पर यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, डॉ० सम्पूर्णानन्द, उन्होंने काफ़ी जोर दिया है कि हमारे शिक्षण के अन्दर धर्म को आवश्यक अंग समझ कर चला जाय। हम देखते हैं कि बड़े बड़े विश्व विद्यालयों और हाई स्कूल्स के अन्तर्गत विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता की वृद्धि हो रही है, अध्यापकों के प्रति जो उनका व्यवहार है और इतना कुछ हो गया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जगह जगह युनिवर्सिटीज़ में यह बात देखने को मिलती है कि विद्यार्थियों का अध्यापकों के प्रति क्या व्यवहार है। इसका कारण यह है कि आज हम भौतिकवाद की ओर दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन संस्कृति की उन्नति की ओर अधिक ध्यान नहीं देते, इस ओर अधिक बल नहीं देते कि हम किस प्रकार शिक्षण पद्धति में परिवर्तन कर इस प्रकार के वातावरण का निर्माण कर सकते हैं कि लड़के अध्यापकों के प्रति अच्छा व्यवहार करें, वे शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दें, अनुशासन में रहें। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी शिक्षा में धार्मिक शिक्षण का स्थान नहीं है। मैं मानता हूँ कि कहीं भी, किसी भी समाज के अन्दर अगर व्यवस्था कायम करनी है, अनुशासन लाना है तो धर्म की जो प्रक्रियायें हैं, उनमें से हमें गुजरना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें उन धार्मिक प्रक्रियाओं का अनुसरण और पालन भी करना पड़ेगा। धर्म के लिए कहा गया है कि धार्मिक व्यवस्था करने का तरीका है, वह केवल मजहबी तरीके से करने का ही नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो शिक्षा का कोर्स है, उसमें हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, मौलाना आज़ाद के बारे में पढ़ते हैं, इसके साथ ही धार्मिक शिक्षा दी जाय तो कम से कम हमारा नैतिक उत्थान हो सकता है, हमारा राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ हो सकता है। उन चीजों को पढ़ायें तो लड़कों को अनुशासन में रहने की शिक्षा मिल सकती है, हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति और अध्यापकों के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा और भक्ति जाग सकती है। शिक्षा के अन्दर ऐसे पाठ रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही विद्या को विनय देने वाला कहा गया है,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

विद्या ददाति विनयम् । लेकिन आज कॉलेजेज़ और स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अविनय अधिक आती है, अविनय के दृष्टान्त देखने को मिलते हैं, अनुशासन हीनता दिखाई देती है। मैं बताना चाहता हूं कि उसका कारण यह है कि जो बच्चों को शिक्षा दी जाने वाली है, उसमें श्रम की प्रतिष्ठा का पाठ नहीं है, उसमें चारित्रिक उन्नति की बात नहीं है। हमारी आज की शिक्षा पद्धति में जो दृष्टिकोण होने चाहिए, एक तो हमारे बालकों के अन्दर श्रम की महत्ता जाग्रत करें, दूसरे उनमें चरित्र का निर्माण करें, इस तरह के पाठ पुस्तकों में होने चाहिए। अगर आज की शिक्षा में इन दो दृष्टिकोणों को लेकर चलें, तो मैं मानता हूं कि जो कॉलेजेज़ और स्कूलों में वातावरण बिगड़ा है, वह सुधर सकता है। इसके साथ ही मैं अध्यापकों के लिए कहना चाहूंगा कि वे केवल अध्यापक न रह कर अच्छे और आदर्श अध्यापक बनें। एक यह भी कमी हो सकती है, जिसके कारण गड़बड़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज अध्यापक हैं, वे भी इन्हीं शिक्षण संस्थाओं से पढ़ कर जाते हैं, उनमें भी ये ही संस्कार हैं। इस कारण यह अनुशासन हीनता दिखाई देती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुण और दोष हर मनुष्य में संसर्ग और संस्कार से उत्पन्न होते हैं। यदि संस्कार और संसर्ग अच्छा होगा तो एक बालक पूर्णतः अनुशासित निकलेगा।

इन बातों को रखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में नैतिक पुनरुत्थान के लिए हमको शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन स्थापित करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय चरित्र में उन्नति हो और प्रगति कर सकें तो शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल करोल।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दरसिंह यादव।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैंने इस मांग के सम्बन्ध में चार कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनमें से पहला मेरा कटौती का प्रस्ताव हमारे राजस्थान के कुछ जिलों में वी. टी. सी. और जे. टी. सी. ट्रेन्ड टीचर्स के ग्रेड्स के सम्बन्ध में है। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए वास्तव में दुःख होता है कि जहां एक ओर हमारे शिक्षा विभाग पर काफी धन व्यय किया गया है और शिक्षा का राजस्थान में काफी विकास हुआ है, इस बात को मान लेने के बावजूद भी हमारे छोटे छोटे अध्यापक, जो कि आज के पहले दो दो साल पहले ट्रेनिंग प्राप्त कर अपनी जिन्दगी इस क्षेत्र में बिता रहे हैं, उनके सम्बन्ध में अभी तक सद्भावना पूर्वक नहीं सोचा गया। ऐसा लगता है कि इसके मूल में एक बात यह है कि ये अध्यापक एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापकों के मुकाबले में देखें तो ज्यादा

(श्री मनोहर कोठारी)

योग्य हैं और उन्होंने दो वर्ष पहले बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ शिक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक ट्रेनिंग भी हांसिल की हैं, उनकी शिक्षा का स्टेन्डर्ड काफी अच्छा और पुराने समय का रहा है! इसके साथ ही इस बात को भी अनुभव करना पड़ेगा कि हमारे आज के ग्रेजुएट्स पुराने जमाने के ग्रेजुएट्स से ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते और अभी तक अच्छे साबित भी नहीं हुए हैं। उसी तरह ये अध्यापक, जिन्हें आज फोर्थ क्लास गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की वेतन श्रृंखला में रखा गया है, अपने सम्बन्ध में, अपने बाल बच्चों के सम्बन्ध में, सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में चिन्तित हैं और बड़े परेशान हैं। उनका एक शिक्षक संघ भी बना हुआ है मुझे ज्ञात हुआ है कि तीन–चार वर्ष से वे लोग अपने आवेदन, प्रतिवेदन शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के पास प्रस्तुत करते रहे हैं और उनके सामने अपनी न्यायोचित मांगें रखते रहे हैं,लेकिन केवल अभी एक लिस्ट जरूर प्रकाशित हुई है जिसमें बी० टी० सी० ट्रेन्ड टीचर्स के १६५० से ग्रेडेशन दिये हैं, लेकिन उन लोगों का ख्याल है जिस तरह से लोगों की सीनियोरिटी लिस्ट फिक्स की गई है, उसमें काफी सीनियर आदमी बच गये हैं, जिन्हें लिस्ट में स्थान मिलना चाहिये। यह उनकी माननीय समस्या है, वाजिब समस्या है, इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान वाजिब मांगों की ओर दिलाना चाहूंगा और निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के अध्यापक है जिन्होंने अपनी जिन्दगी इस विभाग में व्यतीत की है, उनको सामान्य गुजारे के लिए पैसा मिलना चाहिए और उन लोगों को, जो मेट्रिक अनट्रेन्ड अध्यापकों को ग्रेड मिलता है, जितना ट्रेन्ड अध्यापकों को ग्रेड दिया जाता है, उतना तो कम से कम अवश्य ग्रेड दिया जाय और सीनियरिटी वगैरह का ध्यान रखा जाना चाहिए।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव इस तरह है "To discuss the failure of the Government to prepare uniform grant in-aid rules for pri^ate educational institutions. इस सम्बन्ध में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। अभी राज्यपाल के अभिभाषण के समय हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने संकेत किया था, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने बताया था कि राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली ग्रान्ट इन एड यूनीफोर्म करने की दृष्टि से, या सुधार करने की दृष्टि से एक कमेटी का निर्माण किया गया है और उसमें कुछ गैर सरकारी और कुछ सरकारी व्यक्तियों को रखा गया है। लेकिन मैं इस कमेटी के सम्बन्ध में एक सुझाव हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी को देना चाहूंगा और वह यह है कि यह कमेटी जयपुर में बैठ कर सब बातों का निर्णय न कर ले, ग्रान्ट इन एड रूल्स कैसे होने चाहिए, इसके लिए दूसरे स्टेट्स से ग्रान्ट इन एड के रूल्स मंगवा कर उसके आधार पर अपने रूल्स ड्राफ्ट करके प्रस्तुत न कर दे,मैं चाहता हूं कि वह कमेटी सब जगह घूमे फिरे और भ्रमण करने के साथ साथ वहां के पदाधिकारियों और कर्मचारियों व दूसरे लोग सम्बन्धित हैं, उनसे विचार विमर्श करे, सम्पर्क स्थापित करे और फिर कोई राय ले कि उनके सामने किस किस तरह की कठिनाइयां हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक ग्रान्ट देने का तरीका है, वह-

(श्री मनोहर कोठारी)

यह है कि एक वर्ष पूर्व जिस शिक्षण संस्था में जितना खर्चा हुआ, उसके आधार पर ६० पर्सेन्ट, ५०.पर्सेन्ट एड उस संस्था को मिलती है। उसमें केवल एकमात्र क्राइटेरिया यह रखा है कि कितना खर्चा करते हैं, उनकी योग्यता, उपयोगिता, अनुभव की दृष्टि से कुछ भी विचार नहीं किया जाता और माननीय सभापति महोदय, यदि मैं यह भी निवेदन करूं तो अनुपयुक्त नहीं होगा कि कई ऐसे हैड्स हैं जिनमें किये हुए व्यय को हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी काट देते हैं, नतीजा यह होता है कि ऐसी संस्थाओं को ४० प्रतिशत, ३५ प्रतिशत से ज्यादा एड नहीं मिलती। कुछ संस्थाओं पर किसी का वरद हस्त हो सकता है, उनको आउट ऑफ़ वे जा कर बड़ी बड़ी ग्रान्ट्स मिल जाती हैं, उस हालत में मिल जाती हैं कि बड़े बड़े, देश के नेता बुलाये जाते हैं तो राज्य सरकार के चलाने वालों को बड़ी बड़ी ग्रान्ट इन एड की घोषणा करनी पड़ती है। पर समझ में नहीं आता दूसरी संस्थाएं सारे देश में शिक्षण का काम करती हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है ?

मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, इस तरह की संस्थाओं में काम करने वाले, जो इस तरह की शिक्षण संस्थाओं में जाकर काम करते हैं वे दर दर जाकर चन्दा इकट्ठा करते हैं, दर दर भटकते फिरते है, उनको राज्य से एड नहीं मिलेगी, तो वे संस्थाएं चलेंगी कैसे ? राजकीय शिक्षण संस्थाओं में जिस तरह खर्चा वाजिब समझते हैं तो उसी तरह दूसरी संस्थाओं में जो खर्चा होता है, उसको भी वाजिब समझना चाहिये। यह नहीं कि कुछ संस्थाओं को शत प्रतिशत दिया जाय किसी को ६० प्रतिशत और किसी को ३० प्रतिशत सहायता मिले और उन संस्थाओं के सामने ऐसी समस्या आ जाय जो उन संस्थाओं की जिंदगी और मौत का सवाल बन जाय। आज के इस आर्थिक विषमता के युग में, जो लोग पहले चंदा देते थे वे चंदा देने में हिचकिचाते हैं। कई तरह के टैक्सेज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिये हैं, जिनके कारण वे लोग संस्थाओं को चन्दा देना वाजिब नहीं समझते। इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले इन लोगों के पास पहुंचते हैं तो कहते है कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से प्राप्त कर लीजिये कि इस संस्था को चन्दा देने पर चन्दे की उस रकम पर इन्कम टैक्स से माफी मिल जायगी। राजस्थान में इस प्रकार की दो-तीन संस्थाएं हैं, जिनको इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं कि उनको चन्दा दिया जाय, उस पर इन्कम टैक्स नहीं लगेगा। तो इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को इस तरह का सर्टिफिकेट दिये जाने के सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक समिति बनाई जाय, वह समिति जगह जगह जाकर इन शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करे।

हमारे यहां पुस्तकालय, वाचनालय, इस तरह की चीजें चलाते हैं तो जिस तरह के रूल्स ग्रान्ट इन एड के सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिये बने हुए हैं, उनको देखा जाता है तो एक बड़ी समस्या और पेचीदगी सामने आती है। किसी स्कूल के पुस्तकालय को २०० रुपया एड दी जाती है। एक पुस्तकालय जिसके पास एक लाख पुस्तकें हैं, उसको २०० रुपयों की पुस्तकें अलाउ की

(श्री मनोहर कोठारी)

जायें तो वह पुस्तकालय कैसे चल सकेगा।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव है वह है :

"To discuss the failure of the Government to provide a Degree college at Nathdwara."

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि इस सदन के प्रांगण में नाथद्वारा को कई माननीय सदस्य याद कर चुके हैं, वहां नाथद्वारा की कितनी सेवा किसने की है, यह मैं नहीं जानता पर आज का कटौती प्रस्ताव है उसमें नाथद्वारा की सेवा की भावना ही अन्तर्निहित है। राजस्थान का, शिक्षा की दृष्टि से काफी विकास हुआ है, इसमें शंका नहीं। नाथद्वारा में १९४६ में हाई स्कूल कायम किया गया जब कि ठिकाने का आधिपत्य था और ठिकाना ही इस हाई स्कूल को चलाता था। आज उसके बाद उसकी स्थिति को देखते हैं तो वह मल्टीपर्पज़ हायर सेकन्डरी स्कूल वहां है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर ऐसा बीच का स्थान है कि वहां कॉलेज हमको उपलब्ध हो सकता है। आज वहां के कॉलेज में करीब ३ हज़ार से ज़्यादा छात्र एकत्रित हो जाते हैं, उन लोगों का अच्छा शिक्षण नहीं हो पाता। इसके अलावा बाहर से जा कर जो बच्चे उदयपुर में रहते हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं, क्योंकि लिमिटेड विद्यार्थियों को होस्टल में लिया जा सकता है, बाकी छात्रों को उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता और उनको दर दर भटकना पड़ता है।

तो हमारे यहां की संख्या को देखते हुए भी भीम से नाथद्वारा, मावली, बड़ी सादड़ी तक जितने हाई स्कूल, हायर सैकेन्डरी स्कूल्स हैं, वहां से छात्र आगे पढ़ने जायें तो उदयपुर में उनके लिये अब कोई गुंजाइश नहीं है। नाथद्वारा ही केवल एक ऐसा स्थान है जहां उनके लिये समुचित इन्तजाम हो सकता है, उन लोगों के रहने के लिये नाथद्वारा में अच्छी व्यवस्था हो सकती है। जो धर्मशालाएं पहले यात्रियों से खचाखच भरी रहती थीं वे आज खाली पड़ी हैं, उनका उपयोग भी इन छात्रों के रहने के लिये किया जा सकता है। अब रहा बिल्डिंग का सवाल, वहां की स्कूल की बिल्डिंग काफी अच्छी है, थोड़ासा खर्चा करने पर उस बिल्डिंग की पूर्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि सरकार इस चीज़ को उचित नहीं समझती तो वहां कुछ सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उन्हें ग्रान्ट इन एड दे तो डिग्री कौलेज के रूप में, जैसे कि श्रमजीवी जगह जगह चलते हैं, वैसे वे संस्थाएं चालू करने को तैयार हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से जो शिक्षा मंत्री भी हैं, निवेदन करूंगा कि वे हमें इस सम्बन्ध में कमिटमेंट दें। यदि कॉलेज दे सकते हैं तो दें, नहीं तो इस प्रकार की व्यवस्था करें, वरना उदयपुर को छोड़ कर कोई समुचित इन्तजाम नहीं है।

श्री रामचन्द्र (डग मु०): कॉलेज नहीं, श्रीनाथजी की सम्पत्ति से युनिवर्सिटी कायम करना चाहिये।

श्री मनोहर कोठारी : इसके अलावा मेरा एक कटौती प्रस्ताव है कि : To discuss the failure of the Government to raise the primary Girls school to middle school standard at Amet.

(श्री मनोहर कोठारी)

माननीय सभापति महोदय, आमेट और कुंभलगढ़ दो तहसीलों को मिला कर आप देखिये कि बच्चों के पढ़ाने के लिये काफ़ी व्यवस्था है, काफी साधन वगैरह वहां उपलब्ध हैं। पर जहां तक लड़कियों के शिक्षण का सवाल है केवल प्राइमरी स्कूल है। विद्यार्थिनियों की संख्या इतनी है कि बाहर जा कर पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकतीं और उनके माता-पिता अपने आपको इस स्थिति में नहीं पाते कि उन लड़कियों को बाहर भेज कर शिक्षित और दीक्षित करा सकें।

आज से दो वर्ष पहले भी डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट कमेटी की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव रखा गया, आमेट की ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी ने बार बार इस मांग को दोहराया। गत वर्ष भी इस प्रकार का प्रस्ताव था और उससे पहले भी इस प्रकार का प्रस्ताव किया गया था कि आमेट की गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में बदल दिया जाय, पर पता नहीं वह प्रस्ताव बीच में ही कहां रुक गया ? मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के लिये काफी धन खर्च किया है, हमको कोई गिला नहीं होगा। बच्चों के स्कूल खोलना कम कर के लड़कियों के बच्चियों के स्कूल खोलने का कार्य शुरू कर दें। तो मैं समझता हूं कि यह जो एक हिस्से में कमी है वह कमी हमारे यहां काफी हद तक पूरी हो जावेगी और मैं समझता हूं कि जैसा कहा जाता है कि राजस्थान में को-एज्युकेशन हो, लेकिन हमारे गांवों के लोग अभी इस को-एज्युकेशन के स्तर तक नहीं आ पाये हैं। एक माननीय सदस्य ने बताया कि लड़के और लड़कियें शामिल पढ़ें। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां गांवों में प्राइमरी एज्युकेशन में पढ़ने वाली बच्चियें हैं उनको प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने में लोग एतराज करते हैं कि लड़के और लड़कियें साथ नहीं पढ़ें। तो मिडिल स्कूलों में तो उनसे बड़ी उम्र की लड़कियें पढ़ती हैं, उनको वे लड़कों के साथ पढ़ा सकें यह बहुत ना-मुमकिन सी बात है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसी स्थिति आ जावे लेकिन आज वह वातावरण हमारे यहां पर नहीं है।

अन्त में मैं हमारे मुख्य मन्त्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि मेरे जो चारों कटौती के प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में उदारता पूर्वक विचार करें और इस सम्बन्ध में कोई संकेत दें जिससे हम अपने आप को संतुष्ट कर सकें।

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : सभापति महोदय, मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा के सम्बन्ध में मैंने एक कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मेरा यह रखने का केवल अभिप्राय इतना ही है कि पिछले १० वर्षों में वाकई में राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है लेकिन इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि जितना परिश्रम और धन व्यय करके राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है उतना परिणाम बच्चों के विकास में हमारे सामने प्रकट नहीं होता है। सभापति महोदय, प्रस्ताव केवल इतना ही है कि राजस्थान का शिक्षा-स्तर गिरता ही जा रहा है और यह एक विषय ऐसा विषय है जिसको सरकार ने करीब करीब इस बात को महसूस कर लिया है कि

Page No.60

(श्री रामचन्द्र)

वाकई में हमारे राज्य में सब ओर से शिक्षा का स्तर गिरता नज़र आ रहा है........

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ) : यह तो सरकार ने मंजूर नहीं किया है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

श्री रामचन्द्र : स्पष्ट रूप से नहीं किया है, लेकिन समय समय पर भाषणों से हमने यही निष्कर्ष निकाला है कि सरकार इसके लिये मानती है और इसके अलावा नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्री और शिक्षा से सम्बन्ध रखने वालों को मालूम है कि वास्तव में क्या स्थिति है। इसलिये इस बात पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के सामने तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो प्रश्न हैं। सरकार यह सोचती है कि प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क हो और यह होना लाजमी है और इसके लिये स्कीम बनाई गई है और आशा यह की जाती है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान में ९० प्रतिशत लड़के और ७० प्रतिशत या ६० प्रतिशत लड़कियों को शिक्षा दी जावेगी और वे शिक्षित हो जावेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हम कार्य करते हैं उसमें Quality vs. quanttiy का भी ध्यान रखें और क्वालिटी का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। क्वालिटी के साथ राजस्थान सरकार को जल्दी से जल्दी न्याय करने की आवश्यकता है। इसके लिये सरकार ने तीसरी पंच वर्षीय योजना में ७० करोड़ रुपये बल्कि इससे भी ज्यादा धन राशि का प्रावधान रखा है। लेकिन क्वालिटी की तरफ से राजस्थान सरकार उदासीन रही है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। सभापति महोदय, क्वालिटी को ठीक करने के लिये सरकार को किसी प्रकार का धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ देख रेख की आवश्यकता है और जो मौजूदा गति है उसको तीव्र करने की आवश्यकता है. इसमें विशेष धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कहूंगा कि शिक्षा स्तर को कायम रखने और शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने के लिये जो लोग जिम्मेदार हैं वे अपनी ज़िम्मेदारी को भली प्रकार से महसूस नहीं करते। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन्सपेक्टरेट का ढांचा जो बनाया गया है वह अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह से पूरा नहीं करते हैं। जिलों में एक इन्सपेक्टर, एक डिप्टी इन्सपेक्टर और एक सब डिप्टी इन्सपेक्टर का ढांचा बनाया गया है। लेकिन इस इन्सपेक्टरेट के अधिकारी हैं वे आज उस लड़के की तरह हैं जो हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का ही ध्यान रखते हैं, खाना खाते समय भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान और दूसरे कामों में भी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका सारा समय एडमिनिस्ट्रेशन में ही व्यतीत होता है। वे कभी प्राइमरी स्कूलों में जाकर, साक्षातकार रूप में जाकर वहां नहीं देखते कि वास्तव में क्या हो रहा है ! वास्तव में हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल्स चलते हैं वास्तव में उनकी क्या दशा है, आया मास्टर अपने अपने कामों को पूरी तरह से करते हैं या नहीं, आया वहां पर पढ़ाई सिलेबस के अनुसार होती है या नहीं ! आज जहां ८ वीं क्लास तक के लिये सिलेबस

(श्री रामचन्द्र)

बनाते हैं कि इस तरह से पढ़ाई कराई जानी चाहिये, उसके अनुसार पढ़ाई स्कूलों में होती है या नहीं। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वे कभी इस तरफ ध्यान नहीं देते। इसके अलावा मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले तीन–चार महीनों में मास्टर लोग लड़कों को एक रीडिंग करा देते हैं, जब कि वही कोर्स १० महीनों में पूरा कराना चाहिये। उनके एक तरफ एक दफे रीडिंग कराने से बच्चों का कोई भला नहीं हो सकता। आपने फर्स्ट टर्म, सेकिन्ड टर्म इसलिये रखे हैं कि फर्स्ट टरमिनल में इतनी पढ़ाई हो और सेकिन्ड टरमिनल में इतनी पढ़ाई होनी चाहिये, नहीं होती, और बच्चों से लिखाने का और उनको जनरल इन्फोर्मेशन आदि की जो आशा करते हैं वह नहीं होती, और जो कार्यक्रम बनाया जाता है उसके अनुसार बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाया जाय तो बच्चे अवश्य उन्नति कर सकते हैं। इस शिक्षा में प्राइमरी स्कूलों से लेकर कॉलेजेज़ तक यदि यही मौजूदा व्यवस्था रही तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आपके यहां शिक्षा का स्तर लाजमी तौर से गिरता ही जाएगा और यदि कुछ भी ध्यान दिया गया और इन्सपेक्टोरेट ने ध्यान दिया तो लाजमी तौर से शिक्षा का स्तर ऊपर उठ जावेगा। आपको इसमें किसी प्रकार के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहूंगा कि आपके यहां इन्सपेक्टर, डिप्टी इन्सपेक्टर आदि हैं उनकी ओर आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर एक इन्सपेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है तो डिप्टी इन्सपेक्टर होलली और सोलली डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखें कि शिक्षा सिलेबस के अनुसार दी जाती है या नहीं और जो बच्चे हैं वे कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहे हैं या नहीं? यदि बराबर एक साल भी हमारे यहां बच्चों के शिक्षा की तरफ देखरेख की जावेगी और ध्यान दिया जावेगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन बच्चों की शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा उठ जावेगा। आज चारों तरफ से आवाजें आती हैं कि कि बच्चों में अनुशासनहीनता फैल रही है। मैं कहता हूं कि इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, स्टाफ का दोष है। लेकिन स्टाफ का भी कोई दोष नहीं है, उनके पेट का दोष है। वे भूखे हैं, असंतुष्ट हैं। क्या करें? पेट भरने के लिए पूरा वेतन नहीं मिलता। कौन शिक्षक यह चाहेगा कि भूखे पेट सुबह से शाम के पांच बजे तक काम करे? उनको पेट भर कर पहले खाना दीजिये, फिर वे पूरा काम करेंगे। फिर भी यदि कोई शिक्षक पूरा काम नहीं करता है तो उनको डिग्रेड करिये या जो सजा देना चाहिये वह दीजिये। मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक स्कूल में मिनिमम से मिनिमम लड़कों के सफल होने का स्टेन्डर्ड कायम कर दीजिये। मान लीजिये कि २५ प्रतिशत बच्चे तो पास होने ही चाहिये यह स्टेन्डर्ड रख देते हैं फिर देखा जाय कि होते हैं या नहीं, नहीं होते हैं तो फिर स्कूल के मास्टर का काम अच्छा नहीं है यह माना जावेगा। जो अध्यापक परिश्रम करके काम करता है सरकार को चाहिये कि उन शिक्षकों की वह सराहना करे। कलेक्टोरेट में मंत्री महोदय जावें या दूसरे शिक्षा के अधिकारी जावें तो वहां पर सार्वजनिक मीटिंग हो। उनको चाहिये कि अच्छी लगन के साथ परिश्रम करने वाले अध्यापक की वे सार्वजनिक सराहना करें कि अध्यापक की अधिक रुचि देखते हैं। इससे उनको बढ़ावा मिलेगा, उनका उत्साह

(श्री रामचन्द्र)

बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि आज शिक्षा का स्तर दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है, उस ओर हमारी सरकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। राजस्थान सरकार का राजस्थान में शिक्षा बढ़ाने का ही दायित्व नहीं है किन्तु दरअसल क्वालिटी और स्तर को ऊंचा करने का भी दायित्व है राजस्थान सरकार अब देशी राजाओं का राज्यों का राज्य नहीं रहा है किन्तु एक कन्सोलिडेटेड राज्य है भारत का बड़ा अंग है। भारत इन्टरनेशनल राज्य है। यदि बच्चों का विकास समुचित ढंग पर हो तो इन्टरनेशनल स्तर बढ़ाया जा सकता है, उनका इन्टरनेशनल स्तर ऊंचा कर सकते हैं। टेक्निकल लाइन में भी अच्छी से अच्छी कामयाबी प्राप्त करके राज्य के प्रोग्राम को अधिक सफलता के साथ उपयोगी बनावें, यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, मैं अभी निवेदन कर रहा था कि इन्स्पेक्टोरेट के काम में ढिलाई होने के कारण शिक्षा का स्तर गिरने का एक कारण है। ये तीनों स्टेज में हैं, प्राइमरी, माध्यमिक और यहां तक कहूंगा कि। कॉलेजों की जिम्मेदारी डाइरेक्टर या डिप्टी डाइरेक्टरों की होती है। और हाई स्कूलों की सीधी जिम्मेदारी इन्स्पेक्टरों पर होती है। माध्यमिक स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों की जिम्मेदारी डिप्टी इन्स्पेक्टर और सब डिप्टी-इन्स्पेक्टर पर सीधी क्रमशः रहती है, उन लोगों को भलीभांति यह समझा दिया जाय कि तुम्हारे काम की जांच बच्चों के नम्बर पर नहीं की जावेगी, किन्तु यह देखा जायगा कि बच्चों का कितना किस प्रकार से विकास हो रहा है। यदि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया तो वास्तव में, मैं कहूंगा कि शिक्षा के लिए राजस्थान में प्रसार हो रहा है, नहीं तो यही कहूंगा कि अक्षर-ज्ञान की ही बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। असली रूप जो शिक्षा का होना चाहिये वह अभी राजस्थान में नहीं आया है। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहले प्रस्ताव के जरिये राजस्थान सरकार का ध्यान झुंझुनू जिले में कॉलेज की कमी है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा की दृष्टि से झुंझुनू जिला बहुत उपयुक्त स्थान रहा है। यहां पहले से ही दानी सेठों की कृपा से कई स्कूल और कॉलेजेज चल रहे हैं लेकिन वहां जो यह रवैया अब तक चलता आ रहा था वह करीब करीब बन्द हो रहा है। केवल झुंझुनू में ही यह बात नहीं है, दूसरी जगह भी है। जितने सेठ लोग प्राइवेट रूप से स्कूल और कॉलेजेज़ चलाया करते थे वे उनको बन्द करते जा रहे हैं और उसका कारण माननीय सदस्य जानते हैं। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है झुंझुनू जिला ही ऐसा होगा जहां पर कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है। सरकार की ओर से हाईस्कूल और प्राइमरी स्कूलों तक की शिक्षा का प्रबन्ध है। सरकार की ओर से वहां पर काफी खर्चा होता है, यह मैं स्वीकार करता हूं। किन्तु सरकार की ओर से कोई झुंझुनू

(श्री शिवनाथसिंह)

जिले में सरकारी कॉलेज नहीं हैं। यह कमी इसलिए ज्यादा खलने लग गयी है कि हाईस्कूल की शिक्षा अब हायर सैकन्डरी के रूप में मान्य हो गई है। वहां पर पिछले सालों में दस बारह हायर सैकन्डरी स्कूल्स खुले हैं! इसलिए सरकार बधाई की पात्र है। पिछले दिनों में उदारता पूर्वक माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्कूलों को काफी दिया। यदि इसके साथ साथ थीरी इयर्स डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं करते हैं तो सैकन्डरी स्कूल्स से जो बच्चे निकलते हैं उनकी आगे की शिक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं होगा इसका कारण यही है कि हमारे जिले में सरकारी स्तर का कोई थ्रीईयर्स डिग्री कॉलेज नहीं है। सेकन्डरी स्कूल्स से निकलने वाले बच्चे रुक जाते हैं आगे जाने के लिये यह एक विशेष हमारे यहां की समस्या है। अभी कल ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से एक बुकलेट निकाली गयी थी। उसके पेज १३ पर यह दिया हुआ है, districtwise number of students actually attending schools, १ से ११ तक की क्लास का यह है, इसमें एज ग्रूप के हिसाब से नम्बर दिया हुआ है बच्चों की संख्या का। यदि ये आंकड़े सही हों तो १४ से १७ और १७ से २५ की एज तक के बच्चों में झुंझुनू का पहला नम्बर आता है और यह अवस्था ऐसी है कि जिसमें बच्चे कॉलेजेज़ की शिक्षा प्राप्त करते हैं। जिस जिले में स्टूडेन्ट्स का हाइएस्ट नम्बर होता है उस जिले में एक सरकारी कॉलेज न हो तो यह एक कमी की चीज़ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्रीजी इस ओर थोड़ा ध्यान दें तो उचित होगा। वे थ्री ईयर्स डिग्री कॉलेज वहां पर स्टार्ट कर दें ताकि इन बच्चों को आगे पढ़ने का मौका मिले, दिक्कत न हो। राज्य सरकार को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि झुंझुनू जिले का मल्टीपरपज़ का बहुत बड़ा मकान है, स्टाफ़ भी अच्छा है, जमीन भी काफी है........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : आपका प्रस्ताव यह है कि झुंझुनू में, होतीलाल कॉलेज है उसके अलावा एक डिग्री कॉलेज झुंझुनू खास में और हो ?

श्री शिवनाथसिंह : वह थ्री ईयर्स डिग्री कॉलेज में नहीं आता है। हायर सैकन्डरी से जो बच्चे निकलते हैं उनके लिए दिक्कत आती है। आस-पास के इलाकों में ऐसा कॉलेज नहीं है। बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू जिले में कहीं खोल दें तो अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी कुल मिला कर वहां कितने कॉलेज हैं ?

श्री शिवनाथसिंह : बहुत हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ग्रान्ट इन एड सरकार को देनी पड़ती है। यह बतावें कि कुल मिला कर कितने वहां पर कॉलेज हैं ?

श्री शिवनाथसिंह : मैंने पहले ही कहा कि बहुत खर्चा करते हैं। वहां पर सरकार का एक भी कॉलेज रन नहीं करता है। यह एक बहुत बड़ी कमी है क्यों न सरकार इसके लिए वहां पर एक कॉलेज स्टार्ट करे ? यह ध्यान आकर्षित करना चाहता था। शिक्षा मन्त्री महोदय इसको रियलाइज़ करते हुये इस ओर ध्यान देंगे।

(श्री शिवनाथसिंह)

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह शिक्षा विभाग में जो सामान खरीद किया गया उसमें गड़बड़ी के सम्बन्ध में है। २ अक्टूबर को जब पंचायत समितियों का निर्माण हुआ उसके बाद प्राथमिक शिक्षा का भार पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। उसके अन्दर कुछ सामान इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की ओर से पंचायत समितियों को दिया गया, वह सब जगहों के लिये दिया गया। हमारे यहां भी यह सामान ८ पंचायत समितियों को दिया उस सामान में कुछ घड़ियां भी दी गई। जहां तक मेरी जानकारी है घड़ियों की खरीद किसी उच्च अधिकारी द्वारा की गई और वह भी टेन्डर आमन्त्रित करके। जिन घड़ियों की कीमत मार्केट में २६) रुपया है उसकी जो लिस्ट पंचायत समितियों को दी गई जो अकाउन्ट में उनकी कीमत लिखी गई वह है प्रत्येक घड़ी का ३६) रुपया। जहां मार्केट कीमत २६) रुपया है वहां ३६) रुपया एक घड़ी का पेमेंट किया गया यह बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब टेन्डर से घड़ियां खरीदी गई वैसी हालत में उनकी कीमत मार्केट की कीमत से कम होनी चाहिये। इस तरह से दस रुपया ज्यादा प्रति घड़ी दी गई इसलिये इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इस प्रकार से घड़ियां केवल दस बीस खरीदी गई हों यह बात नहीं, हज़ारों की तादाद में घड़ियों की खरीद हुई है। वास्तव में यह सही चीज है तो शिक्षा मन्त्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिये और गलत हो तो मैं इस विषय में आपको करेक्ट करने के लिये तैयार हूं। आशा है शिक्षा मन्त्री महोदय इस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

२. १. म. प

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा मंत्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आम तौर पर शिक्षा के प्रसार के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनको पसन्द किया गया है और साथ साथ ज्यादातर माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के अन्दर कुछ और प्रगति हो इस ओर संकेत किया है और मांग की है।

सभापति महोदय, मुख्य तौर से इस सदन के अन्दर अध्यापकों का वेतन स्तर बढ़ाने के बारे में काफ़ी जोर दिया गया है और इस बारे में काफी चर्चा भी हुई है। मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा और कोई प्रसन्न नहीं होगा अगर अध्यापकों का वेतन बढ़े हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम आसानी से कर सकते होते तो इसमें दो राय नहीं हो सकती। इस दिशा में जितना भी संभव हो किया जाना चाहिये और मैं इस दृष्टिकोण से इन्कार नहीं करता कि अध्यापको को जो समाज के अन्दर स्थान देना चाहते है उसमें जो कुछ वेतन उनको मिलता है इसका भी इससे एक हद तक सम्बन्ध है। सारा प्रश्न घूम फिर कर वही आर्थिक अवस्था पर आजाता है। राजस्थान के अन्दर जैसा कि सबको विदित है हम शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर प्रति वर्ष जो कुछ पहले खर्च करते थे उसके मुकाबले हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं यह शायद आपकी जानकारी में होगा १९५९-६० के बजट में शिक्षा पर खर्च करने के लिये हमने जो व्यवस्था की है उससे राजस्थान अपने रेवेन्यू बजट के अन्दर

Page No.65

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सारे भारत के अन्दर तीसरी नंबर की स्टेट आती है जो अपने स्टेट की रेवेन्यू की इन्कम में टोटल बजट के अन्दर शिक्षा पर इतना खर्च कर रही है। हमारे से ज्यादा केरल और पंजाब में अधिक अनुपात में खर्च होता है। हमारा नम्बर तीसरा आता है।

आज राजस्थान के अन्दर जब कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की थी उस वक्त से लेकर आंज का अन्दाज करें जिन माननीय सदस्यों का बहुत सी बातों के बारे विरोध रहा है कुछ और बातें भी कहीं गई सारे नक्शे को सामने रख कर विचार किया जाय तो मैं समझता हूं और राजस्थान शिक्षा प्रसार की दृष्टि से फिगर्स के आधार पर काफ़ी नीचे रहता आया है बल्कि सबसे नीचे राजस्थान था वहीं से शुरू किया, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़े हैं और आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। प्रयत्नों की दृष्टि से हमने काफ़ी कोशिश की है ताकि किसी तरह से हम इस पिछड़ेपन से आगे निकल सकें और राजस्थान की चहुंमुखी प्रगति के अन्दर अधिक बल प्राप्त हो। जो जो प्रयत्न हुए उससे अन्दाज़ किया जा सकता है उसके बारे में मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर १६५० में हमारे यहां पर मैट्रिक के अन्दर केवल ७,०४७ विद्यार्थी थे। १६५० के बाद १६५५ में वह संख्या १७,६२३ पर पहुँची और उसके बाद १६६० में वह संख्या ४८,६४३ पर पहुंची। इसी प्रकार बी० ए० का लें—सन् ५० में १,१७१, ५५ में २,६७२, सन् ६० में ७,६७७। एम० ए० १६५० में २१३ और १६६० में १,५२४।

इसी प्रकार ६ साल की उम्र से ११ साल की उम्र वाले बच्चों की तादाद जो ५०—५१ में १४ प्रतिशत थी वह १६५६-६० में आकर हमारा अन्दाज है वह ४५ प्रतिशत तक पहुंच जायेगी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर वह संख्या करीब करीब ५० प्रतिशत तक हो जायेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। इसका मतलब यह होता है कि जो कुछ हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया था उससे हम कई दिशाओं के अन्दर आगे बढ़ गये हैं और बढ़ जायेंगे। इसमें विद्यार्थियों की जो कमी रही है उसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान के अन्दर जो लड़कियों की शिक्षा के लिये सामाजिक दिक्कतें हैं उसकी वज़ह से भी हमारे इस प्रयत्न के अन्दर जो परिणाम आने चाहिये उसके अन्दर भी दिक्कत आ रही है। जो हमारा दूसरा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था जितने प्राइमरी स्कूल्स खोलने का लक्ष्य रखा था जहां हमने पहली योजना में ५,००० नये प्राइमरी स्कूल खोले वहां दूसरी पंच वर्षीय योजना में ५,८२० प्राइमरी स्कूल खोल चुके हैं।

इसी प्रकार हमारे यहां २५० स्कूलों को अपग्रेड करना चाहते थे उसकी बजाय ४६१ के करीब मिडिल स्कूलों को अपग्रेड किया गया। हाई स्कूल्स हायर सैकन्डरी स्कूल्स की संख्या जहां ५० की रखी थी वहां १४८ नये हाई स्कूल्स और हायर सैकन्डरी स्कूल्स खोले गये। इसी प्रकार लड़कियों की स्कूलों में भी वृद्धि हुई है। तो मेरे निवेदन करने का मतलब यह था कि जो हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टार्गेट्स निर्धारित किये थे वे हमने काफी पहले अचीव कर लिये हैं। जहां तक फ़िज़ीकल टार्गेट्स का सवाल है हम उससे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

काफी आगे पहुंच जायेंगे। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया प्राथमिक शिक्षा से लगा कर युनिवर्सिटी एज्युकेशन के क्षेत्र में आगे निकल पाये हैं। इसके बाद मुख्य समस्यायें हमारे सामने आती रही हैं वह अब भी है यह मान कर चलना होगा कि हम राजस्थान के अन्दर प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें।

महिला शिक्षा के लिये, लड़कियों की शिक्षा के लिये कम खर्च रखा है। जिस किताब को सर्कुलेट किया गया उसके आंकड़ों के आधार पर और अन्य आधारों पर आपने कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लड़कियों की शिक्षा के लिये अलग से जो लड़कियों की स्कूल्स और कॉलेजेज़ की व्यवस्था की गई है उसका खर्चा उससे मालूम होता है पर जैसे प्राथमिक शिक्षा में हम आशा करके चलते हैं और आगे भी चलना होगा कि प्राथमिक शालाओं में लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ें। इसी प्रकार से कई कॉलेज हैं जिनमें लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं तो उनका खर्चा इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया है। एक ही कॉलेज है जिसमें दोनों लाभ उठा रहे हैं। पर यह सत्य है कि लड़कियां कुल मिला कर ज्यादा लाभ इसलिये नहीं उठा पातीं कि वे उतनी संख्या में जा नहीं पातीं। पर यह सही है कि पहले से इसमें आज अन्तर पड़ता जा रहा है और हम स्वयं चाहते हैं कि राजस्थान में जितने इस दिशा में प्रयत्न किये जा सकें, करें।

इसमें विशेष तौर से दिक्कत मिडिल स्कूल या हाई स्कूलें बढ़ाने की आती हैं। मैंने कई बार कई जगह कहा है कि एक तरफ़ तो यह दिक्कत आती है तादाद बढ़ाने की, अगर मान लीजिये प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में बदलना है तो पहले तो भवन की दिक्कतें हैं, ये भी हल हों तो पन्द्रह बीस भी छात्राएं छठी क्लास में बैठने को तैयार हों तो हम खोलने को तैयार रहते हैं पर आठ आठ और पांच, पांच लड़कियां ही हमें काफ़ी जगह अगली क्लास के लिये उपलब्ध होती हैं। इसके साथ ही हमें महिला अध्यापिकाओं की उपलब्धी की दिक्कतें अलग हैं। तो इससे अन्दाज़ कर सकते हैं आप कि एक तरफ़ मकान और अध्यापिकाओं की दिक्कते हैं तो दूसरी तरफ़ लड़कियां न मिलने की भी दिक्कतें आती हैं। इसलिये हमने सोचा है कि हो सके वहां तक, एक दम तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे जिला और तहसील हैड क्वार्टरों के स्थानों पर होस्टल बनाये जावें लड़कियों के लिये जिनमें गांवों की लड़कियां भी आकर रह सकें जो कॉलेज और हाई स्कूल में पढ़नेवाली हों और इस तरह से उनको लाभ प्राप्त हो सके क्योंकि हर जगह दो तीन के लिये स्कूल खोलना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि कुछ अर्से के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जावेगी जब गांवों में रहने वाली लड़कियां खुद मैट्रिक पढ़कर और आगे की परीक्षाओं में जाने लगेंगी तो हम आगे स्कूल और कॉलेज बढ़ा सकेंगे और इस तरह आज जो कमी महसूस हो रही है वह दूर होगी और आज इस दिशा में जो काम किया जा रहा है उसको बढ़ाने में सफलता मिलेगी।

अब भी जैसा आपको पता है कुछ स्कूलों में महिलाओं को और प्रौढ़ों को इस बात के लिये रखा जाता है कि वे स्कूलों में बैठे रहें ताकि लड़कियों को उन स्कूलों में भेजने में

Page No.67

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गांव के माता पिता को प्रोत्साहन मिले। आज जो संकोच और ऐतराज उनके दिमाग में है वह उनके दिमाग में से हट जावे।

पंचायत समितियों के बनने के बाद भी देखा है कि जो लड़के लड़कियों की स्कूल में भर्ती का कार्यक्रम है उसमें काफी तेजी से फर्क पड़ा है। मैंने ये ४५ पर्सेन्ट का इस वर्ष का अन्दाज झिझकते हुए बताया है। एकाध सदस्य ने बताया कि पहले जो बहुत सी भर्ती होती है उस पर अन्दाज लगा कर बताया है, पर थोड़ी देर बाद में या साल के अन्त तक उनमें से बहुत सी स्कूल से चली जाती हैं। तो एक तरफ भर्ती के समय आप अन्दाज लगाते हैं पर दूसरी तरफ वास्तव में वे चली जाती हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस बारे में कि जो आंकड़े आम तौर से हम इकट्ठे करते हैं वे साल के अन्त में मार्च में आम तौर पर करते हैं जब कि सारी जगह के स्टेटिस्टिक्स एक साथ आ जाते हैं। तो वर्षा समाप्त होने के वक्त तक जो पढ़ते होते हैं उनसे ऑल इण्डिया के पैटर्न पर आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं और वही हम बताते हैं। यह नहीं, कि कह दें कि इतने इतने भर्ती कर लिये गये हैं इस आधार पर कोई आंकड़े हम आपको देते हों। फिर भी पचास प्रतिशत के आसपास अब हम पहुंच चुके हैं। पर उनको नहीं गिनते हुए हर साल के अनुभव के आधार पर हमने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि पचास के आस-पास करीब हम पहुंचेंगे। इससे आशा है, ठीक तो नहीं कह सकता, पर राजस्थान प्राथमिक शिक्षा के लिहाज़ से एक प्रकार से नीचे था सारे हिन्दुस्तान में, शायद हम कुछ ऊपर जाने में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कामयाब हों।

पर यह बहुत बड़ा प्रयत्न है। जिसके अन्दर पंचायतों को, पंचायत समितियों को और माननीय सदस्यों को सब का सहयोग आवश्यक होगा क्योंकि इसमें अकेला आर्थिक प्रश्न नहीं जुड़ा हुआ है सामाजिक प्रश्न और हमारी रुढ़ियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरे प्रान्तों में जब शायद यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ६ से ११ साल के बच्चे बच्चियां साथ साथ पढ़ सकते हैं तब राजस्थान में इसको भी लोगों को समझाना पड़ता है। तो दोनों साथ पढ़ सकें ऐसा वातावरण हमारे यहां बनाना आवश्यक होगा।

अब अगर केवल इस बात को सामने रख कर चला जावे कि प्राथमिक स्कूलों के लिये भी महिला शिक्षकों की आवश्यकता है तो मुश्किल होगा। इसलिये हमने यह रास्ता अपनाया है कि अगर प्राथमिक स्कूलों के लिये महिला शिक्षक उपलब्ध हों तो वे अकेले रखे जा सकते हैं पर दोनों बच्चे बच्चियों को साथ पढ़ाने के लिये यह कहें कि महिला टीचर ही हों, पुरुष टीचर न हों तो यह दिक्कत की बात होगी। महिला मिलें तो उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। उनसे छोटे बच्चों को सहूलियतें रहती हैं। पर अगर वे उपलब्ध न हों तो पुरुष टीचर्स भी रखने में हमें संकोच नहीं करना है। अब महिला टीचर न हों तो बच्चियां पढ़ने को ही न आवें ऐसा वातावरण अब ज्यादा नहीं चलाया जा सकता है।

मिडिल स्कूल जहां गांवों में खोलने की बात आती है हम चाहते हैं कि ज्यादा से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ज्यादा खोली जावें । पर इसमें आज क्या दिक्कत है हमारे सामने कि एक तरफ अध्यापिकाओं की और दूसरी तरफ़ बालिकाओं की कमी है । फिर भी आशा करके चलना चाहिये कि इस दिशा में काफ़ी अन्तर भविष्य में पड़ेगा। फर्क पड़ता भी जा रहा है पहिले से और आने वाला जो समय है इसमें और अन्तर होगा ।

राजस्थान में हाई स्कूलों की बात लेकर चलें तो ५०-५१ में जहां केवल १५५ की संख्या थी तो उसके मुकाबले में आज ४४४ स्कूलें हमने खोली हैं अलग अलग क्षेत्रों में और इनमें विद्यार्थियों की और भी अच्छी तादाद बढ़ रही है ।

इन्हीं चीज़ों की चर्चा के दौरान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि एजूकेशन अनइम्प्लॉयमेन्ट भी काफ़ी है और यह भी कहा गया कि शिक्षा का स्तर उचित नहीं है, पद्धति उचित नहीं है । इन सब की वज़ह से दोष यहां पर हैं । पर मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि शायद बहुत कम जगह ऐसी स्थिति होगी जैसी हमारे यहां राजस्थान में है । एक तरफ़ बहुत से माननीय सदस्यों का यह मानना है कि पढ़े लिखों को रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ माननीय चैयरमैन महोदय, यह भी सत्य है कि मैट्रीकुलेट टीचर्स कुछ जिलों में हमको नहीं मिलते । आज जालोर में, बाडमेर में और जैसलमेर के अन्दर नागौर के कुछ हिस्सों के अन्दर भी राजस्थान में मैट्रिकुलेट टीचर्स की शॉर्टेज है । पंचायत समितियों ने हम पर जोर डाला है कि हम उन्हें इस बात की इजाज़त दें कि वे मैट्रिक पास नहीं मिलता हो तो मिडिल पास को भी रख सकें । तो मेरा यह कहने का तात्पर्य था....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): दूसरी जगहों के भेज दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पर दिक्कत यह है कि वे वहां जाने को तैयार नहीं होते, जाते नहीं । तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ जगह लोगबाग ऐसे हैं जो वहीं अपनी मन पसन्द का काम चाहते हैं । एक प्रकार का अपनी ही रुचि के अनुकूल काम चाहते हैं । अब उस प्रकार का काम उस स्थान पर उस जगह मिले तो ठीक है पर हर बार मिल ही जाय यह मुश्किल हो सकता है । तो मैंने निवेदन किया कि एक व्यक्ति खुद की पसन्दगी का काम नज़दीक में चाहे तो वहां दिक्कत हो सकती है । पर इसमें जैसा मैंने निवेदन किया कि एक तरफ कुछ इस तरह की असुविधाएं भी सामने हैं । कहने का तात्पर्य यह नहीं कि कोई अनएम्पलोयड है ही नहीं यहां पर जितनी इस प्रोब्लेम की गम्भीरता के बारे में कहा गया कि यह कोई बहुत विकट प्रोब्लेम है तो उसके लिये इस तरह कह सकता हूं कि इसको जज करने में ये जो फैक्ट्स मैंने दिये हैं उनसे भी कुछ अन्दाज किया जा सकता है कि वहां जाने के लिये उनको सुविधाएं प्राप्त हैं और वे उनका लाभ उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो और आज के दिन भी और अगले साल भी यह काम तो बराबर बढ़ता चला जावेगा इसलिये इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ।

विकेन्द्रीकरण के बाद यह प्रश्न उठा कि जैसा बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि डीसेन्ट्रलाइजेशन तो किया गया पर इसके बाद टीचर्स के ट्रान्सफ़र्स में इन्स्पेक्टर्स ऊपर से कर देते हैं। मेरी जानकारी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में यह बात पहली बार यहां पर आई। मैं बहुत से जिलों में गया, लोगों से बातें कीं, पर मेरे सामने, जहां तक मेरा खयाल है, इस प्रकार की बात नहीं आई कि प्रधान या पंचायत समिति की जानकारी के बिना ऊपर से ट्रान्सफ़र कर दिया गया हो। हां, पहले कुछ ऐसे ट्रान्सफ़र हुए इस दृष्टि से कि जो जहां के रहनेवाले हैं उनको हो सके उतना एडजस्ट किया जाय और उनको अपने अपने स्थानों के नज़दीक भेजा जाय। पर ज्यों ही ये पंचायत समितियों को ट्रान्सफर हो गये ऊपर से कोई ट्रान्सफर करने का सवाल नहीं रहा। अब अगर इन्सपेक्टर ऊपर से ट्रान्सफर कर भी दे कहीं तो उसे पचायत समिति एक्सेप्ट करे या न करे यह उसको इच्छा पर निर्भर है, उनका यह स्टेच्यूटरी राइट है। कह सकते हैं कि आप जिस टीचर को भेज रहे हैं जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये सलेक्टेड नहीं है या री-एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी के जरिये रिकमन्डेड नहीं है तब तक हम नहीं लेंगे।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पंचायत समितियां काफी काम कर रही हैं और काफी रुचि भी शिक्षा के क्षेत्र में ले रही हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो एडल्ट एज्यूकेशन, रात्रि, पाठशालायें शुरू की गई हैं उनके लिये कुछ अलाउन्स दिया जाना चाहिये। इस बात को माननीय चेयरमैन साहब, पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि सारी आर्थिक स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि राज्य सरकार में जो ऐसे केन्द्र अलग अलग जगह चालू किये जायें पंचायत समितियों के द्वारा या अन्यों के द्वारा उन सब के लिये राज्य सरकार अलाउन्स दे सके। क्योंकि हमारा बजट विधान सभा के सामने है, जितनी उसमें दिक्कतें हैं उसको देखते हुए राज्य सरकार पेमेंट करते हुए चली जाये यह मुश्किल है। इसलिये ही यह सुझाव दिया है कि कुछ प्राईजेज़ के तौर पर ऐसा करें कि जो अच्छा काम करे उनको प्राईज़ मिले। तो यह पंचायत समितियों को वहां की स्थिति को देखते हुये इस सम्बन्ध में निर्णय करना होगा। हम यहां से उसके मामले में तय करें कि सब के लिए इसका अलाउन्स दे दिया जायेगा, यह निर्णय करना सम्भव नहीं है।

यहां इस बहस के दौरान में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, मुझे पता नहीं, इस बात की तो खुशी है कि उनको उदयपुर से विशेष प्रेम मालूम होता है इसलिये वह उसका काफी जिक्र करते हैं। आंकड़ों के लिहाज़ से और उस स्टेटिस्टिक्स की किताब में से जो कि सदन के सभी माननीय सदस्यों की टेबलों पर रखी गई हैं, उसमें से कुछ आंकड़े देकर इस बात को दिखाने का प्रयत्न किया कि बीकानेर जिले के साथ अन्याय हुआ है और फिर बताया कि उदयपुर जिले में ज्यादा खर्च हो रहा है। किताबें आपके पास हैं और उसके आंकड़ों की छानबीन से ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आपको मैं बताऊं कि आपने वहां तक देखने का कष्ट नहीं किया होगा। आंकड़ों से पता लगता है कि कुल खर्चा बीकानेर के अन्दर पर—कैपिटा ८.४६ आता है और उदयपुर जिले के अन्दर ३.५८ आता है। इतना पर—कैपिटा दोनों में अन्तर है। दूसरी जगह, जयपुर के अन्दर ५.४६, कोटा में ४.७६ जोधपुर में ८.१६ आता है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तो जो ५ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं उनमें मैं समझता हूँ कि शिकायत तो आप यह करते तो ज्यादा अच्छा रहता कि उदयपुर में ३.५८ ही हुआ है और बीकानेर में ८.४६ हुआ है। मुझे शिकायत नहीं है । मैं निवेदन कर दूं कि बीकानेर में ज्यादा खर्च हो या नहीं और हो तो मुझे इसके लिये शिकायत नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और हम इस सम्बन्ध में ज्यादा प्रगति कर सकें। मैं माननीय चेयरमैन महोदय, इतना और निवेदन करूं कि शिक्षा के बजट में राजस्थान में पहले के मुकाबले में जैसा मैंने आपसे कहा कि काफी अन्तर पड़ा है। सन् १६५०-५१ में जहां हम आज शिक्षा के बजट पर चर्चा करते हैं तो टेक्निकल एज्यूकेशन के अलावा और जैसे मैडिकल-एज्यूकेशन, एग्रीकल्चर ऐज्यूकेशन है या अलग अलग ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं इन्डस्ट्रीज़ के अण्डर में, कोऑ-परेटिव के अण्डर में या लेबर के अण्डर में चलते हैं उन सब का पूरी पिक्चर जो कि एज्यूकेशन के ही हिस्से हैं वह हमारे सामने नहीं आती है। मैंने इस बात की कोशिश की कि क्या कुछ अन्दाजा किया जा सकता है, तो उससे अन्दाज़ होगा कि जो हम १६५०-५१ में २ करोड़, ३० लाख रुपया के आस-पास कुल खर्च एज्यूकेशन के ऊपर करते थे इन सारी एक्टीविटीज़ के ऊपर उसके मुकाबले में इस समय ११ करोड़, ८८ लाख रुपये के करीब राजस्थान के अन्दर खर्च होता है अलग अलग चीजों के ऊपर!

(करतल ध्वनि)

तो इस आसानी से इस बात की कल्पना हो सकती है कि हमारे बजट के अन्दर शिक्षा को विभिन्न दिशाओं में कहा है। राज्य सरकार की तरफ से जो हमारे साधन हैं उन साधनों को देखते हुए भी विशेष तौर पर प्रयत्न किया जा रहा है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यहां इन्जीनियरिंग कॉलेज होना बहुत जरूरी है । हमने, चेयरमैन महोदय, कुछ अर्से पहले ही एक मैन पॉवर कमेटी सैट-अप की थी जिसके अन्दर इस बात का लेखा-जोखा लगाने की कोशिश की गई कि हमारी आवश्यकतायें राजस्थान के अन्दर टेक्निकल परसोनेल के लिहाज से क्या होगी ? आज जैसा कि सब को विदित है कि जयपुर डिविज़न के अन्दर एक इन्जीनियरिंग कॉलेज़ पहले से झुंझुनूं के अन्दर है। एक पिलानी में इन्जीनियरिंग कॉलेज़ है। और जोधपुर में इन्जीनियरिंग कॉलेज़ है, इस समय तक जानकारी प्राप्त हुई है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि जयपुर डिविज़न में एक और इन्जीनियरिंग कॉलेज हो उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ऐसा उस कमेटी ने कहा और मैं समझता हूं कि वह ठीक भी है।

पोलीटेक्निक के लिहाज से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर में एक पोलीटेक्निक की आवश्यकता है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूं कि उसका जिक्र तो हम पहले ही कर चुके हैं कि बीकानेर में १६६०-६१ से पोलीटेक्निक की कक्षायें चालू हों इस रूप से १६६०-६१ में प्रिलिमिनरी कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी और प्रिन्सिपल और दूसरे और अपॉइन्टमेंट्स होकर और इक्वीपमेंट्स वगैरह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मंगाने के लिये पहले निर्णय लिया जा चुका है। इसके अलावा यह सब को विदित है कि अलवर, कोटा, अजमेर, उयपुर और जोधपुर के अन्दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५ पोलीटेक्निक राजस्थान में हो गए जिनमें अलग विद्यार्थियों को टेक्निकल शिक्षा के बारे में लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा । पोलीटेक्निक को तृतीय पंचवर्षीय योजना में और बढ़ाना चाहते हैं। वह हमारे थर्ड फाईव ईयर प्लान के फ्रेम में अन्दाजा किया जा सकता है कि और जल्दी के अन्दर उसका विस्तार किया जाये। जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को उसका लाभ प्राप्त हो........

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : गवर्नमेंट ने शायद सेकण्ड फाइव इयर प्लान में यह डिसीज़न ले लिया था कि पोलीटेक्निक कॉलेज़ भरतपुर में खोला जायेगा। Is the Hon'ble Minister saying that the decision has been reversed ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पोलीटेक्निक सेकिण्ड फाईव ईयर प्लान में शुरू कर दिया जायेगा I think it has not been announced.

श्री श्रीभानसिंह : लास्ट टाइम जब कि भरतपुर में केबीनेट मीटिंग हुई थी उस समय in the Sectt. building in the fort, that was in my presence when the Collector was told कलेक्टर से यह फरमाया था कि सेक्रेटेरियट को यों इफेक्ट किया जा रहा है कि पोलीटेक्निक को हम खोल रहे हैं और क्योंकि गवर्नमेंट के इन्सट्रक्शन्स आ गये हैं और सेक्रेटेरियट को दूसरी जगह रिमूव कर दिया जाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सेकण्ड फाइव इयर प्लान में हम कैसे कर सकते हैं ? थर्ड फाइव इयर प्लान में खोलने का प्रश्न अवश्य है। सारी बातों को देखते हुये निर्णय करना होगा । इसको सेकण्ड फाईव इयर प्लान में नहीं कर सकते क्योंकि १६६०-६१ का मतलब सेकण्ड फाइव इयर प्लान में अब कोई और दूसरा साल नहीं रहता। सेकण्ड फाइव इयर प्लान में उसकी पासीबिलिटी नहीं है ।

अब चेयरमैन महोदय, यहां डिग्री कॉलेज़ के लिये विशेष तौर से माननीय सदस्यों ने जोर दिया उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक कॉलेज़ झुंझुनूं में भी होना चाहिये । आज झूंझुनूं जिला सौभाग्य से राजस्थान के अन्दर उन जिलों में से है जहां नवलगढ़, पिलानी और मुकन्दगढ़ के अन्दर कॉलेजेज़ हैं और चिड़ावा में भी है। तो जहां करीब पांच कॉलेजेज़ हैं एक जिले के अन्दर........

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : प्राईवेट कॉलेजेज़ हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लेकिन प्राईवेट कॉलेजेज़ के अन्दर सब जगह गवर्नमेंट को सिवाय पिलानी के ग्रान्ट-इन-एड काफ़ी तादाद में देनी होती है। आज दूसरी तरफ राजस्थान के ७ जिले ऐसे हैं कि जिन जिलों में एक भी कॉलेज नहीं है ।

Page No.72

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तो मैं समझता हूं कि यह उचित नीति होगी जिसके ऊपर हम चलना चाहते हैं कि पहले प्राथमिकता उन स्थानों को दी जाये जहां जिलों के अन्दर एक भी कॉलेज नहीं है। क्योंकि उसका परिणाम यह होता है कि वहां जो एक, दो कॉलेज चलते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो जहां एक ही डिस्ट्रिक्ट में १,५०० के ऊपर कॉलेज में तादाद हो वहां प्राथमिकता दी जाये या जहां जिले में एक भी कॉलेज नहीं है वहां। अब प्रश्न यह है कि जो इन्टर कॉलेजेज़ हैं उनको हायर सेकन्डरी में परिवर्तित किया जाये या उनको डिग्री कॉलेज में परिवर्तित किया जाये? तो मैं आपको बताऊं कि हमने उनको थ्री इयर्स डिग्री कोर्स में बदलने की पॉलिसी को अख्तियार किया है। तो जो झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य को चिन्ता है उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि थ्री इयर्स डिग्री कॉलेज की स्कीम हमें सब जगह लागू करनी होगी। यह प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स वाला कॉलेज झुंझुनूं में नहीं होगा। जो इन्टर कॉलेज और फोर इयर्स डिग्री कोर्स के कॉलेजेज़ हैं वह तो एक तरह से ट्रान्सीशनल फेस है और अभी भी वहां पर थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आम तौर से हम इसको पसन्द करते हैं और इसके लिये हम व्यवस्थापक से बात करेंगे ताकि एक न एक जगह थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स का एक कॉलेज एक जगह हो जाये। और यह कहना कि झुंझुनूं में एक डिग्री कॉलेज और हो तो वह वाजिब नहीं होगा। तो आज पैसा जब कि हमको प्राइमरी स्कूल्स में खर्च करने के लिए चाहिये और दूसरी सुविधाओं के लिये चाहिये लेकिन हम एक तरफ १००, १५० लड़कों के लिये डिग्री कॉलेज बनाते हुये चले जाय यह ठीक नहीं है। धौलपुर के लिये जो माननीय सदस्य ने कहा उनसे मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके सम्बन्ध में चर्चायें भी काफ़ी हुई हैं और मैंने समय समय पर कहा भी था और वहां से पहले एक बार बहुत से लोग एकत्रित होकर आये भी थे और कहा था कि हम वहां पर जनता की तरफ से विशेष प्रयत्न करना चाहते हैं सहयोग देना चाहते हैं कि जिससे वहां पर जल्दी हो तो ज्यादा अच्छा हो। उसके बाद करनेवाली कोई चीज़ सामने नहीं आई। इसलिए मैं इस स्थिति में इस वक्त नहीं हूं कि वहां की स्थिति क्या है? सेकण्ड फाइव ईअर प्लान में डिग्री कॉलेज के लिए खर्च करना पड़ता है और ऐसी अनुकूल स्थिति वहां पैदा हुई तो विचार कर सकते हैं वर्ना आगेवाले वर्ष के अन्दर हमारा इरादा यह है कि जैसे गंगा-नगर के अन्दर इन्टर कॉलेज है लड़कियों का तो उसको डिग्री कॉलेज में परिवर्तित करना चाहते हैं जिससे कि वहां पर डिग्री कॉलेज हो जाय लड़कियों का। जिस प्रकार से सरदारशहर में जो इन्टर कॉलेज रहा है और जो बिल्डिंग के लिए वहां के लोगों ने कन्ट्रीब्यूट करके बनाने का कहा था तो अगर बिल्डिंग तैयार हो जायेगी, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं, तो वहां इन्टर कॉलेज को डिग्री कॉलेज कर दिया जायेगा।

दौसा के अन्दर मिडिल स्कूल वहां से शिफ्ट करने की बात लोगों की तरफ से होगी और उनका सहयोग प्राप्त होगा तो वहां पर अगले वर्ष में डिग्री कॉलेज करेंगे। इन्हीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बातों को करना है, वह मैंने आपके सामने रखी हैं।

लड़कियों के स्कूल के बारे में सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर हाई स्कूल होना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि यह उनकी जानकारी में है कि सरदारशहर में एक प्राइवेट हाई स्कूल है जिससे वे भली प्रकार से परिचित हैं। उस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से और वहां की व्यवस्था हो सके उस बात को पसन्द करके जैसे ही वहां जो भवन निर्माण हो रहा है उस भवन के निर्माण के बाद दोनों स्कूलों में लड़कियों की तादाद जो उचित होनी चाहिये, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि १५, २० कम से कम नवीं के अन्दर लड़कियां हों, उतनी तादाद दोनों स्कूलों में उपलब्ध हुई तो मैं समझता हूं कि दिक्कत नहीं आनेवाली है। लेकिन अगर यह तादाद नहीं हुई तो वे मुझे क्षमा करेंगे ।

दूसरी जगह, हमारे राजस्थान के अन्दर कई स्थान ऐसे हैं जिनके अन्दर लड़कियों के हाई स्कूल नहीं हैं। उनमें हम विशेष तौर से अगले वर्ष चाहते हैं कि वहां पर हाई स्कूल शुरू किये जाय लड़कियों के और उस ख्याल से सवाई माधोपुर जिले के अन्दर करोली में जो लड़कियों का मिडल स्कूल है उसको अपग्रेड करेंगे हाई स्कूल के अन्दर। उसी प्रकार से पाली के अन्दर जो मिडल स्कूल है उसको लड़कियों के हाई स्कूल में अपग्रेड करेंगे। नागोर में जो मिडल स्कूल है उसको हाई स्कूल में अपग्रेड करेंगे। चितौड़ में जो मिडल स्कूल है उसको हाईस्कूल में अपग्रेड करेंगे। अलवर में जो लड़कियों का हाई स्कूल है उसको हायर सेकन्डरी स्कूल में तब्दील करेंगे। भरतपुर में जो हाई स्कूल लड़कियों का है उसको हायर सेकन्डरी स्कूल में कन्वर्ट करेंगे कि जिससे उन लोगों को ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : झुंझुनूं का तो नाम नहीं आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां पर हाई स्कूल है।

दूसरा नाथद्वारे से आनेवाले माननीय सदस्य....

श्री शीशराम ओला : झुंझुनूं का मेन्शन नहीं किया गया। वहां पर लड़कियों का स्कूल नहीं, गवर्नमेंट का झुंझुनूं के अन्दर

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : झुंझुनूं के अन्दर खोलेंगे लेकिन कहां पर होगा, यह मैं आज निश्चित तौर से कहने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसकी जानकारी पूरी तरह से करनी होगी कि कौन सी जगह लड़कियों की तादाद ज्यादा है, भवन वगैरह की फेसिलिटीज हैं, उसके बाद में फैसला किया जा सकता है। यहां पर आज मैंने जो निश्चित तौर से तय की हुई बातें थीं उनका जिक्र किया है।

वैसे आपको मालूम हो कि ३० हाई स्कूल्स को हायर सेकन्डरी स्कूल्स में कन्वर्ट किया जायगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कन्वर्शन की बात कही थी। उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरों ने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कहा कि हाई स्कूल हायर सेकिन्डरी स्कूल में तब्दील हो जाने चाहिए। तो हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों में तब्दील करने में काफी खर्चा होता है। इसलिए इस वर्ष इस बात को लेकर चल रहे हैं कि जिन जिलों में एक भी हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं हो वहां कम से कम हैडक्वार्टर पर जो हाई स्कूल है उसको हायर सेकेन्डरी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाय जिससे बहुत से रात दिन यह सवाल आते हैं कि एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो यह प्रश्न होता है कि हायर सेकिन्डरी स्कूल दूसरी जगह नहीं है और केवल हाई स्कूल ही है तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर कोई न कोई सब जगह हायर सेकन्डरी स्कूल उपलब्ध हो सके, उसको डवेलप किया जा सके, इस वजह से यह प्लान किया है। साथ ही साथ हम इस बात की कोशिश भी करना चाहते हैं कि हर डिविज़न के हैडक्वार्टर पर कम से कम लड़कियों के एक हाई स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल में कन्वर्ट कर दें जिससे हर डिविज़न में कम से कम लड़कियों का कि हायर सेकन्डरी स्कूल और उसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक लड़कों का हाइअर सेकन्डरी स्कूल उपलब्ध हो सके उनियारा का नम्बर भी धीरे धीरे मकान वगैरह बनते जायेंगे तो आ जायेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : लड़कियों का कम से कम वहां पर हाई स्कूल या मिडिल स्कूल, कुछ तो होना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लड़कियों की तादाद पूरी होगी तो मुझे कुछ ऐतराज नहीं है। आप प्रयत्न कीजिये इस बात का।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : लड़कियें पैदा कीजिये।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय चेअरमैन महोदय, इसके अलावा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कि आज उपस्थित नहीं हैं उन्होंने कुछ प्रश्न यहां पर उठाये हैं एक तो मंडन मिश्र को जो पी-एच. डी. की डिग्री देदी गई है उस पर उनको शख्त नाराजगी थी। यह प्रश्न कई बार चर्चा में आ चुका है। पहले भी इसका जबाब दिया जा चुका है। मैं समझता हूं कि मैं उसमें बहुत ज्यादा पड़ूं उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी संक्षेप में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करूंगा कि युनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से ओरियन्टल फैकल्टी बना कर इस बात के लिए तय किया था कि 'वाचस्पति' की वे अपने यहां पर डिग्री देंगे जो कि पीएच. डी. के समकक्ष होगी। उसका निर्णय किया गया, और उसके बाद में मंडन मिश्र ने इस बात को कहा कि मैं थीसिस लिख कर प्रस्तुत करूं और थीसिस लिखने के लिए युनिवर्सिटी ने कहा कि लिखो। उसका थीसिस तैयार हो गया उसके बाद में युनिवर्सिटी को एप्रोच किया कि मेरा थीसिस तैयार है इसलिए इस थीसिस पर निर्णय किया जाना चाहिये। तो सिन्डीकेट ने उनकी बात पर विचार करके उसको पीएच.डी.की उपाधि दी। और उपाधि देने के बाद में कुछ एक तरह के सवाल भी उठे कि उनको अंग्रेजी और दूसरी परीक्षाएं पास करनी चाहिए थीं जिसके बाद पीएच. डी. के लिए हकदार हो सकते थे। उस प्रश्न पर दुबारा विचार किया गया और यह सामने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आया 'वाचस्पति' की डिग्री जब तक हट गई थी, फैकल्टी वर्क नहीं करती थी। फिर भी इस बात को तय किया गया पीएच. डी. के बारे में फैसला किया इसके लिए क्योंकि कह चुके थे कि थीसिस लिखो और थीसिस उस स्टेन्डर्ड का है इसलिए इनको डिग्री दी जाती है। मैं समझता हूं कि यह उनके निर्णय करने की बात थी, उन्होंने यह फैसला किया। आज उसके सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध हो सकती थी वह जानकारी मैंने आपके समक्ष रख दी है।

इसके अलावा एक प्रोफेसर का जिक्र आया था। माननीय सदस्य शायद अभी मौजूद नहीं हैं, कल उन्होंने उनका नाम बताया नहीं था लेकिन यदि मैं गलत नहीं हूं तो शायद एक गोयल साहब हैं उनसे ही उनका तात्पर्य था। उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि वे कोटा में इम्तिहान लेने गये थे वहां इन्टर्नल एग्ज़ामिनर के बीच में और उनके बीच में मतभेद हो गया और उन्होंने अपनी तरफ से युनिवर्सिटी को लिखा कि मेरे मार्क्स के सम्बन्ध में इन्टर्नल एग्ज़ामिनर और मेरे बीच में डिफ़रेन्स ऑफ ओपीनियन है। इस पर युनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से कार्यवाही की। अब क्या कार्यवाही की, इस बारे में पब्लिकली मार्क्स के मामले में युनिवर्सिटी के बीच चर्चा में पड़ने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। गोयल साहब ने युनिवर्सिटी के इन्टर्नल मामले में लिखा पढ़ी अपनी तरफ से करनी शुरू की और लिखा कि मेरे साथ उचित न्याय नहीं हो रहा है। यहां तक ही नहीं, इसके अलावा युनिवर्सिटी सिनेट के मेम्बर्स को भी बाहर लिखना शुरू किया, युनिवर्सिटी कि खिलाफ रेगुलरली लिखना शुरू कर दिया। वे यहीं नहीं रुके बल्कि ब्लिट्ज में भी उन्होंने युनिवर्सिटी के खिलाफ लिखवाया। यह सारा मामला जब सामने आया तब उनको सस्पेन्ड किया गया और उनका एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। मैं समझता हूं जो फैक्ट्स सामने आये हैं वे यदि ठीक हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। कल यह भी कहा गया था कि उनको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उनको यह भी कहा गया कि वे पेपर्स देखना चाहें तो उनको दिखाये जा सकते हैं। वे सारे फैक्ट्स को देख कर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन आने के बाद आगे की दूसरी कार्यवाही होगी। इस मामले में अब तक के जो हालात हैं वे मैंने प्रस्तुत किये।

श्री भैरोंसिंह : On a point of clarification. मुख्य मंत्रीजी मुझे क्षमा करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन प्रोफेसर को सस्पेन्ड किया गया, वे युनिवर्सिटी की सर्विस में थे या स्टेट की सर्विस में?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह साफ है कि स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में थे।

श्री भैरोंसिंह : स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में होते हुए उन्हें युनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार था या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो प्रोफेसर हैं उनके लिए यह लाजमी है कि वे

Page No.76

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

युनिवर्सिटी के डिकोरम को मानकर चलें। इसको आवश्यक समझते हैं क्योंकि आज युनिवर्सिटी एज्युकेशन के लिए जो अलग अलग कॉलेजेज रन कर रही है उनमें काफी परंपरा बनती है। जो एग्ज़ामिनर बनते हैं वे युनिवर्सिटी के खिलाफ अंधाधुन्ध प्रचार में पड़ें, डिकोरम से बाहर रहें, यह ठीक नहीं है। वे अपने ऑफिसर्स को कहते, गवर्नमेंट को कहते, पेपर्स के जरिये प्रचार करने की परम्परायें चलती हैं तो अच्छी परम्परायें नहीं हैं........

मेजर श्री फतेसिंह (भीम) : युनिवर्सिटी डिबार कर सकती थी एग्ज़ामिनर बनने से।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : ऑर्डर प्लीज़।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सांभर से आनेवाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि सांभर में भी अगले वर्ष से लड़कियों के हाई स्कूल के लिए निर्णय कर लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने भैंसनोद में कॉमर्स कॉलेज खोलने के लिए जोर दिया और कहा कि कॉमर्स कक्षायें खुलनी चाहिए। मैंने इसके सम्बन्ध में जानकारी करने की कोशिश की कि स्थिति वहां की क्या है? वहां पर छठी कक्षा से ११ वीं कक्षा तक कुल १२७ विद्यार्थी हैं : ११ वीं में ८, १० वीं में ८, ६ वीं में १६ लड़के हैं। यह देखते हुए शायद वे भी इसके लिये सहमत नहीं होंगे........

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कॉमर्स क्लासेज खुलने से बढ़ जायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपसे मैं इस प्रकार की आशा नहीं करता। आम तौर से लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन जब तक सब्जेक्ट इन्ट्रोड्यूस करने की गुंजाइश नहीं होती तब तक नहीं किया जा सकता। सांभर में डिग्री कॉलेज के बारे में भी कहा गया था, शायद आपने ही कहा था लेकिन इसके लिए आप खुद समझ सकते हैं। आपने अपने क्षेत्र की बात कह कर उसके प्रति न्याय किया और मैंने अपनी दिक्कत आपको बता दी।

(हंसी)

सभापति महोदय, यहां पर नेशनलाइज़ेशन बोर्ड की तरफ से पेपर पर्चेज़ करने के बारे में प्रश्न उठा। इस सम्बन्ध में मुझे जो जानकारी दी गई है वह यह है कि नेशनलाइज़ेशन बोर्ड की तरफ से यह तय किया गया कि स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन ऑफ इन्डिया के जरिये सिड्रमल एन्ड सन्स को २०० टन पेपर सप्लाई करने का लिखा जाय। उनको लिखने पर उन्होंने जवाब दिया कि वे कागज़ जल्दी सप्लाई नहीं कर सकते, वे दिसम्बर ६० में पूरा कागज़ सप्लाई कर सकते हैं। जब उनका यह जवाब आया तो यह स्वाभाविक बात थी कि इस पर विचार किया जाता क्योंकि कागज की जरूरत जल्दी थी। यदि वे यह कहें कि हम वक्त पर कागज़ नहीं दे सकते, दिसम्बर, ६० तक देंगे तो कागज के अभाव में किताबों की छपाई नहीं हो सकती। इसके बाद जो दूसरे कॉटेशन्स वगैरह आये थे उनके आधार पर जयपुर की एक फर्म है जिसका नाम प्रकाश प्रिन्टर्स है उसको ऑर्डर दिया गया और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

११० नये पैसे पर पाउन्ड के हिसाब से उन्हें सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया। इस ऑर्डर को देने के वक्त, जैसा कि यहां कहा गया था कि ८७ नये पैसे पर और लोग सप्लाई करने को तैयार थे तब फिर ११० नये पैसे का ऑर्डर क्यों दिया गया ? मुझे यह बताया गया है कि ८७ नये पैसे पर किसी ने पेपर सप्लाई करने का ऑफ़र नहीं दिया और उस वक्त जो लोऐस्ट भाव पर सप्लाई करने को तैयार था वह यही था इसलिए इस फर्म को ऑर्डर दिया गया। यदि इससे भिन्न बात हो तो माननीय सदस्य सदन के बाहर बता सकते हैं, मैं उसकी जानकारी कर सकता हूं। लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है वह यही है कि लोएस्ट कोटेशन इसी फर्म का था। सिद्दूमल एन्ड सन्स को स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन ने सजेस्ट किया था, उसको नेशनेलाइज़ेशन बोर्ड ने पूरा ऑर्डर २०० टन का दिया था लेकिन वे सप्लाई नहीं कर सके इसलिए दूसरे को दिया गया। दूसरी फर्म्स ने कहा कि सेम्पल बाद में भेजेंगे और भी कई कमियें थीं इस वजह से उनके फेवर में निर्णय नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं नेशनलाइज़ेशन बोर्ड में काफी सीनियर ऑफ़िसर्स हैं। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, इसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं, पी. एस. सी. के मेम्बर हैं और भी काफी सीनियर मेम्बर्स हैं। सदन भी यह नहीं सोचेगा कि वे अंडर हेन्ड डीलिंग करेंगे पेपर सप्लाई के मामले में। मैन ऑफ हाई पॉवर और इन्टिग्रिटी का बोर्ड बनाया गया है वह फैसला करे क्योंकि यह चीज ऐसी है जो वक्त पर आनी चाहिये........

श्री भैरोंसिंह : उनकी शिकायत यह थी कि टेरिफ़ कमीशन ने जो रेट प्रेस्क्राइब की थी उससे ज्यादा रेट गवर्नमेंट ने मन्जूर की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टेरिफ कमीशन से आपका मतलब शायद स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन से है। उन्होंने जिस सेद्दूमल एन्ड सन्स का नाम बताया था। उन्होंने कहा कि हम दिसम्बर, ६० में सप्लाई कर सकते हैं। यह सही है कि वे सप्लाई करते तो ८७ नये पैसे से करते लेकिन वे सप्लाई दिसम्बर ६० में करते और इतने समय तक उनके लिए वेट करना सम्भव नहीं था। यदि यही मतलब है तो उनके जरिए लेने से चीपर मिलता लेकिन उसका यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि सप्लाई लेट आती और हम सब जानते हैं कि तब तक वेट करना सम्भव नहीं था, वर्ना उनको २०० टन का ऑर्डर दिया था........

श्री भैरोंसिंह : बाकी लोगों ने इसलिए टेन्डर नहीं दिया कि टेरिफ कमीशन की रेट लोवर थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टेन्डर्स पहले आ चुके हैं। कई फर्म्स ने पहले भी टेन्डर्स दिये हैं। आन्ध्र पेपर मिल्स, सूरत पेपर मिल्स, जयपुर ट्रेडिंग कम्पनी, मनोहर प्रकाशन आदि के टेन्डर आये। उसके बाद स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने कहा कि इनके थ्रू पर्चेज करने से फायदा होगा, क्योंकि चीपर रेट्स हैं। उसको २०० टन का ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब सप्लाई का सवाल आया तो कहा कि दिसम्बर, १९६० में सप्लाई कर सकते हैं, तब विचार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करना पड़ा। इसलिए इसमें कोई भ्रांति हुई है, ऐसा लगता है।

माननीय चेअरमैन, यहां पर प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में टीचर्स को हटा दिया जाता है, कुछ और कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ ग्रान्ट इन एड रूल्स को और लिबरल करने के लिए, ठीक तरह से विचार करने के लिए कहा गया। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, कि एक कमेटी बनाई है जो सारे पहलुओं पर विचार करके इसके बारे में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें अध्यापकों के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसी की इच्छा पर निकाल दिये जायं, ऐसी परिस्थिति न रहे और उसके साथ साथ जो सहायता दी जाय संस्था को उस पर कंट्रोल हो और सहायता लिबरल भी हो। इन सारे पहलुओं पर विचार करने के लिए कमेटी बैठी है। अब यह कहा जाय कि वह कमेटी जयपुर में बैठ कर निर्णय न करे बल्कि बाहर जाकर देख कर निर्णय करे, यह कमेटी के विचार करने की बात है कि किस प्रकार हो सकता है। विज़ीट करके निर्णय करने का प्रश्न उतना नहीं है जितना यह प्रश्न है कि क्या निर्णय करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एक किसी विशेष संस्था का नहीं करना है बल्कि एक प्रिन्सिपल डिसाइड करना है कि किस आधार पर सहायता दी जानी चाहिए....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : कमेटी इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सुनेगी भी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां। माननीय चेअरमैन महोदय, संस्कृत के बारे में यहां पर कहा गया कि संस्कृत शिक्षा के प्रति उदासीन है सरकार। मैं नहीं समझता कि उदासीनता की कोई बात है बल्कि कुछ प्रयत्न किये गये हैं तो उसको कुछ आगे बढ़ाने की तरफ किये गये हैं। अब जो कुछ माननीय सदस्य का यह ख्याल है कि हम जो कुछ शिक्षा आज दे रहे हैं उसको बहुत कुछ रिप्लेस करने की कोशिश करें। संस्कृत एजूकेशन जो है, मैं समझता हूं आशय उनका भी यह नहीं है, जैसा कि मैं एक, दो माननीय सदस्यों के कहने से अन्दाज कर पाया हूं कि सब कुछ संस्कृत में ही किया जाय। मैं समझता हूं कि संस्कृत शिक्षा पाने का उनको अवसर हो जो पढ़ना चाहते हैं, उनको संस्कृत पढ़ने का मौका मिले। इसके साथ ही साथ दूसरी शिक्षा भी आज दे रहे हैं, उसमें परिवर्तन निरन्तर किया जा रहा है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जैसी कि आम तौर से उनकी मान्यता है, वे कहते हैं, मेकॉले के वक्त में जो शिक्षा का तरीका रहा है वह आज भी चल रहा है। उनको बहुत शख्त नाराजगी है शिक्षा पद्धति पर। मैं निवेदन करूं कि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया जा रहा है भारत सरकार के आधार पर एक तरीके से। मैं समझता हूं कि समय समय पर कई कमीशन बने, कइयों ने विचार किया और उसके अन्दर दूसरे परिवर्तन किये गये। लेकिन कुल मिला कर मैं समझता हूं कि इतना मान कर चलना होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस वक्त दुनिया की शिक्षा प्रणालियों से भिन्नता लिये हुए हो, उससे कट ऑफ हो, इस लेवल पर कल्पना करके नहीं चल सकते क्योंकि आज दुनिया जुड़ी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हुई है। ऐसी स्थिति के अन्दर जो शिक्षा प्रणाली का आधार हो हमारे यहां, वह ऐसा आधार हो जो दूसरे देशों से जुड़ा हुआ हो, यह आवश्यक है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा आज जरूर दी जानी चाहिए। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि इसके बारे में भारत सरकार की तरफ से एक कमेटी बैठी थी श्री प्रकाशजी की चेअरमैनशिप में। उसने रिपोर्ट दी है एज्यूकेशन एडवाइज़री बोर्ड ने फिर इस मामले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एज्यूकेशन मिनिस्ट्री को सौंपा है कि वह विचार करे और यह प्रश्न दरअसल काफ़ी गम्भीरता से निर्णय करने का है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करूं कि जो धार्मिक शिक्षा के बारे में कई बार चर्चा करते हैं, सब चाहते हैं कि इस तरह की शिक्षा दी जाय, जिसमें कोई बायस नहीं हो, एक समभाव हो, उसके साथ ही सब रिलिजियन्स के लिए आदर बनता जाय। तो यह जरूरी होगा कि उस शिक्षा को जो देने वाला हो, वह उस विचारधारा का हो। मान लीजिये मैं क्रिश्चियन धर्म की अच्छाई के बारे में सोचता हूँ, मुसलमान धर्म की अच्छाई के बारे में सोचता हूँ, या हिन्दू धर्म की अच्छाई के बारे में सिखाता हूं, तो जब तक मेरी खुद की ऐसी विचारधारा नहीं होगी कि मैं तीनों धर्म के प्रति समभाव रखता हूं, तब तक जो मुझे काम सौंपा गया है रिलीजियस एजुकेशन देने का, उसमें काफी सम्भावना है कि एक प्रकार की विचारधारा पर ज्यादा वजन पड़ सके। यह भी बात आई कि किस तरह की टैक्स्ट बुक्स हों, उसमें किस तरह पाठ दिये जायं, जिससे हम जैसा चाहते हैं कि समभाव बढ़े, आदर बढ़े एक दूसरे धर्म के प्रति, धर्म की अच्छाइयों से नैतिक लाभ प्राप्त हो। मैं समझता हूं इस पर विचार करने के लिए किस का मतभेद नहीं है। अब यह प्रश्न आता है कि इसको इस ढंग से किया जाय कि जिससे समाज के अन्दर आपस में सद्भावना का वातावरण ज्यादा से ज्यादा वृद्धि कर सके और नैतिक स्तर ऊंचा हो.......

श्री जनार्दनराय नागर : 'साम्प्रदायिकता' से तो मतलब नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : धार्मिक शिक्षा की बात चल रही है।

माननीय चेअरमैन महोदय, मैं इस बात की ओर विशेष तौर से, सदन का ध्यान आकर्षित करूं तो अनुचित नहीं होगा कि राजस्थान के अन्दर जो बजट यहां पास करते हैं, उसकी धन-राशि के अन्दर दिन प्रति दिन वृद्धि होती जा रही है। इसके साथ ही राजस्थान में आवश्यक होगा कि नॉन ऑफिशियल एफर्ट्स भी हों क्योंकि जैसे केरल व दूसरे प्रान्तों में जो शिक्षा का प्रचार हुआ है, यह केवल मात्र सरकारी खर्च से नहीं हुआ है। राजस्थान के अन्दर भी यह गम्भीर प्रश्न है, जिसके बारे में सब माननीय सदस्यों को स्पष्ट तौर से विचार करना होगा, आज करें, कल करें, गम्भीरता से सोचने का प्रश्न आयेगा जब हम यह चाहते हैं कि राजस्थान में व्यापक शिक्षा का विस्तार हो, प्राथमिक शिक्षा से लेकर ऊपर तक। मैं निवेदन करूं, जैसी कि आज कल नीति रही है, जिसमें माना है कि स्कूल सरकारी हों, सब कॉलेज भी ज्यादा से ज्यादा सरकारी हों, फीस का स्तर कम से कम हो, इन सब प्रश्नों को छेड़ कर, मैं आशा करता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि सब

Page No.80

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सदस्य इस पर विचार करेंगे कि शिक्षा को फैलाना तो चाहते हैं इन आधारों पर, लेकिन इसके साथ एक प्रश्न पैदा जरूर होता है, जो राजस्थान के सामने आने वाला है, उस पर हम गम्भीरता के साथ विचार करें, उसके लिए उचित होगा कि नॉन ऑफिशियल एफर्ट्स ज्यादा से ज्यादा इसके अन्दर हों, उनको सरकार सप्लीमेंट कर सकती है, तो वह करे। उसके साथ साथ जो कॉलेजेज़ के बारे में, मिडल स्कूल्स के बारे में, हाई स्कूल्स के बारे में इच्छा व्यक्त की जाती है, उसी प्रकार डिग्री कालेजेज़ के बारे में कल्पना होने लगी कि तहसील में और सब डिवीज़न में हों। लेकिन एक सवाल घूम फिर कर आता है जो महत्वपूर्ण सवाल है कि राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शत प्रतिशत, ८० प्रतिशत की स्थिति तक हम पहुँच सकें, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केन्द्रित करना होगा। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में कहा कि हमारे यहां यूनीवर्सिटी के ऊपर काफी खर्च किया जाता है, उसके अनुपात में हमारे यहां प्राइमरी एज्युकेशन पर कम किया जाता है। मैं समझता हूं कि उनके कहने में बल अधिक है। इस रेफ़रेंन्स में जो उन्होंने कहा कि प्राइमरी एज्युकेशन पर कम खर्च करते हैं, यह सत्य है कि हमारे यहां दूसरे राज्य के मुकाबले में ऊपर की एज्युकेशन पर खर्च ज्यादा है। यह ठीक है कि अपन जितना खर्च करें, उतना हो सकता है, जब तक उतना खर्च नहीं करते, तब तक उस दिशा में बढ़ते हुए चले जायं। मैं समझता हूं शिक्षा गांवों तक पहुँचती है, तो गांवों तक पहुँचाने के लिए यह आवश्यकता होगी इस लिहाज से, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि गांवों में एडीशनल टीचर्स चाहिए। बहुत सी जगह एक ड्राइव हुआ। स्थिति यह हुई कि वहां अध्यापक कम हैं। अब यह प्रश्न आया कि गांवों के लिए एडीशनल टीचर्स दिये जायं या डिग्री कॉलेजेज़ और खोले जायं। यह प्रश्न आता है और जो एज्युकेशन से जुड़ा हुआ है। मैं इन्कार नहीं करता हूं कि दूसरे लेवल पर विस्तार करना चाहिए। आज डिग्री कॉलेजेज़ कई जिलों में खुले हुए हैं, उनमें विद्यार्थियों के भर्ती होने की गुंजाइश है। कॉलेज की स्ट्रेन्थ जब तक ७००—८०० तक पहुँचे तब तक कोई बात नहीं है। लेकिन केवल २००, ३०० विद्यार्थियों के लिए कॉलेज फैलाने लगें, तो मैं समझता हूँ कि कई गुना ज्यादा खर्चा होने का सिलसिला हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इसको लक्ष्य में रख कर चलें, इन सारी बातों को ख्याल में रख कर चलें तो आवश्यक होगा कि प्राथमिक शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान रहे। ब्यावर से आनेवाले, नहीं भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने ब्यावर की गर्ल्स हाई स्कूल के लिये फीस के बारे में कहा कि फीस वहां पर, गेम्स फ़ी, मेग्ज़ीन फ़ी वगैरह ली गई, उचित नहीं ली गई। इस बारे में सदन में पहले भी कई बार जवाब दिया जा चुका है। आज मैंने भी बहुत सी बातों को देखने की कोशिश की, इस बात में दूसरी जगह और वहां की स्थिति में अन्तर है। इस प्रकार की स्थितियां क्यों पैदा हुई हैं, इसके बारे में मैं माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। विभाग वालों से कहा है कि कम्पेरेटिव पिक्चर दे दें, तो उसके बाद हम जो उचित कार्यवाही होगी वह करेंगे। मैं यह निवेदन कर दूं कि किसी की मंशा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह नहीं कि चूंकि एक प्रश्न यहां उठ गया इसलिये उसको दबायें यह नहीं है । इन सारी परिस्थितियों की जानकारी के बाद में, इसमें जो उचित है वह किया जायेगा ।

(३.२ म. प.)

मेजर श्री फतसिंह : मैं शिक्षा मंत्री महोदय से जानकारी चाहूँगा कि पिछली बार जब मैंने विधान सभा में प्रश्न पूछा था तो उप शिक्षा मंत्री ने बताया था कि पुरानी रेट से एक्टिविटी फीस ली जानी चाहिये, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी रेट से एक्टिविटी फीस ली जा रही है, वह गलत बात है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह कल भी आपने कहा था। मैंने कहा न कि जानकारी मिली है कि दूसरी जगहों से उस जगह की स्थिति में अन्तर है । वह ठीक है कि आपने कल बताया, इस बारे में पूरी जानकारी करके जो उचित है वह किया जायेगा ।

अब चेअरमैन महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जब पंचायत समितियों को स्कूलों की व्यवस्था सौंपी है तो म्युनिसिपैलिटीज़ को स्कूल्स की व्यवस्था क्यों नहीं सौंपी जाती ? तो यह सब माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि हमने एक कमेटी भी इस बारे में सेट-अप कर दी है कि किस तरह इसके बारे में किया जाय ।

बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने अनिवार्य शिक्षा के बारे में म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर में स्कूलें चलती हैं उनमें तनख्वाह की डेस्पेरिटी और समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, इस बारे में रखा । यह सच है कि उन्होंने पहले भी इस बारे में प्रश्न उठाया था और उस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हो पाई है, क्योंकि हम समझते हैं कि म्युनिसिपैलिटी के अन्डर में है, और हम समझते हैं कि दूसरी जगह पंचायत समितियों को अधिकार है तो म्युनिसिपैलिटीज़ को भी अधिकार होगा तो इस पीरियड में गवर्नमेंट टेक-अप करे तो क्या उचित होगा, इसलिये विलम्ब हुआ है । वेतन का प्रश्न उठा वह आवश्यक है । इस पर विचार करके हम जल्दी से जल्दी निर्णय करेंगे । जब कि हम ७५ प्रतिशत ग्रान्ट इन एड देते हैं तो इसको जल्दी से जल्दी कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर विचार करके निर्णय ले लेंगे....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय सभापति महोदय,....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें आपका तो कुछ है ही नहीं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मुझे कुछ और अर्ज करना है ।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी बैठ कर भाषण करें तो ठीक रहेगा, खड़े रह कर भाषण देने में स्ट्रेन पड़ रहा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चेअरमैन महोदय, बाडमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पोलिटिकल निर्णयों पर स्कूल्स खोले जाते हैं । शायद उनका आशय था कि कांग्रेसवाले कह देते हैं तो खुल जाते हैं । बाडमेर के मामले में उनको

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जानकारी है कि ३ कांग्रेसी हैं और उनकी खुद की कॉन्स्टीट्युएन्सी में उन्हें जानकारी है कि हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूल खुले हैं। केवल यही प्रश्न होता तो इस दृष्टि से विचार नहीं करते । आपकी तरह दूसरे सोचते हैं। आप वहां से इस बार चुन कर आये हैं, उस क्षेत्र वालों को अपनी तरफ लेना चाहते हैं तो वहां खोलेंगे, नहीं खोलेंगे ऐसी बात नहीं है। एक बार कोई गल्ती की है तो वह दुबारा गल्ती नहीं करेंगे।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : लेकिन वहां के लोगों को कहा यही जाता है कि तुम्हारे यहां विरोधी सदस्य आये हैं इसलिये तुम्हारी कॉन्स्टीट्युएन्सी में कुछ भी काम नहीं हो रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे कहने के लिये प्रचार करते हैं पर हम यह प्रचार करते हैं कि हम वहां काम करते हैं। पोलिटिकल लाभ भी मिल सकता है।

इसी तरह मालाखेड़ा स्कूल का कहा। अप-ग्रेड करने की बात है और इसी तरह की दूसरी बाते हैं उन पर यह बजट पास हो जाने के बाद अप्रेल में बैठ कर सब प्रश्नों पर विचार करेंगे कि कहां कहां क्या क्या करना चाहिये । एक एक के विस्तार में जाना तो उचित नहीं होगा । यों आपको पता ही है कि जितना ज्यादा शिक्षा विभाग कर सकता है, करने का प्रयास कर रहा हैं और करेगा।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेकर यह डिमान्ड आपके सामने आई है उसको एक राय से स्वीकृत करें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं वे एक साथ खड़े हो कर वापिस ले लें । इससे सदन के समय की बचत होगी।

श्री सभापति : That will not take much time.

सीरियल नं० में इस प्रकार नहीं हैं।

(विराम)

मेजर फतसिंह।

मेजर श्रीफतसिंह (भीम): श्रीमान्, अगर शिक्षा मंत्री महोदय ने जैसा अभी फरमाया वैसा विश्वास दिलाते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र आप जांच करेंगे और न्याय दिलायेंगे तब तो...

श्री सभापति : No condition please.

एक माननीय सदस्य : Unconditional surrender.

मेजर श्री फतहसिंह : Unconditionally I don't withdraw.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव मेजर श्री फतहसिंह ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दियां है उससे मैं समझता हूं कि १ महीने के अन्दर अन्दर प्राइमरी स्कूलों के इस मामले का निर्णय ले लिया जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस विश्वास पर मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिये आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्रीमती गंगादेवी डाटा ने रखा है, वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

(विराम)

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I may be permitted to withdraw my cutmotion.

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : डॉ. चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजा, जयपुर) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं।

श्री सभापति : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (सरदारशहर): मिनिस्टर साहब तो हैं ही नहीं, पर उन्होंने पहले कह दिया है कि मकान होते ही हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने का विचार किया जायेगा उस विश्वास पर मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिये आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): I also seek permission of the House to withdraw.

श्री सभापति : श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल (डीडवाना): मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिये आज्ञा चाहता हूँ।

श्री सभापति : श्री दिलीपसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्रीमती गंगादेवी डाटा श्री पी. के. चौधरी, श्री भीमसेन, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, डॉ० चन्द्रकला, रावराजा श्री सरदारसिंह, श्री चन्दनमल वैद और श्री मोतीलाल ने अपने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my cutmotions.

श्री चन्दनमल वैद : I withdraw my cutmotions.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

डा० चन्द्रकला : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेती हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : I withdraw my दोनों cutmotions.

श्री भीमसेन : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(हंसी)

श्री सभापति : श्री दलीपसिंह।

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री दलीपसिंह ने रखे हैं वे स्वीकार किये जावें।

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गर गये।

(विराम)

श्री सभापति : श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्तावों को माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी प्रसिद्ध मुस्कान में गमा दिये। इसलिये मैं उनका इस बात के लिये आभारी हो सकता हूं कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्तावों के तथ्यों को गमा दिया। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को विथ ड्रॉ तो नहीं करता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री अनूपसिंह ने रखे हैं, स्वीकार किये जावें।

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री सोहनलाल भटनागर ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेता हूं ।

(विराम)

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा):सभापति महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव सैद्धान्तिक हैं और सिद्धान्त की दृष्टि से उनको वापिस लेने का प्रश्न नहीं उपस्थित होता ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने रखे हैं, स्वीकार किये जावें ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री मनोहर कोठारी को अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मनोहर कोठारी : सभापति महोदय, मैं अपने चारों कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेता हूं ।

(विराम)

श्री रामचन्द्र (डग-सु.): सभापति महोदय, मुझे अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करें ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री रामचन्द्र और श्री शिवनाथसिंह ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामचन्द्र : मैं अपने प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री शिवनाथसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(करतल–ध्वनियें)

मांग संख्या ३२–सामुदायिक विकास परियोजनायें

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६३........

(अश्रव्य)

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता है।

श्री सभापति : दुबारा पढ़ दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३ खा–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १ करोड़, ५९ लाख, ५८ हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांग पर निम्न सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये:—

डॉ० बहारदुसिंह प्रस्ताव करेंगे:—

(४) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–खा–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में एक रुपया की कटौती की जाय (धौलपुर के छायाखण्ड को विकास खण्ड में परिवर्तन करने पर वाद-विवाद करने हेतु)

श्री रामकरणसिंह प्रस्ताव करेंगे:—

(५) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–खा– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (कोट-पूतली में विकास खण्ड खोले जाने के लिए बहस करने हेतु)

श्री पी. के. चौधरी प्रस्तुत करेंगे

(6) That the Demand No. XXXII Major head 63-B-Community Development be reduced by Re. 1/- (To discuss inadequate allotment of Blocks to Jaipur district).

(19) That the Demand No.XXXII Major head 63-B-Community Development Project be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to start an Urban Community Development Project at Sambhar),

(20) That the Demand No.XXXII Major head 63-B-Community Development Project be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Govern-

Page No.87

(श्री पी० के० चौधरी)

ment to open an N.E. S. Block in the remaining 60 villages of Phulera Tehsil).

श्रीमती गगांदेवी डाटा प्रस्ताव करेंगी:—

(८) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३—खा—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (रामगढ़ में विकास खण्ड खोलने पर बहस करने के लिए)

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी:—

(६) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३—खा—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों एवं सामुदायिक विकास परियोजनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करने के लिए)

(१०) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३—खा—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यक्रमों में जन सहयोग के अभाव पर विचार करने के लिए)

(११) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३—खा—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम्य कला, शिल्प तथा उद्योग पर विचार करने के लिए)

(१२) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३—खा—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास पर विचार करने के लिए)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे:—

(१३) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३—खा—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (छाया खण्डों की स्थिति के सुधार पर विचार करने के लिए)

(१४) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३-खा—सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सेवा विस्तार खण्डों की स्थिति तथा उनके कार्यों का प्रगति पर विचार करने के लिए)

रावराजा श्री सरदारसिंह प्रस्ताव करेंगे:—

(१५) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३—खा-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (उनियारा क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्ड खोलने में पक्षपात पर विचार करने हेतु)

श्री चन्दनमल वैद प्रस्तुत करेंगे :

(16) That the Demand No.XXXII Major head 63-B-Community Development Project be reduced by Re. 1/- (To draw the attention of the Government towards the necessity of starting Community Development work in towns and cities).

श्री मोतीलाल चौधरी प्रस्ताव करेंगे:—

(१७) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक

(श्री मोतीलाल)

६३–ख–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को आर्थिक सहायता देने पर बहस करने के लिए)

(३०) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३–ख–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को ग्रान्ट–इन–ऐड देने पर बहस करने हेतु)]

श्री सभापति :प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, इस मांग पर जो धन राशि अभी सामुदायिक विकास परियोजनाओं आदि पर प्रस्तुत की गई है इस पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है और वह इस बात के लिये है कि धौलपुर तहसील में छाया खंड है उसको विकास खंड में परिणत कर दिया जावे। माननीय सभापति महोदय, धौलपुर सब–डिविजन में चार तहसीलें हैं और उनमें से दो-एक सब डिविजन में दो तहसीलों में राजाखेड़ा और बसेड़ी में विकास खंड हैं और दूसरी दो तहसीलों में विकास खंड नहीं हैं।

इस राजाखेड़ा तहसील के साथ धौलपुर तहसील है। लेकिन यह इसलिये हुआ कि जब विकास खंड खोलने के लिये पूरे गांव नहीं हुए तो राजाखेड़ा के साथ धौलपुर के गांव भी लगा दिये गये। जब एक तहसील में दो तरह की नीति होती है तो लोगों में कुछ गलतफहमी आ ही जाती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अब जो नये विकास खंड खोलें उनमें धौलपुर को प्राथमिकता मिलनी चाहिये इसका कारण यह है कि इस तहसील के कुछ गांव...

एक माननीय सदस्य : वहां पर डाकू बहुत हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : यानि धौलपुर तहसील के कुछ गांव राजाखेड़ा में मिल गये। जब एक पंचायत में दो तरह के व्यवहार हों और एक पंचायत के आधे गांव छाया खंड में रह जावें और दूसरे विकास खंड में चले जावें तो तहसील में क्या और पंचायत में क्या आपस में व्यवहारों में फर्क होता ही है। वे लोग सरकार की मंशा को समझने में असमर्थ होते हैं कि सरकार ने विकास खंड वहां पर इस कारण से खोला कि विकास खंड के लिये जितनी आबादी की ज़रूरत थी वह आबादी नहीं होने से उन गांवों को जो आबादी के बाहर के थे लिये गये। मगर लोगों के दिलों में इस प्रकार का भान होता है कि सरकार ने जानबूझ कर हमारे साथ यह सौतेला व्यवहार किया है और कुछ हिस्सों को छोड़ दिया और कुछ में विकास खंड खोल दिये गये। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धौलपुर में क्या परिस्थिति है। इसके लिये पहले ही राज्य सरकार को मालूम ही है कि वहां पर डांग एरिया है जिसमें चार जिलों

(डॉ० बहादुरसिंह)

के बराबर पुलिस फोर्स सरकार को रखना पड़ता है और इसका मुख्य कारण यही है कि उस क्षेत्र में विकास नहीं है। अगर आप वहां पर विकास खंड खोल देंगे तो मैं समझता हूं कि लोगों को न्याय मिलेगा और पुलिस की इतनी तादाद वहां रखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि लोगों में विकास होगा और उनकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन होगा और वे लोग जो आज क्राइम करते हैं वे क्राइम करना छोड़ देंगे और पुलिस का खर्चा सरकार का कम हो सकता है। तो खास तौर से मैंने डांग एरिया के बारे में कहा है और व्यक्तिगत तौर पर भी कह सकता हूं कि वह एरिया बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। खास कर धौलपुर में इसलिये यहां पर विकास खंड कायम करें तो इससे पुलिस पर जो काफी रुपया खर्च होता है उसकी बचत होगी।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि छाया खंड का कार्यालय धौलपुर में है। मगर जैसा कि पिछले दिनों नोटिफिकेशन निकला उसमें बताया गया कि धौलपुर की पंचायत का कार्यालय रूपेरी में रखा जावेगा। मैं अपना विचार रखता हूं कि आप चाहे इसका कार्यालय देहातों में रखें और लोगों को सुविधा दें मगर मैं यह कहूंगा कि आप धौलपुर की पुरानी राजधानी जो काफी अच्छा स्थान है और जहां काफी पुराने खंडहर हैं और जो धौलपुर शहर से दो मील पर है और शहर का पुराना पंचायत केन्द्र है वहां रखा जावे। इसके अलावा उप-तहसील, नायब तहसीलदार का हैड क्वार्टर है वहां भी आप पंचायत समिति का हैड क्वार्टर रख सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पर नगरपालिका का क्षेत्र है वहां पंचायत समिति का कार्यालय किसी भी प्रकार से नहीं रखा जाना चाहिये। अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह दिक्कत हो सकती है कि आपके तहसीलदार को वहां पर जाना पड़े मगर मेरा विकास खंडों में जो अनुभव और तजुर्बा है उसके अनुसार मैं यही निवेदन करूंगा कि तहसीलदार को विकास अधिकारी नहीं रखना चाहिये। जहां पर तहसीलदार और विकास अधिकारी एक हुए कि मेरा यह अनुभव है कि इसका असर एडमिनिस्ट्रेशन पर अवश्य पड़ता है। तहसीलदार इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। वह पंचायत समितियों के काम में एक तरफ रोड़ा बनता है तो दूसरी तरफ जहां सरपंच बैठते हैं वहां पर तहसीलदार को विकास अधिकारी की तरह काम करना पड़ता है, बैठना पड़ता है वहां पर उसको। तो एक तरफ तो उसको पंचायत समिति का काम करना पड़ता है और दूसरी तरफ तहसीलदार की हैसियत से काम करना पड़ता है। यदि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्दा रखना चाहती है तो तहसीलदार को विकास अधिकारी नहीं रखना चाहिये, चाहे शेडो ब्लॉक क्यों न हो।

धौलपुर एक बड़ी तहसील है। खास कर यह दो तहसीलों की एक तहसील कर दी गई है। इसकी आबादी २०-२५ हजार के लगभग है, सब तहसील सेपाऊ और सब तहसील धौलपुर। यदि आप सेपाऊ में तहसील रखते हैं तो वहां पर नबाब बिसाऊ, एक नबाब साहब का बड़ा गांव है। अब यह जागीर सरकार के अन्तर्गत आ गयी है तो वहां भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। राजा खेड़ा, सेपाऊ आदि चार गांव ऐसे हैं जहां कि आप केन्द्र रख सकते हैं, जहां

(डॉ० बहादुरसिंह)

यातायात और दूसरे काफी साधन उपलब्ध हैं। आपको धौलपुर में पंचायत समिति या विकास खंड का कार्यालय नहीं रखना चाहिये।

विकास खंड की बात के साथ साथ एक बात और बता दूँ कि हमारे राज्य की यह नीति होनी चाहिये कि एक विकास खंड के साथ दूसरा विकास खंड जुड़ा हुआ हो। बीच में जब आप गेप दे देते हैं तो होता यह है कि जहां हम लोगों में विकास की भावना पैदा करना चाहते हैं तो जहां पर विकास नहीं हो पाता है तो लोगों में असंतोष पैदा होता है कि इस राज्य के शासन में दोहरी नीति बरती जा रही है। धौलपुर में विकास खंड कायम है, राजा खेड़ा से यह लगेगा और बसेड़ी में भी सी. डी ब्लॉक हैं, दोनों का लिंक बना देने से धौलपुर उपयुक्त तहसील है। केन्द्र में कार्यालय खोलना चाहिये उसके लिए मैंने बताया उसको ध्यान में रखना चाहिये।

इन विकास खंडों के बारे में भी सभापति महोदय की आज्ञा से निवेदन कर दूँ। जैसे राजाखेड़ा विकास खंड है उसमें म्युनिसिपैलिटी भी है। म्युनिसिपैलिटी में विकास खंड खुला हुआ है इससे वहां की जनता पूरा विकास का फायदा नहीं उठा पाती। वहां की म्युनिसिपैलिटी को भंग करने के लिए विकास खंड ने भी निर्णय किया लेकिन अभी तक वह भंग न हो सकी। नये कानून में भी म्युनिसिपैलिटी को भंग करके वहां पर विकास खंड खोलने चाहिये। राजाखेड़ा में विकास खंड के बराबर कार्यालय खुल रहे हैं। इधर लोग मांग करते हैं, म्युनिसिपैलिटी के एरिया में विकास का पैसा खर्च किया जा रहा है। दूसरी ओर नगरपालिका के नागरिक चाहते हैं कि उनको भी विकास का फायादा मिले। इधर उनकी शिकायत है और उधर उनकी शिकायत है। यदि राजाखेड़ा म्युनिसिपैलिटी को समाप्त कर दें तो सारी समस्या राजाखेड़ा ब्लॉक की हल हो जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप चाहते हैं कि नगरपालिका, राजाखेड़ा को हटा दिया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह : म्युनिसिपैलिटी को वहां से हटा दिया जाय। उधर शिकायत यह है कि बराबर कार्यालय म्युनिसिपैलिटी के एरिया में खोले जा रहे हैं, नगरपालिका के एक क्षेत्र में विकास का पैसा खर्च किया जा रहा है। आप पंचायतों के मंत्री हैं, पंचायत समिति कायम करवाइये और नगरपालिका को भंग कर दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऑप्शन दे दिया था।

डॉ० बहादुरसिंह : लेकिन वहां के यह नागरिक चाहते हैं।

श्री सभापति : But the members are the representatives of the public.

डॉ० बहादुरसिंह : विकास खंड का प्रस्ताव भी इस प्रकार का है कि नगरपालिका को समाप्त कर दिया जावे। मैं उस समय वहां मौजूद था, प्रस्ताव पास करके यह मांग की गई थी कि नगरपालिका को भंग कर देना चाहिये। दूसरी तरफ यह शिकायत है कि विकास का पैसा नगरपालिका क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है। इस समस्या को सुलझाने का पैसा है।

(डॉ० बहादुरसिंह)

पुन: मैं इस विषय पर आऊं कि धौलपुर में जो छाया खंड है उसको खोलने के लिए आपके पास लोग साधनों की कमी बताते हैं । मैं इस बात को भी नहीं मानता कि वहां पर सारे साधन हो सकते हैं लेकिन वह उपयुक्त स्थान है । धौलपुर तहसील उत्तर प्रदेश से लगती है । खेरागढ़ का इलाका है । उत्तर प्रदेश तहसील में विकास खंड है, राजाखेड़ा में विकास खंड है । मध्य प्रदेश का मोरेना डिस्ट्रिक्ट लगता है वहां पर विकास खंड है । चारों तरफ विकास खंड हैं और केवल एक टापू जैसा इलाका आ गया है जहां कि विकास खंड नहीं है । छाया खंड में पैसा खर्च करते हैं लेकिन लोगों की मंशा पूरी नहीं होती और उनकी मांग बराबर रहती है ।

कटौती प्रस्तावों पर मैं दो, तीन विचार प्रस्तुत करूंगा । पहला, छाया खंड में तहसीलदार रखे गये हैं वहां पर तहसीलदार की जगह विकास अधिकारी रखे जावें । दूसरा, धौलपुर छाया खंड को विकास खंड में परिवर्तित किया जावे और तीसरा विकास के कार्यालय म्युनिसिपल एरिया में है उसको हटा कर देहात में कायम करें ।

मैंने ये तीन, चार सुझाव दिये हैं इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय सभापति महोदय, यह खुशी की बात है कि वित्त मंत्री महोदय जिनके हाथों में कुंजी है हमारे खजाने की उन्होंने विकास योजनाओं की मांग रखी है । उनसे जो कुछ मांग की जावेगी, वैसे स्वभावत: वे बड़े नर्म हैं, उन पर वे विचार करेंगे ।

मांग संख्या ३२ पर कटौती प्रस्ताव हैं, तहसील कोटपुतली में विकास खंड खोले जाने के विषय में ।

मैं जब भी कभी इस बारे में सोचता हूं कि हमारे यहां कोटपूतली में तहसील है, सब डिविजन का हैडक्वार्टर भी है वहां पर विकास खंड किन आधारों पर क्यों नहीं खोला जाय तो कोई आधार नजर नहीं आता है कि जिससे कोटपुतली को वंचित रखा जावे । किसी बात की जानकारी करने के लिए मैं कोशिश करता हूं उस समय कोटपुतली सब–डिविजन के चारों तरफ बांसोर, गाजी का थाना, बैराठ, शाहपुरा, नीम का थाना ये तहसीलें पड़ती हैं जहां कि विकास खंड खुले हुए मिलते हैं । ये विकास खंड कोटपुतली के चारों तरफ खुल चुके हैं । एक हिस्सा है जो कि पंजाब की सरहद से मिला हुआ है वह नारनोल पड़ता है वहां पर भी विकास खंड खुला हुआ है । बड़ा आश्चर्य होता है जब कभी इस बारे में सोचता हूं कि कोटपुतली में विकास खंड क्यों नहीं है, जब कि बीच में है, पंजाब के उस साइड में विकास खंड है, बानपुर है वहां भी विकास खंड है, गाजीथाना वहां भी विकास खंड है, बैराठ वहां भी विकास खंड है, शाहपुरा वहां भी विकास खंड है, नीम का थाना–वहां भी विकास खंड है । चारों तरफ विकास खंड होते हुए भी कोटपुतली को इस विकास खंड से वंचित रखा गया है ।

यही नहीं जब शाहपुरा विकास खंड था उसके बाद में बैराठ में विकास खंड खोला

(श्री रामकरणसिंह)

गया, अभी अभी अक्टूबर में खोला गया। बैराठ की आबादी पूरी नहीं होने की वजह से

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : There is no quorum in the House.

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री रामकरणसिंह (जारी) : जिस समय बैराठ में विकास खंड खोलने की बात आयी, सांकड़ा और बैराठ को एक तहसील माना। सरकार ने न जाने क्यों, कोटपुतली सुदूर था, उसको छोड़ कर एक तहसील में दो विकास खंड वाजिब समझे। एक ही तहसील में दो विकास खंड किसी प्रकार भी खोले नहीं जा सकते जिनकी आबादी कम थी। उसमें तीन, चार, पांच गांव कोटपुतली के ले लिये और विकास खंड बैराठ में खोल दिया गया। बड़ा आश्चर्य होता है उस साइड में जो बहुत दूर है वहां विकास खंड न खोलकर चार पांच गांवों को ले लिया। कोटपुतली जो केवल १०-११ मील दूरी पर पड़ता है रोड साइड से भी मिला हुआ है। ये चार-पांच गांव जो बैराठ से करीब ४४ मील दूरी पर पड़ते हैं कहां तो ११ मील की दूरी और कहां ४४ मील की दूरी ? अगर विकास खंड ११ मील की दूरी पर रख दिया जाता तो कितना सुन्दर होता। मगर यहां तो हमारे जो अधिकारी सरकार की तरफ से प्लान बनाते हैं जो मेप तैयार करते हैं कहने को तो यह कहा जाता है कि हम थोड़ी सी थोड़ी दूरी को अपने पंच सरपंचों का टाइम बचा कर सरकार का पैसा कम खर्च करके उनको राहत देना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं लेकिन वास्तव में रखते हैं ११ मील की दूरी के गांव को ४४ मील की दूरी पर।

यही नहीं इसके अलावा उन गांवों के लोगों को अगर तकावी के लिये जाना होता है तो पंचायत समिति के पास जाना होता है और बाद में उस पर तहसीलदार कोटपुतली द्वारा रिपोर्ट करनी पड़ती है। और अभी कई चीजों के लिये बैराठ में दरख्वास्त दी तो उस पर किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आदि हासिल करना होता है तो वहां ५५ मील कोटपुतली जाना पड़ता है। यही नहीं, अन्य चीजें जो विकास खंड खोलने में महत्व रखती है वह है आवागमन के साधन। कोटपुतली स्थान ऐसा स्थान है जहां आवागमन के लिये पक्की सड़कें तो नहीं कच्ची सड़कें ठिकाने के समय से बनी हुई हैं इससे आवागमन के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। यह बात दूसरी है कि वे रास्ते इस समय पूरी तरह से ठीक नहीं है सहूलियत से रास्ता नहीं मिलता। अन्य चीजों की दृष्टि से कृषि कार्य के लिये भी विचार करें तो वह ऐसा इलाका है जहां सिंचाई विभाग की तरफ से पुराने बांध हैं उनको ठीक करके सिंचाई के साधन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कर सकते फिर भी कुंए खोद कर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करने की कोशिश की है। वैसे यह भी विकास खंड के लिये एक आवश्यक अंग है।

इसके अलावा विकास के काम के लिये जिला जयपुर की किसी भी तहसील को उठा-कर देख लीजिये। सरकार की तरफ से चाहे कम रुपया दिया जाता हो सब काम करने के लिये तहसील कोटपुतली और वहां की गांव का निवासी हर कार्य में दिलचस्पी लेता है जहां तक शिक्षा का संबन्ध है वहां के लोगों ने अपने पैसे से प्राइमरी और मिडिल स्कूल की

(श्री रामकरणसिंह)

बिल्डिंग तक बना दी है। जहां तक अन्य प्रकार की विकास योजना की बात है अपने श्रमदान से खुद के पैसे से वहां पर बिल्डिंग बनायी हैं, ऑफिसेज़, औषधालय, स्कूल भवन आदि बनाकर दिये हैं अपने श्रमदान से।

सहकारिता का भी विकास खंड खोलने के लिये बड़ा महत्व है। इस क्षेत्र में तहसील कोटपूतली पीछे है। अन्य कामों में जो वहां की जनता द्वारा करने को होते हैं उसमें वहां की जनता पीछे नहीं है। जहां तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सवाल है इसमें सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। कुछ सोसाइटीज़ इन्सपेक्टर नहीं बनाते हैं इसलिये वे रजिस्टर्ड होने में पीछे रह जाती हैं। कहीं सोसाइटी बनती भी है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी तरह से रजिस्ट्रेशन भी हो जाय फिर भी कितनी कहा सुनी के बाद भी लोन नहीं मिलता। इस प्रकार की चीज़ों में गवर्नमेन्ट की तरफ से इनीशियेटिव नहीं लिया जाता इसलिये सहकारिता के आंकड़े कम उपलब्ध हैं। अभी डेढ़ साल पहले चर्म उद्योग की सहकारी समिति बनी थी। लिखा–पढ़ी की लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार उत्साह नहीं दिया गया और न विभाग की तरफ से ही किसी प्रकार की सहायता दी गई।

इसके अलावा पिछड़ेपन की दृष्टि से देखा जाय तो तहसील कोटपूतली विकास खंड न होने की वजह से काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। जहां तक वहां के नागरिकों द्वारा काम करने का सवाल है उसमें तो वे काफी आगे हैं लेकिन सरकार की तरफ से जो काम करने होते हैं उनमें तहसील कोटपूतली पिछड़ा हुआ है। वहां पर खेती–बाड़ी के महकमे की तरफ से जो कार्य होता है वहां पर इस विभाग के लोग किसी प्रकार के भी साधन लेकर जाते हैं उसके लिये वे तैयार रहते हैं। पिछले दिनों वहां दवाई छिड़कने की मशीन के लिये सरकार की ओर से कहा गया कि लोगों द्वारा पैसा दिया जाय, उनको वह मशीन खरीद कर दी जायगी, इस बात पर वहां के नागरिकों, पंचों और सरपंचों के पास वह पैसा जमा कराया और बाद में वह तहसील में जमा कराया, उसको डेढ़ साल का अर्सा हो गया। पैसा जमा किया हुआ पड़ा है लेकिन दवा छिड़कने का औज़ार अभी तक नहीं मिला। इसमें सरकार को किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना होता है पैसे जनता ने दिये हैं दवा छिड़कने के औजार नहीं खरीद सकते और पैसे ही वापिस जनता को दिये जाते हैं।

इसके अलावा रोड्स वगैरह के बारे में सोचें यह भी विकास–खंड खोलने में एक मुद्दा है, इसकी भी हमारे यहां काफी कमी है। जो सड़कें ठिकाने के समय में बनी हुई थीं उनमें काफी टूट-फूट है इसलिये इस मुद्दे में तहसील कोटपूतली पीछे है।

शिक्षा के बारे में सोचा जाय, वहां बहुत कम शिक्षा के साधन उपलब्ध हैं, इसमें भी वह तहसील पीछे है इसलिये भी आवश्यक है कि वहां विकास-खंड खोला जाना चाहिये।

स्वास्थ्य की दृष्टि से औषधालय, डिस्पेन्सरीज़ के बारे में हमारी कोटपूतली तहसील ऐसी है जिस जगह स्टेट के समय में पावटा

(श्री रामकरणसिंह)

ग्राम में दो डॉक्टर रहते थे, कम्पाउन्डर भी रहते थे उसकी जगह एक डॉक्टर कर दिया। इसी प्रकार बनेटा, नरेडा ग्राम के अन्दर भी डिस्पेन्सरी थी वहां पर भी सुविधा थी उसको भी बन्द कर दिया गया है। इस इलाके में इतना पिछड़ापन होते हुए भी विकास कार्य में श्रम दान आदि में जहां तक इतना उत्साह होते हुए विकास खंड नहीं खोला गया इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो इलाका एक दम दूर है उस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय जिससे सब लोगों की निगाह रहेगी।

इस समय अप्रेल में खुलने वाले ब्लॉक्स में कोटपूतली को शामिल किया जावे, यह मेरा नम्र निवेदन है और विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस बारे में अवश्य विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरे तीन कट मोशन्स हैं। एक तो कट मोशन नम्बर ७, १६ और २०।

सबसे पहले मैं जो सात नम्बर का है उसके ऊपर बोलूंगा। वह है : To discuss inadequate allotment of blocks to Jaipur District."सभापति महोदय, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक्स हैं और जो अलॉटमेन्ट हुए हैं उनकी संख्या १७ है। प्लानिंग कमीशन ने सारे राजस्थान के लिये २३२ ब्लॉक्स अल्टीमेटली खोलने मन्जूर किये हैं जिससे सारे राजस्थान को कवर किया जावेगा। इसमें से कुछ ब्लॉक्स एक्टिव हैं और कुछ शेडो। लेकिन जो शेडो भी डिक्लेअर किये गये हैं उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि जब पूरे ब्लॉक्स की छूट होगी तो उनको भी इन पूरे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया जावेगा। इस तरह से २३२ होते हैं और २३२ ब्लॉक्स में राजस्थान को बांटा गया है, शेडो और एग्ज़िस्टिंग ब्लॉक्स मिलाकर।

तो कुल मिलाकर जयपुर को १७ ब्लॉक्स अलॉट हुए। जयपुर के मुकाबले में दूसरे जिलों को मैं देखता हूं तो वहां ज्यादा लिबरली अलॉटमेन्ट हुआ है। मैंने इसके स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे किये हैं।

जयपुर को १७ ब्लॉक्स दिये हैं। इस जिले की पॉपूलेशन १५ लाख है और रूरल पोपूलेशन १० लाख ८३ हजार, लगभग ११ लाख के है।

उदयपुर को बीस ब्लॉक्स दिये हैं। उदयपुर को जिले की टोटल पोपूलेशन ११ लाख है और रूरल पोपूलेशन १०॥ लाख है।

चित्तौड़ को दस ब्लॉक्सदिये गये हैं। इस जिले की टोटल पोपूलेशन ५॥ लाख है और रूरल पोपूलेशन ५ लाख के करीब है।

अलवर को १४ ब्लॉक्स दिये हैं। इस डिस्ट्रिक्ट की पापूलेशन ८ लाख की है और रूरल पोपूलेशन साढ़े सात लाख की है।

इसी तरह से कोटा को १२ ब्लॉक्स दिये गये। जब कि कोटा जिले की पोपूलेशन ६.७० हजार है और रूरल पोपूलेशन ५॥ लाख है।

(श्री पी० के० चौधरी)

इसी तरह टौंक को ६ ब्लॉक्स दिये गये हैं। जब कि इस जिले की पोपूलेशन चार लाख है और रूरल पोपूलेशन सवा तीन लाख के करीब है।

इस तरह से जब हम देखते हैं और बाकी सब जिलों की टाउन पोपूलेशन को एक्सक्लूड कर देते हैं तो भी लगभग ४५ हज़ार से पचास हज़ार की रूरल आबादी के ऊपर एक ब्लोंक अलॉट करने का हिसाब आता है। इस हिसाब से देखें तो फेयर अलॉटमेंट जयपुर के लिए बीस का होता है यदि अनरीज़नेबिलिटी नहीं करते हैं तो।

इसमें यह सवाल आ सकता है कि स्केअरसिटी ऑफ पोपूलेशन के कारण भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे एरिया जो हैं उनमें आते हैं बाडमेर, जैसलमेर वगैरह। उनकी पोपूलेशन के साथ कोई कोरिलेशन मैंने नहीं किया है, पर जो अलवर, उदयपुर, टौंक है, कोटा है उनके पापूलेशन का जो पैटर्न है, जो डेन्सिटी है इसमें और जयपुर की में विशेष कोई फर्क नहीं है। अलवर की डेन्सिटी ऑफ पोपूलेशन आती है २.६६ और जयपुर की है २.७६ यानि यह कोई खास फर्क नहीं है जिस पर कह सकते हों कि इस आधार पर क्राइटेरिया चेन्ज हो सकता है। बाडमेर जैसलमेर जैसे इलाकों के लिए समझ सकते हैं। पर इनका जिक्र मैंने पहले ही नहीं किया। तो इस आधार पर अलॉटमेंट होना चाहिए। उदयपुर की, अलवर की पोपूलेशन का रेश्यो करीब करीब एक सा है इस रेश्यो के आधार पर अलॉट-मेन्ट होता है तो जयपुर को २० मिलने रीज़नेबल हैं। हरएक ब्लॉक का एक मैग्ज़िमम अमाउन्ट आप रखते हैं कि इतना पैसा एक ब्लॉक के विकास पर खर्च किया जावेगा। आज हम जब यह हिसाब लगाते हैं तो कई लोगों ने इसका सवाल भी उठाया, जैसे बीकानेर ने उठाया था कि हमारे इधर डेवलपमेंट में पैसा कम खर्च हुआ, और इसके लिए पोपूलेशन की दलील उन्होंने दी। लेकिन एरिया के हिसाब से हो सकता है, कम मिला हो तो पोपूलेशन पर कैपिटा एक्सपेन्डीचर पर क्राइटेरिया अगर रखते हैं तो इस आर्ग्युमेंट पर मैं मानता हूं कि जयपुर को भी इसी आधार पर ब्लॉक्स का अलॉटमेंट मिलना चाहिए।

३. ४६ म. प.

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

एक बात कहना जरूरी मानता हूं। यह दलील आ सकती है कि क्योंकि इन ब्लॉक्स का या शेडो ब्लॉक्स का फोर्मेशन जल्दबाज़ी में किया गया था, they were in hurry इसलिए उसका अलॉटमेंट करते समय पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका, इतनी होशियारी से उस काम को नहीं कर पाये क्योंकि यह क्लासि-फिकेशन जो किया है १० सितम्बर, १९५६ के गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया था। तो मैं इस बात को मन्जूर करता हूं। जल्दी में इक्वीटेबल बेसिस पर अलॉटमेंट नहीं कर पाए, इसके लिए समय कम था। तो मैं अब निवेदन यह करना चाहता हूँ कि यह जो ब्लॉक्स का बटवारा है यह कोई फाइनल नहीं है। मैं नहीं मानता कि यह कोई इर्रिवोकेबल है। यह बात तो निश्चित

(श्री पी० के० चौधरी)

है कि २३२ से ज्यादा प्लानिंग कमीशन देने को हमें तैयार नहीं, तो सवाल इतना हो सकता है कि इनका ही इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन कर दीजिए । यह फाइनल नहीं है, इन सब का फिर से रीडिस्ट्रिब्यूशन कर दीजिए, रूरल पोपूलेशन का क्राइटेरिया लेकर रीडिस्ट्रिब्यूशन कर दीजिए। फिर किसी डिस्ट्रिक्ट को यह शिकायत करने का मौका नहीं रहेगा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेन्ट हुआ है। डेन्सिटी ऑफ पोपूलेशन, उनकी इकोनोमिक कन्डीशन–ये सारी बातें देखते हुए कोई स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिला है । किसी के साथ प्यार का ट्रीटमेंट हुआ है ऐसा ख्याल किसी को पैदा न हो इसलिए मेरा निवेदन है कि यह दुबारा पोपूलेशन के बेसिस पर ठीक कर दिया जावे और जयपुर के हिस्से में जो आता है उसे १७ से २० में रेज़ कर दिया जावे ।

अब मैं अपने कट मोशन २० के ऊपर आता हूं । "To open an N.E. S. Block in the remaining 60 villages of Phulera Tehsil."सभापति महोदय, जो फुलेरा तहसील है उसमें ब्लॉक खोला गया है और वह मेरी कॉन्सटीट्युएन्सी भी है । अब उसमें जो ब्लॉक खोला गया है तो वहां पर ६० गांव ऐसे हैं जो कि ब्लॉक के बाहर हैं । मैं जब अपनी कॉन्सटीट्युएन्सी में जाता हूं तो उन गांवों के लोग जिनको कि ब्लॉक में शामिल नहीं किया गया है मुझसे शिकायत करते हैं। वहां पर लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि आधे गांव तो तहसील के ब्लॉक में हैं और आधे नहीं हैं ....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): ब्लॉक का क्या नाम है ?

श्री पी० के० चौधरी: उसका नाम तो सब जानते हैं। कम से कम जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वह भी जानते हैं। फुलेरा तहसील में जोबनेर नाम का एक गांव है, उसका नाम जोबनेर ब्लॉक रखा गया है........

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : और वह है कहां, यह भी जरा बता दें । हैडक्वार्टर्स सांभर में है और नाम जोबनेर बाजता है ।

श्री पी०के० चौधरी : यहां तो ब्लॉक खोलने की बात हो रही है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यहां इतनी सी शिकायत है कि वहां एग्रीकल्चर कॉलेज है जो कि उसके लिए ज्यादा उपयोगी है ।

श्री पी० के० चौधरी : तो सभापति महोदय, ये जो ६० गांव हैं उनके लिए कई दफा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी थी उसमें भी फैसला किया कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट को जब दुबारा ब्लॉक मिलेगा तो यह जरूर है कि जिस तहसील के आधे गांव तो ब्लॉक में हैं और आधे नहीं हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि यह जो ६० गांव हैं और उनके आसपास जैसे दूदू तहसील है उसमें आप उनको शरीक कर सकते हैं और इस एरिया को ब्लॉक से कवर कर दिया जाये, नहीं तो लोगों में एक तरह से बिटरनैस पैदा होती है, आधे गांव ब्लॉक में हैं और आधे गांव नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो रिमेनिंग ६० विलेजेज़ हैं उनको भी ब्लॉक में शामिल कर दिया जाये ।

(श्री पी० के० चौधरी)

अगला कटमोशन सभापति महोदय, "टू स्टार्ट एन अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट एट सांभर'। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि अर्बन कॉम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस साल से चालू किया जायेगा एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर कुछ जगह पर। तो मेरा निवेदन है कि यह जो अर्बन कॉम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उसको ऐसी जगह शुरू करना चाहिये जहां उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। सांभर का जो शहर है इट वाज़ ए फ्लरिशिंग टाउन। एक समय था जब कि यह इम्पोर्टेन्ट टाउन था। आज वहां पर सॉल्ट ट्रेड के स्लम की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसा वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि इस साल से शुरू करेंगे। अगर शुरू करना है तो मैं चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट सांभर में भी हो।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या ३२में मेरा भी कटौती का प्रस्ताव है। वैसे तो वित्त मंत्री महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि वे सारे ही स्थानों के वित्त के मालिक हैं और यह डिपार्टमेंट भी उनके पास है तो मैं भी बहुत उम्मीद करती हूं कि हमारे क्षेत्र को भी सरकार ध्यान में रखेगी। मेरे कटौती के प्रस्ताव के ऊपर मुझे कुछ कहना है कि रामगढ़ कस्बा जो कि नेशनल हाईवे रोड पर स्थित है वह कस्बा ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : उसमें म्युनिसिपैलिटी है ?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : नहीं सब तहसील है। वह कस्बा शहर के बहुत ही नज़दीक है। उसके बावजूद भी गोविन्दगढ़ विकास खण्ड उसके लगभग २ मील पर है। दूसरी तरफ किशनगढ़ ब्लॉक के गांव बहुत बराबर की हदबन्दी में हैं। तो एक तरफ तो कुछ गांव फायदा उठा रहे हैं और कुछ गांव बेचारे तरसते रह जायें और निगाहें लगाये रहें कि हमारा आज नम्बर आये, कल नम्बर आये और इस तरह आशाएं करते उनको बहुत समय हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों तरफ विकास खण्ड हो जाने के कारण वे गांव अभी तक निराशा में झूल रहे हैं, वहां पर आबादी के लिहाज़ से भी क्योंकि वहां पर मुसलमान, शरणार्थी, हरिजन और लोकल बराबर की संख्या में आबाद हैं। उस आबादी में विशेष बात यह भी है कि जो शरणार्थी हैं वे विकास के मामले में थोड़ा ज्यादा समझते हैं, उसमें अच्छी तरह से सहयोग भी दे सकते हैं विकास खण्ड मैं समझती हूं दो ही कारणों से खोले जाते हैं। एक तो जो इलाके बहुत पिछड़े होते हैं उनको ऊंचा उठाने के लिये और दूसरे विकास खण्ड का मकसद यह भी होता है कि अच्छे विकास खण्ड कायम किये जायें। तो यह विकास खण्ड जो कि नेशनल हाईवे पर होने के कारण बहुत ही आदर्श विकास खण्ड बन सकता है और साथ ही साथ यह भी है कि दो साल पहले जिला विकास समिति ने भी अपनी सिफ़ारिश की थी कि यहां पर विकास खण्ड खोला जाये लेकिन आज दिन तक दो साल होने आये....

श्री सभापति : लैप्स हो गया ।

(४ म० प०)

श्रीमती गंगादेवी डाटा : फिर मैं यह और भी जानना चाहूंगी कि क्या विकास समिति की सिफारिशें कोई माने नहीं रखती है ? अगर लैप्स होता है तो उस साल ही क्यों नहीं खोला गया , क्या कारण है ? मैं थोड़ा सा यह भी निवेदन करूंगी कि उसका यदि महत्व भी है तो उस साल महत्व को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया, क्या यह अपने मन से खोले जाते हैं या विकास समिति की सिफ़ारिश से खोले जाते हैं ? मेरा नम्र निवेदन है अर्थ मंत्री महोदय से कि वह कस्बा चारों तरफ से विकास खंड के गांवों से घिरा हुआ है और साथ ही साथ यह भी है कि राजस्थान का सिंहद्वार जो कि पंजाब की हदबंदी से शुरू होता है यह राजस्थान का सिंहद्वार भी कहलाता है । तो इस नाते पंजाब का विकास है और उसका विकास बिजली के लिहाज से व विकासखण्ड के लिहाज से भी पिछड़ा हुआ और अशोभनीय सा लगता है । तो मैं समझती हूं कि वित्त मंत्री महोदय बहुत ही उदारतापूर्वक उधर ध्यान देंगे और इस दफा जो नये विकास खण्ड खोले जायेंगे, उसका नाम आना चाहिए ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिला परिषद् से कुछ कहा है आपने ?

श्रीमती गंगादेवी (डाटा) : वह भी कर दिया जायेगा ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग के संबंध में मेरे ४ कटौती के प्रस्ताव हैं । इन प्रस्तावों के द्वारा मैं वित्त मंत्री महोदय से कोई मांग नहीं करना चाहती हूं । मैं तो साधारण तौर से कुछ ऐसी बातों का सुझाव देना चाहती हूं जो पूरे प्रान्त भर के लिए लाभदायक हैं ।

मेरा पहला प्रस्ताव पंचायत समितियों एवं सामुदायिक विकास परियोजनाओं के पारस्परिक संबंधों के विषय में है । पंचायत समिति का क्षेत्र करीब करीब विकास खण्ड के क्षेत्र के बराबर है । इसलिए जहां पर ब्लॉक नहीं थे वहां पर छाया खण्ड या शेडो ब्लॉक बनाये गये जिससे सारा हिस्सा पंचायत समिति का विकास खण्ड के बराबर हो जाय । हम सब जानते हैं कि पंचायत समितियों का निर्माण नीचे की ओर से हुआ । गांव के सरपंच और तहसील के सरपंचों आदि ने मिल कर पंचायत समिति का संगठन किया और ब्लॉक का निर्माण ऊपर से सरकार की ओर से होता है, दोनों के जहां तक लक्ष्य हैं वे यह हैं कि अपने अपने क्षेत्र का विकास हो, लेकिन प्रश्न यह है कि इन दोनों के लक्ष्य की ओर किस तरह से पहुँच सकते हैं ? जहां तक मैं देखती हूँ सारे साधन तो ब्लॉक के पास में होते हैं , जो जीप गाड़ियां वगैरह हैं ब्लॉक में होती हैं । ऑफिसर्स हैं तरह तरह के हर केटेगरी के वे जो होते हैं वे ब्लॉक के होते हैं, और उन पर सीधा नियन्त्रण ब्लॉक का या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का होता है और उनके जिम्मे उस तरह के काम होते हैं । इनमें दोनों में किस तरह से समन्वय बैठे यह सोचने की आवश्यकता है । वहां पर पंचायत समितियां साधनहीन होते हुए भी किस तरह से ब्लॉक का पूरा पूरा उपयोग करते हुये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े यह सवाल हर एक पंचायत समिति के सामने होगा, ऐसा

(डॉ० चन्द्रकला)

मैं देखती हूँ। तो मेरा सुझाव है कि पंचायत समिति और ब्लॉक दोनों का समन्वय बैठाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, क्योंकि हमने नारा दिया है प्रान्त में सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कि यह जो सत्ता और साधन हैं उनको धीरे धीरे करके ट्रान्सफर कर देना चाहिए पंचायत समितियों के हाथ में, और पंचायत समितियां अपने ढंग से उस क्षेत्र का विकास करें। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें वह जो पंचायत समिति नहीं कर पाये और उसके संयोजन और समन्वय के लिए सरकारी मशीनरी जो ब्लॉक होगा उसके सहयोग की ज़रूरत होगी। यह जरा सी सोचने की आवश्यकता है। जब एक ही लक्ष्य को लेकर एक ही क्षेत्र में दो तरह का संगठन हम रख रहे हैं तो दोनों संगठनों में आपस में किस तरह का संबंध होना चाहिए कि उनमें आपस में उनके लक्ष्य में, उनके साधनों में, उनकी प्रक्रियाओं आदि में किसी तरह का संघर्ष नहीं पैदा हो।

मेरा दूसरा प्रस्ताव है जिसके लिए सदन के शायद सब लोग महसूस करते हैं वह है कि जितनी सामुदायिक परियोजनाओं का कार्यक्रम है उनमें जनसहयोग का अभाव है। सभापति महोदय, हम लोग सब महसूस करते हैं कि आज जनता किसी भी तरह का प्रान्तव्यापी, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के मामले में या किसी तरह कार्यक्रमों में विशेष दिलचस्पी नहीं लेती है। यदि कहीं स्कूल खोलना है या इमारत बनवाना है वहां तो काम कर सकती है लेकिन उसमें काम धन्धा किस तरह का होना चाहिए? हर एक आदमी यह समझता है, उसके मन में यह असर है कि जो काम करना है वह सरकार को करना है, कर्तव्य जितना है वह सब सरकार का है हम तो क्योंकि जनता हैं तो जितना जो कुछ करना है वह सब सरकार को करना है, हम तो उस सरकार के किये हुए कामों के परिणामों के उपभोक्ता हैं। इस तरह की भावना जनता में देखी जाती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां सदन में कहा कि कोई भी योजना बनायेंगे उस योजना को विस्तार देने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए यह आवश्यक है कि जनता भी उसमें सहयोग दे। जन सहयोग के बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है और हमारे अभी तक के किये हुए कामों से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पैसा खर्च करने में हमने कोई कमी नहीं की, योजना बनाने में कोई कमी नहीं की। सरकारी स्तर पर जो कुछ कर सकते थे वह सब कुछ किया लेकिन उसका फल, बहुत थोड़ा मिला। उस थोड़े मिलने का कारण यह है कि जनता जिसके लिए यह सब करते हैं वह समझती है कि सरकार जो साल का टैक्स निर्धारित कर देगी वह टैक्स उसके खज़ाने में भेज देगें, और उस टैक्स के बदले में बहुत सारी आशाएं करते हैं। तो हमको जनता को यह बताना पड़ेगा कि जहां इस तरह के अधिकार हैं वहां कर्तव्य भी हैं और कर्तव्यों के बाद में अधिकार हैं। लेकिन हमारा ध्यान इस तरह से जनसहयोग को लेने की ओर नहीं है। हम अपने जो साधन दूसरे दूसरे हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं लेकिन जनसहयोग को अपनी ओर लेने का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक जनसहयोग नहीं लेंगे तब तक सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि हमारी सरकार इसकी ओर ध्यान देगी। ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): जन सहयोग के लिए आपका खास सुझाव क्या है!

डॉ० चन्द्रकला : खास सुझाव जनता में जागरण करने का है। जितने अफ़सर हैं, कोई एज्युकेशन ऑफ़िसर है, कोई सोशियल ऑफि-सर है और कौन कौन ऑफिसर ब्लॉक में हैं वे जनता को जागृत करें, जनता में भावना पैदा करें और जो मैंने आगे कहा कि विभा-गीय भावनाएं और दूसरी दूसरी जो भावानएं हैं सरकार उन भावनाओं को छोड़े।....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): महिलाएं ज्यादा काम कर सकती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : निश्चित रूप से महि-लाएं करती भी हैं। आपको मालूम होगा कि विकास अधिकारी जयपुर में महिला है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : फिर भी जनसहयोग नहीं हो रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : हो रहा है यहां।

मेरा अगला कटौती का प्रस्ताव ग्राम कला, शिल्प तथा उद्योग के संबंध में है। माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि हम अपने यहां के कला कौशल और उद्योग आदि की कद्र तब करते हैं जब कि विदेशी मोहर उस पर लग जाती है। हमारे लोकगीत और लोक नृत्य चाहे जितने अच्छे हों हम उनकी कद्र नहीं करते हैं। १३ ताली नृत्य राजस्थान का बहुत मशहूर नृत्य है उसकी कद्र राजस्थान सरकार को तब मालूम हुई जब कि रूस के लोगों ने उसकी तारीफ की और उन कलाकारों को अपने यहां पर अमन्त्रित किया। सांगानेर की छींट की कद्र हमने तब की जब कि उसकी अमेरिका और इंगलैण्ड में खपत बढ़ने लगी। इसी प्रकार गुड़िया का काम हमारे यहां बहुत अच्छा होता है लेकिन हमारी सरकार को उसकी कद्र तब मालूम हुई जब कि उसके लिए विदेशों से धड़ाधड़ ऑर्डर आने लगे और एक रुपये की गुड़िया की कीमत १०) रु० विदेशों से आने लगी और डालर लाने में सहयोग होने लगा। तो हमारी जो कला है, जो हमारा शिल्प है, जो हमारे उद्योग हैं उनकी कद्र हम खुद करना सीखें। इसकी बहुत आवश्यकता है। इस कला, शिल्प के महत्व के बारे में कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हमारे नट विद्या थी। हम नट के खेल बचपन में देखा करते थे, वह चली गई। आजकल सरकस देखते हैं, दूसरे देखते हैं लेकिन हमारी नट विद्या बड़ी अद्भुत थी वह कहां है यह हमारे ध्यान में नहीं है। हमने कला एकेडेमी बना ली है। वह क्या करती है? दो चार चित्र बनाने का काम और संगीत यह दोनों करती है। हमारे यहां यह जो कला थी वह कहां चली गई? ग्रामों में कहीं कहीं वह कला जीवित है उसका पुनर्जीवन करके सरकार को उसके विकास की ओर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ साथ ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या पंचायत समितियां ध्यान दें?

डॉ० चन्द्रकला : पंचायत समितियां ध्यान दें चाहे ध्यान दें। मेरा मतलब यह है कि यह कला की ऐसी चीजें हैं कि जिनका गौरव आज तक रहा है। उनको हम खोते जाते हैं, और विदेशी आकर उनकी

(डॉ० चन्द्रकला)

प्रशंसा करता है तो नाचने लगते हैं और एक पार्टी बना दी और उसको लेकर चलना शुरू कर दिया ।

खादी ग्रामोद्योग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहती क्योंकि दा साहब यहां पर विराजमान हैं । बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि खादी ग्रामोद्योग तभी बढ़ सकता है और मेरा खास सुझाव यह है कि हम खादी ग्रामोद्योग की कद्र करें । आज हमारे गांवों में जो चीजें बनती हैं उन गांवों की चीजों को नहीं अपनाते हैं । घर की चीजों को नहीं अपना कर बाहर की चीजों को खरीदते हैं । दूसरी जगह की बनी हुई चीजें आयेंगी । तो खास सुझाव तो यह है कि हमारे उद्योग को हम खुद अपनावें । मैं तो यह देखती हूं कि हमारी राजस्थान सरकार यहां पर फर्नीचर, पर्दे वगैरह में जो कपड़ा काम में लेती है और जिनके लिये सरकार के खजाने से पैसा जाता है वह खादी के लिये नहीं जाता है । सरकार खुद खादी और ग्रामोद्योग की चीजें नहीं खरीदती है । खादी पहनते हैं हमारे यहां के फोर्थ क्लास सरवेन्ट्स जिनकी वर्दी खादी की बनती है ....

श्री सभापति : मंत्री भी खादी पहनते हैं लेकिन सब के लिये पहनना आवश्यक नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला (जारी) : लेकिन जब सरकार खुद प्रोत्साहन देना चाहती है तो उसके लिये अच्छा उपाय यह है कि जो खरीद की जाय वह खादी से की जाय । लेकिन जो पर्दे वगैरह बंगलों में काम में आते हैं वे खादी के क्यों नहीं लिये जाते ? यदि हम खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसे अपनाना पड़ेगा और यह भावना पैदा करनी पड़ेगी । यदि हम ही इनकी कद्र नहीं करेंगे तो दूसरे कोई इसकी कद्र करनेवाले नहीं हैं । जहां तक कपड़े की ज़रूरत पूरी करने का सवाल है खादी एक साधन है। लेकिन बापूजी ने खादी को अपनाने के लिये इसलिये नहीं कहा था पर बापूजी ने उसके द्वारा ग्राम स्वराज्य की बात कही थी । उसको इस लक्ष्य तक नहीं ला पायेंगे क्योंकि उनके आदर्श तक पहुँचना मुश्किल है लेकिन खादी और ग्रामोद्योग की यह जो चीजें हैं उनकी हम भी यदि कद्र नहीं करेंगे तो इसके लिये कोई दूसरा बाजार बननेवाला नहीं है । सरकार की टुकड़ा फैंकने की नीति है। खजाने में पैसा है इसलिये इतना खादी बोर्ड को दे दो, इतना ग्रामोद्योग को दे दो लेकिन इससे उनका विकास नहीं होगा, आर्थिक असर जरूर पड़ेगा । इन्हीं बातों को बताने के लिये मैंने ये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। आशा है आप जरूर ध्यान देंगे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या आप यह चाहती हैं कि खादी पहनना अनिवार्य कर दिया जाय ?

डॉ० चन्द्रकला : मैं यह चाहती हूं कि आपके खजाने से जो पैसा खर्च होता है उससे ये चीजें खरीदी जाय ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : राज्य के द्वारा भी खादी की खरीद होती है ।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन आपके बंगलों में पर्दे खादी के नहीं हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, मांग संख्या ३२ पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं जिनमें से पहला है, छाया खंडों की स्थिति सुधारने पर विचार करने के लिये ।

सभापति महोदय, जहां हमारे राज्य में विकेन्द्रीकरण के आरम्भ के साथ साथ एक नये शब्द का भी प्रादुर्भाव हुआ और वह नया शब्द है, 'छाया खंड'। छाया शब्द ही जैसा सूचित करता है, कि जो वास्तविक या ठोस चीज नहीं है वह छाया है। जो सबस्टेन्शियल नहीं है, ठोस नहीं है, वस्तुस्थिति के विपरीत जो कुछ है उसका नाम छाया है....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : Yes.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : शायद इसी आधार को लेकर, यही कल्पना रही है, जो छाया खंड खोले गये हैं। छाया खंड खोलने के समय बड़ी आशाएं बंधाई गई थीं। वे भाग्यहीन स्थान जिनका नंबर ब्लॉक बनने या विकास खंड बनने में नहीं आयेगा उनको भी दर्जा वही दिया जायेगा जो विकास खंडों का होगा, लगभग उसी तरह के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे, इसी तरह के भाव-व्यक्त किये गये थे। लेकिन वास्तव में देखते हैं, तो वे सच्चे मायने में छाया ही बन कर रह गये। ये दुखदाई तब होते हैं, जब ये छाया-खंड वास्तविक विकास खंडों के बराबर होते हैं, वास्तविक खंड का क्षेत्र है वही छाया खंड का क्षेत्र है, बिल्कुल मिला–जुला होता है, गांव मिले हुए होंगे, खेत मिले हुए होते हैं और छाया खंडों के लोग विकास खंडों की ओर देखते हैं तो उनके दिल में एक तरह की टीस पैदा होती है कि विकेन्द्रीकरण होने के बाद, पंचायत समितियों को अधिकार देने के बाद भी हमें कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं, यदि 'छाया' खंड का लाभ वास्तविक रूप में जनता को पहुंचाना है तो छाया शब्द तो हटा ही देना चाहिये। अब तो उनको वास्तविक सेवा खंड या विस्तार खंड बनाना चाहिये। इसके मायने यह नहीं कि योजना के अनुसार जितने समय के लिये उन्हें बनाया था उतने समय तक रखना ही है। केन्द्रीय योजना के अनुसार २ साल के लिये और आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी जब हम राजस्थान में विकेन्द्रीकरण के लिये अग्रगामी हुए तो साधन जुटाने के लिये भी हमें अग्रगामी होना चाहिये। जिस प्रकार सामुदायिक विकास योजना और खंडों में पंचायत समितियें बनी हैं। उनके साथ साथ ब्लॉक्स बढ़ाने का अधिकार है, सेवा और साधन हैं वे उन्हें मिल गये। जहां पहले विकास खंड खुले थे, तहसीलें थीं या विकास खंड थे वहाँ भी पंचायत समितियां बनीं उन्हें सारे साधन मिले हैं, अधिकार मिले हैं, यहां तक कि जीप और आने जाने के साधन मिले हैं। एक तो वे काम कर रहे हैं, और उनके मुकाबले में वे अभागे छाया खंड के लोग काम कर रहे हैं। दोनों का मुकाबला होता है तो उनके दिल में टीस होना स्वाभाविक है। हम देखते हैं करीब करीब वे ही काम ये लोग भी करते हैं जो पुरानी ब्लॉक एरियावाली पंचायत समितियां करती थीं। इन ब्लॉक्स को भी महीने में मीटिंग बुलानी पड़ती है अधि-

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कारियों को बुलाना पड़ता है और वहां से संबधित विकास का काम करना पड़ता है। लेकिन उनको कितने ही अधिकार नहीं मिले हुए हैं जो पुराने विकास खंडों को मिले हुए थे जो लोग पुराने सामुदायिक विकास खंडों में काम करते रहे हैं, वे पूरे लोग इन छाया खंडों को नहीं मिले हुए थे। ज्यादा से ज़्यादा शिक्षा-विभाग का एक आदमी मिला हुआ है, या कोऑपरेटिव का एक आदमी मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त वे सारी सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हैं, जो ब्लॉक एरिया में रहो हैं। इस दृष्टि से छाया ब्लॉक्स लाभ नहीं उठा रहे हैं। विकेन्द्रीकरण के बाद वहां के ग्रामीणों को जो एक्सटेन्शन या विस्तार सेवाएं होती हैं, उनका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वहां पर बी. डी. ओ. के बराबर स्थिति तहसीलदार की रखी है। पंचायत समितियों के वह भी उपयुक्त नहीं बैठता है। यों तो हम लोगों ने स्वीकार किया था, विधेयक जब यहां पर कानून का रूप ले रहा था, उस वक्त भी शंकाएं हुई थीं लेकिन आज व्यवहार में स्पष्ट नज़र आता है कि तहसीलदार एक ओर तहसील में जाकर तहसीलदार की हैसियत से बैठता है, वही पंचायत समिति में अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को एक दृष्टि से देखता है, और वहां जो पंचायत समिति का प्रधान बैठता है और उसके बराबर सेक्रेटरी की हैसियत से बैठता है तो और ही स्थिति होती है। ऐसी स्थिति नहीं है, जो समाधान कारक हो, माना कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है। ज्यादातर वकील पंचायत समितियों के प्रधान होते हैं, उनकी स्थिति में तहसीलदार उनके सामने सेक्रेटरी की हैसियत से बैठते हैं, जिनके सामने उनको वकालत करने के लिये जाना पड़ता है, उनके सामने संकोच होता है ऐसा दिखता है व्यवहार में। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, छाया खण्ड खोले हैं, उनके अन्दर उनकी शिकायत यह भी रहती है पंचायत समिति के प्रधान हैं वे भी चाहते हैं कि ग्रामों का दौरा करें, सब प्रकार के लोगों से मिलें जुलें पर उनको आने जाने के साधनों की उतनी सुविधा नहीं हैं, जितनी दूसरे विकास खण्डों में हैं।

तो इस कटौती प्रस्ताव द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि छाया खण्डों की इस छाया को शीघ्र ही दूर करे और वास्तविक सेवा विस्तार खण्ड जैसा ही बनाये और वहां की जनता को वही सुविधा दें। तो यह मैंने आम बात कही है। यदि इस चीज़ को अपने निर्वाचन क्षेत्र पर घटा कर कहूं तो वैसी ही स्थिति है। उसमें दो तहसीलें आती हैं, एक वह तहसील है, जहां सबसे पहले सामुदायिक योजना का प्रारम्भ हुआ, सात आठ साल होने को आ गये। इसके बाद इसके बराबर आगे वह तहसील आती है, उसमें आज तक सेवा-विस्तार खण्ड नहीं खोला है, जब कि सामुदायिक विकास योजना को चालू करते समय इस सिद्धान्त को माना गया था कि ये एक दूसरे से संलग्न होंगे। विकास खण्ड का तहसील में हैड क्वार्टर होता है, पर उसमें आसपास के गांव नहीं आते हैं यह स्थिति है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे स्थानों पर वैसे ही विकास खण्ड बनाये जायं जैसे पास के सेवा खण्ड हैं।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है, विस्तार खण्डों की स्थिति तथा उनके कार्यों की प्रगति पर विचार करने हेतु।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कौनसे कौन-से बताये आपने ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : डीग और नगर पहाड़ी ब्लॉक।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नगर पहाड़ी में है और डीग में चाहते हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जी हां।

जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया, उससे यू. पी. का इलाका लगा हुआ है, वहां सब तरह की सुविधाएं हैं। हमारे राजस्थान के भी कुम्हेर, नदवई, नगरपहाड़ी के ब्लॉक लगे हुए हैं, ७ साल से वहां यों ही पड़े हुए हैं। वहां के लोगों की मांग है, कि हम लोगों को वे सुविधाएं क्यों नहीं दी जातीं ?

दूसरे विस्तार खण्ड हैं, उनकी स्थिति के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया मेरे क्षेत्र में एक सामुदायिक विकास खण्ड १९५२ में खोला गया, उसमें पूरी दो तहसीलें शामिल हैं, एक तहसील का एक गांव शामिल है, तो तीन तहसीलों का प्रतिद्वन्द लगभग २०० गांवों में वहां हो रहा है। तीन चार विकास खण्ड और भरतपुर में खोले, पूरी तहसीलों के हैं। इसके साथ साथ एक विकास खण्ड ऐसा है, तहसील के, सब तहसील के कुछ गांव, लगभग १०० गांवों का विकास खण्ड है, जो पूरी तहसील का है, जीप है, बी.डी. ओ. मिलेगा, सारा खर्चा होता है, दो जहां ए. सी. ओ. हैं उन १०० गांवों पर भी वही २०० रुपया पैट्रोल का बी. डी. ओ. को दिया जाता है और जिनको २०० गांवों में जाना पड़ता है उनको भी २०० रुपया पैट्रोल का दिया जाता है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : लम्बाई में फर्क है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नहीं इस तरह की बात नहीं।

तो आखिर इस प्रकार किया जाता है, यह हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि हम ऐसा नहीं समझ लें, यह पत्थर की लकीर बन गई है। इनके पीछे हमारा वैज्ञानिक आधार होना चाहिये। एक एक रेवेन्यू की तहसील है, जैसा कि हम सोचते हैं कि एक ही तहसील, एक ही पटवार क्षेत्र, एक ही कोऑपरेटिव क्षेत्र हो, उसी तरह ब्लॉक भी वैज्ञानिक आधार पर बनाने चाहिये। जैसा कि बजट के समय कहा गया कोटा में २० तहसीलें हैं, कहीं ३० तहसीलें हैं, कहीं ४० हजार की आबादी है, कहीं डेढ़ लाख की है और कहीं ८० हजार की तहसीलें हैं। तो हमें वैज्ञानिक आधार पर उनको बनाना चाहिये। लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इस दृष्टि से करना पड़ेगा। २०० गांव हैं, तो उतना ही खर्च करेंगे, १०० गांव हैं वहां

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पर भी उतना ही खर्चा करेंगे तो १०० गांवों की आबादी कम है और २०० गांवों की आबादी ज्यादा है, दोनों को बराबर मिलेगा तो जहां ज्यादा आबादी है वहां के लोगों को कम मिलेगा। तो मेरा सुझाव है कि इस पर फिर से विचार करें। अब विकेन्द्रीकरण तो कर चुके, जल्दी तो है नहीं। नये पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, नया रूप आने वाला है, उस समय विकास खण्ड कितने हों इनका एक ऐसा रूप निर्धारित कर दें जो वैज्ञानिक आधार पर हो, सुविधाजनक हो और जनता भी सोचे कि सब के साथ न्याय हो रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह वैज्ञानिक आधार क्या होना चाहिये ?

श्री जुलकिशोर चतुर्वेदी : यह तो लम्बा विषय है। कभी कन्सल्टेटिव कमेटी में बैठ कर विचा कर लेंगे। कुछ तो वैसे मैंने बताया है आबादी, क्षेत्र वगैरह।

यही मैं प्रस्तुत करता हूं, मुझे पूर्ण आशा है कि इनको स्वीकार किया जायगा।

श्री सभापति: रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मेरा भी एक कटौती प्रस्ताव विकास खण्डों के खोलने में पक्षपात-पूर्ण नीति बरतने के सम्बन्ध में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने देश का, अपने क्षेत्र का विकास नहीं चाहता हो, सभी अपने अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं पर विकास खण्ड खोलने का आधार होना चाहिये। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि क्षेत्र अच्छा हो, आबादी अच्छी हो, काम्पेक्ट हो, प्रजा को ज्यादा उत्सुकता विकास के लिये हो, वहां विकास खण्ड खोलने चाहिये। पर यहां उल्टा होता है, जहां लोगों की भावना विकास के लिये होती है, जहां के लोग विकास के लिये ज्यादा उत्सुकता दिखाते हैं वहां तो खोलते नहीं हैं और ये सब चीजें क्या छाया खण्ड, क्या विकास खण्ड सबको आज कल चुनाव का स्टंट बना रखा है। किसी भी पंचायत में सरपंच का चुनाव होता है तो वहां के लोगों को कहा जाता है कि हमारे फलां आदमी को वोट दो तो विकास खण्ड खोल देंगे, नहीं तो तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं होगा। अभी बनेठा में हुआ था तो टौंक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के चेअरमैन और ५०–६० आदमी वहां पर आये थे। उन्होंने वहां के लोगों को कहा कि विकास खण्ड तुम्हारे यहां कभी नहीं खुलेगा, हम चाहेंगे वहां खोलेंगे, जब तक कांग्रेस का केन्डीडेट जीत कर नहीं आयेगा तुम्हारे यहां से हाई स्कूल भी हटा दी जायेगी, तहसील भी हटा दी जायेगी। यहां तक नारे लगाये कि उनियारा और देवली की तहसीलें टूट रही हैं और वहां एक सब डिविजन बन रहा है, माधोपुर में मिल जायगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आप कांग्रेसी घोषित हो जाओ।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा तो क्या। मुझे कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो आदमी किसी तरह कांग्रेस के सिद्धान्तों को नहीं मानते, आमा सामी द्वेष

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

भावना रखते हैं, उन कांग्रेस वालों से मुझे शिकायत है, दूसरों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं। मैं विकास चाहता हूं, कांग्रेस भी विकास चाहती है, क्षेत्र विकसित हो। मैं तो यह कहता हूँ कि कहां तक ऐसा करेंगे ? मैं निवेदन करूं कि एक दफा मैं चुन कर आ गया, पांच वर्ष रहा। आज दिन लोग कह रहे हैं कि उनियारा के ठिकाने की ऐसी स्थिति बिगड़ गई है। जो बड़े नेता यहां से जाते हैं, स्टेज के ऊपर बैठते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि इस राज्य के अन्दर क्या नहीं था, जो आपने कर दिया। पहले जो स्कूल था, वही आज है ...

श्री सभापति : रावराजा को एम० एल० ए० बना दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जनता ने बनाया है। जो स्कूल पहले था, वही आज मौजूद है। जो पहले तहसील थी, वही आज है। आप देखिये इस समय के अन्दर ऐसी स्थिति हो रही है कि एक स्कूल चार मील साढ़े तीन फर्लांग के ऊपर है। लोग बाग कह रहे हैं कि यह हाई स्कूल टूट रहा है और हायर सेकन्डरी स्कूल अलीगढ़ में बन रहा है। वह भी मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी है, मैं उसका विरोध नहीं करता, शिक्षा का प्रचार हो और १७ स्कूल खोलें। पर मैं उनसे कहता हूँ कि इसके अन्दर होना चाहिए और विकास खंड और छाया खंड दोनों के अन्दर होने चाहिये। इसके साथ ही सेन्ट्रल प्लेस भी देखनी चाहिए। खैर, मैं तो आपसे कहता हूं मैं एक बार आ गया, दो बार आ गया, इस तरह आपकी विरोध की भावना होते हुए भी मैं तीसरी दफा आ गया तो क्या जो बांध बन रहा है, उसमें उनियारा को डुबो देंगे। मेरे साथ आप इस तरह करते हैं तो प्रजा के साथ आप क्यों करते हैं ? प्रजा को डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता दे रखी है कि जिस व्यक्ति को योग्य समझे, जिसको जिम्मेदार समझे उसको चुने। आप उसको जबरदस्ती कहते हो कि फलाने को लो, फलाने को लो, फलाना आदमी अच्छा है, फलाना आदमी अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि विदाउट पार्टी गवर्नमेंट रहनी चाहिए ...

एक माननीय सदस्य : 'फलाना' क्या है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : आज यह कहते जाते हैं, पंचायत में कहते जाते हैं कि पंचायत समिति में पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब पार्टी बेसिस पर नहीं लड़ रहे हैं तो मैं सजेशन देता हूं कि जो व्यक्ति लड़ें, उन दोनों को वहां रहने देना चाहिए, पार्टी को नहीं जाना चाहिए, इससे मालूम पड़ जायगा कि कौन आदमी योग्य है। जिसे जनता योग्य समझेगी वही व्यक्ति वहां से आयेगा...

श्री चन्दनमल वैद : अब नहीं जायेंगे....

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में दो तहसीलें हैं। एक उनियारा तहसील है, उसका हैडक्वार्टर चार मील दो फर्लांग पर बना रखा है। ये क्या पार्टी पॉलिटिक्स के बेसिस पर नहीं है ? यह कहते हैं कि साहब वहां मकान नहीं था, फलाना नहीं था। अगर मकान नहीं था तो दो वर्ष कैसे रहा....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : लैंड रेवेन्यू की डिमान्ड कल आयेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करता हूं कि छाया ब्लॉक खोले हैं, ये प्रोपेगन्डा के लिए खोले है। यह कहा जाता है यह छाया दूर हो जायगी, अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो। मेरे कहने का मतलब यह है कि मालपुरा उनियारा का उपजाऊ क्षेत्र है, उनियारा सेन्टर में है। मेरा निवेदन यह है कि यहां तक हो रहा है कि जो वहां म्युनीसिपैलिटी है, उसकी पोपूलेशन साढ़े चार के ऊपर है। वहां की म्युनीसिपैलिटी को भंग करके वहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर रखा है। यहां से पूछा गया कि तुम पंचायत चाहते हो या म्यूनीसिपैलिटी रखना चाहते हो। तो कौन जवाब दे? एडमिनिस्ट्रेटर आपका, सब बातें आपकी; उसने आपको जवाब दे दिया। उसके बाद प्रजा ने रिप्रेजेन्टेशन किया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। यह कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर ने कह दिया वह तो, जो आप करायेंगे, वही करेगा, आपका नौकर है। जब आपने क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया कि आठ हजार की पोपूलेशन के ऊपर म्यूनीसिपैलिटी रखेंगे और उसके नीचे पंचायत करेंगे, तो इस पर आपको चलना चाहिए। लेकिन आप कहते क्या है, करते क्या हैं, जाते कहां हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अब भी आज जो अप्रेल से ब्लॉक खोलने वाले हैं, मेरी धारणा है जिन दोनों क्षेत्रों से मैं एम० एल० ए० आया हूं, मेरे यहां आप शायद खोलेंगे नहीं। खोलेंगे कहां, देवली में, वहां से पंचायत समिति में एक वकील कांग्रेस से आ गया है, वहां जरूर खोलेंगे। हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो, वह अविकसित रहे और जो विकसित है, उसको और ज्यादा विकसित करेंगे। जहां विकास नहीं हुआ है, वहां ब्लॉक नहीं खोलेंगे। यह पॉलिसी ठीक नहीं है। इसका रिज़ल्ट अब प्रजा समझ गई है, वह समझ गई है कि हमारा जो फन्डामेंटल राइट है, उस पर कुठाराघात होता है, हम योग्य व्यक्ति को भेज नहीं सकते, इसलिये हमको तकलीफ दे रहे हैं और विकास खंड नहीं खोल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में विकास खंड खोलना चाहिए और जो उनियारा म्यूनीसिपैलिटी है उसको पंचायत में कन्वर्ट करना चाहिए....

श्री सभापति : यह कटौती का प्रस्ताव है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं निवेदन करूं कि पंचायत समिति का ऑफिस अलीगढ़ में है। नाम उनियारा तहसील है, हैडक्वाटर्स अलीगढ़ में है। आपको यह सेन्टर में रखना चाहिए, जिससे सब लोगों को सुविधा हो, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री सभापति : श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय चेयरमैन महोदय, कॉम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो बहस हो रही है, उसमें मैं महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। वैसे तो सरकार ने यह मान लिया है कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम, जिन लाइन्स पर देहातों में हो रहा है, उन्हीं लाइन्स पर थोड़ा बहुत कस्बों में भी शुरू किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार ने, जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी

(श्री चन्दनमल वैद)

ने बतलाया, इस काम के लिए एक कमेटी नियुक्त कर दी है, उस कमेटी की नियुक्ति हो गई है और वह काम सारे कस्बों में किसी न किसी रूप में शुरू किया जायगा । मैं समझता हूं इस वक्त इस बारे में सुझाव दिये जायं तो शायद मौजू होगा । मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान भी इससे कुछ एक्टिव हो जायगा । माननीय चेयरमैन महोदय, गांव में जो काम हो रहे हैं, उनसे हमें खुशी है, लेकिन साथ ही साथ कस्बों में रहने वाली जो जनता है, जो बहुतायात में है, जिसमें ग्रामीण भी हैं, शहरी भी हैं, कुछ मिक्स्ड जनता कस्बों में रहती है, उनके डेवेलपमेंट, उनकी तरक्की की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, यह जरूरी हो गया है । उन कस्बों में रहने वाली जनता जब देहातों की जनता को उन्नति के कार्य करते देखती है, तो वह सोचती है कि हमारी तरफ भी कभी सरकार का ध्यान जायगा और वैसी प्रवृत्ति चालू की जायगी जो देहातों में हो रही है । माननीय चेअरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि देहातों में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट से जो फायदा हो रहा है, उससे शहरों के, कस्बों के लोग भी फायदा उठाना चाहते हैं। मैं नम्रता से अर्ज करना चाहता हूं कि शहरों में, कस्बों में काफी ऐसी प्रोबलम्स हैं, जिन को वे लोग खुद सोल्व नहीं कर सकते। यह कह दिया जाय कि म्यूनीसिपल बोर्ड का कस्बे के लिये उत्तरदायित्व है कि वह कस्बे में सारे काम करे, तो अपना यह अनुभव है कि आज तक राजस्थान में जितने म्यूनीसिपल बोर्ड हैं, वे कस्बे में कॉम्युनिटी के काम करते में नाकामयाब रहे हैं। इसलिये यह जरूरी है कि चाहे म्यूनीसिपैलिटी को कर्ज देकर चाहे एड देकर, किसी न किसी रूप से उन्हें योग्य बना देना है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े होकर शहर में कामन इन्ट्रेस्ट के काम, कम्युनिटी के काम कर सकें । कस्बों की जनता ने जब यह देखा कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो उनको इस बात से बहुत नाराजगी है, उनको इससे तकलीफ नहीं है कि देहातों में कितने काम हो रहे हैं लेकिन वे चाहते हैं कि जो काम देहातों में हो रहे हैं, उससे ज्यादा हो, जिस तेजी से हो रहे हैं, उससे और तेजी के साथ हों, उसमें कोई बात नहीं है लेकिन जिस तरह आज कस्बों की उपेक्षा करते जा रहे हैं, इसी प्रकार आगे भी करते जायेंगे, तो जिस प्रकार शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं, उसी तरह आगे यह सोचना पड़ेगा कि ये शिड्यूल्ड टाउन्स हो गये हैं । इनकी काफी उपेक्षा कर चुके हैं इसलिये अब तेजी के साथ कदम बढ़ा कर इनको गांवों की जनता के समक्ष लाया जाय । इसके लिये सरकार ने कदम उठा लिया है, कम्युनिये के काम है, उनके लिये एड देकर, लोन देकर, सलाह देकर उन कामों को कराया जायगा, जिससे कस्बों की जनता भी कुछ अपने उन्नति के कार्य कर सके । मैं आपको बहुत से काम गिना सकता हूं, लेबर की प्रोब्लम है सारे टाउन्स में, इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोब्लव है, पब्लिक हैल्थ की प्रोबलम है, मेडिकल की प्रोबलम हैं,एज्युकेशन की प्रोबलम है, वाटर की प्रोबलम है ! ये ऐसी प्रोब्लम्स हैं, जिन्हें म्यूनीसिपैलिटी सोल्व नहीं कर पा रही है, किन्हीं चीजों के लिये सरकार भी एड

(श्री चन्दनमल वैद)

दे रही है, लेकिन जब तक जिस तरह देहातों में सहयोग की भावना भर कर, कम्युनिटी के काम करने को नहीं कहा जायगा, तब तक ये सारे काम होने वाले नहीं है। मान लीजिये कि आज हम अपनी सारी तहसील पंचायतों और छोटी छोटी पंचायतों को जिला लेवल पर बैठ कर सोचने के लिये कहें और वे सब एक साथ बैठ कर सोचें कि अपने अपने पंचायतों में क्या क्या विकास के कार्य किये जावें ? तो वे लोग यह देखेंगे कि एक तहसील में जो उनके पास है पंचायत ने क्या किया है और दूसरी में क्या हुआ है उसको देख कर दूसरे में जो काम कम हुआ है उसको पूरा करने के लिये कोशिश की जावेगी और वे ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे । इसके अलावा अगर किसी एक ने कोई गलती की है तो दूसरों के कार्य को देख कर वे अपनी गल्ती को सुधारेंगे और इससे आपस में सहयोग की भावना जरूर पैदा होगी। मगर आज हम देखते हैं कि एक दूसरे में सहयोग की भावना नहीं दिखाई देती है। मगर जब ऐसा होगा तो एक दूसरे की दिक्कत को देख कर, आपस में दिक्कतों को समझ कर काफी उन्नति कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक जिले में डिवीजनल लेबर पर म्युनिसिपल क्षेत्र माने और दूसरे में जिला परिषद बना दें, तो मैं यह कहूंगा कि वे लोग भी यह सोचेंगे कि हमारे कस्बे में क्या लेबर पोज़िशन है और हम उस प्रोब्लम को कैसे हल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहां पर बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो आधे शहरी हैं। वे लोग जब वर्षा होती है तो १० या १५ मील की दूरी पर जहां पर उनके खेत होते हैं वहां पर खेती करने के लिये चले जाते है और खेती करते हैं और बाद में जब खेती का काम समाप्त हो जाता है तो वे शहरों में वापिस आ जाते हैं। इस तरह से पब्लिक हैल्थ, वाटर वर्क्स आदि की समस्या है इसको वे आपस में बैठ कर सोच सकें और उनको समझ सकें और वे गवर्नमेंट से लोन लेकर अपने यहां सुधार कर सकें । एज्युकेशन के सम्बन्ध में प्राइमरी एज्युकेशन का प्रश्न हो सकता है। आज वे यह सोच सकते हैं कि प्राइमरी एज्युकेशन म्युनिसिपैलिटीज को क्यों नहीं दे दी जावे, मैं समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटी को दे दी जानी चाहिये मगर इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि उनको धन भी देना चाहिये जो हमने तहसील पंचायतों को दिया है ताकि वे सहयोग के रूप में अपना कार्य कर सकें।

आज एक मंत्री के लिये यह संभव नहीं है कि वह हर शहर में जाकर यह देखे कि आया वहां पर सड़कें बनीं या नहीं, स्कूल खोले गये या नहीं, वाटर वर्क्स में काम हो रहा है या नहीं। यह मंत्री के लिये संभव नहीं है यह तो वहां के लोगों के लिये ही देखने की चीज़ है कि कहां पर किस चीज की आवश्यकता है । इसके अलावा वे दूसरी जगहों की उन्नति को देखते हुए यह देखें कि हमारे यहां पर क्या कमी है और वह कमी पूरी होनी चाहिये। आस-पास के लोगों ने यह उन्नति कैसे की है। अगर उन्होंने दो हजार रुपया कन्ट्रीब्यूट किया है तो सरकार ने उनको इतना रुपया दिया है । इस प्रकार के सारे काम लोकल एजेन्सी के द्वारा पूरे हो सकते हैं।

इसके साथ साथ मैं सभापति महोदय,

(श्री चन्दनमल वैद)

यह भी अर्ज करूंगा कि जो प्रयोग अभी हमने देहातों में सस्ते इन्साफ देने का किया है और वह प्रयोग जैसा कि सारे देहाती लोग जानते हैं कि सफल रहा है और हम भी मानते हैं कि पंचायतों को जुडिशियल पॉवर दिये हैं और ये हमारे प्रयोग ज्यादातर सफल रहे तो कोई कारण नहीं कि हम इस प्रयोग को शहरों में भी प्रयोग करें। जब हमने पंचायतों को जुडिशियरी के अधिकार दिये और उससे हमारा जुडिशियरी का भार कम हुआ और देहातों में लोगों को सुविधा मिली तो यहां शहरों में भी मामूली मुकदमें जो हैं। जिनके लिये लोगों को वकील करके और स्टाम्प आदि से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, छोटे मोटे मामले जिस प्रकार के पंचायतों को सौंपे हैं वैसे यहां शहरों में किया जाना चाहिये जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल सकेगी। इसी तरह का डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन का ढांचा शहरों और कस्बों में भी लागू करना चाहिये और जो काम देहातों में करके आपने वहां आदर्श स्थापित किया है वही शहरों में करना चाहिये।

यह छोटी सी रूपरेखा मैंने आपके सामने रखी है। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि यह रूपरेखा जो मैंने आपके सामने रखी है बिल्कुल कम्पलीट इन इटसेल्फ है और प्रेक्टिकेबल है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इसके लिये एक्सपर्ट की कमेटी बिठावें मगर उनके सामने इस तरह की कम्पलीट पिक्चर होनी चाहिये और इस तरह की रूपरेखा बना कर सारा काम करना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर अवश्य सोचेंगे और ठोस कदम उठाने की कोशिश करेंगे।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है पंचायत समितियों को आर्थिक सहायता मिलती है उसके विषय पर बहस करने के लिये।

चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो अक्टूबर के पश्चात कॉम्युनिटि प्रोजेक्ट का काम हमने जनता के चुने हुए नुमाइन्दों के हाथ में दिया और इस दृष्टिकोण से दिया, यह मानते हुए कि जो पहले काम चलता था वह अधिकारियों के हाथ में चलता था उसमें जनता का सहयोग ज्यादा मिले और ज्यादा सहयोग मिल कर काम आगे बढ़े। इसी भावना से यह काम जनता के नुमाइन्दों के हाथ में दिया था और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इसके बाद हमें रिज़ल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं और विशेष कर शिक्षा के सम्बन्ध में बच्चों की प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की बहुत संख्या बढ़ी है और इसको देखते हुए सरकार की तरफ से जो कदम उठाना चाहिये वह यह कि उनको आर्थिक सहयोग ज्यादा मिले। इसी सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है।

माननीय सभापति महोदय, मैं २ अक्टूबर के बाद दो चार जिलों में घूमा और मेरा अनुभव हुआ कि हर एक पंचायत समिति में बच्चों के स्कूल्स में संख्या बढ़ी और मुझे यह भी जानकारी मिली कि टीचर्स के लिये जो फंड हैं वह लड़कों की बढ़ती हुई संख्या को पढ़ाने के लिये काफी नहीं है। वहां पर लड़कों को अच्छी तरह से पढ़ाने वाले मास्टर नहीं है। मैं एक इन्स्टेन्स आपको बताऊं कि जहां पर विकेन्द्रीकरण के पहले

(श्री मोतीलाल)

प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल के साथ था उसे विकेन्द्रीकरण होते ही हाई स्कूल बिल्डिंग से अलग कर दिया गया। इस बिल्डिंग को इसी गांव के लोगों ने बनाया था मगर क्योंकि पंचायत समिति में प्राइमरी स्कूल चले गये इस कारण से इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल ने हाई स्कूल की बिल्डिंग से उस प्राइमरी स्कूल को बाहर कर दिया। वहां के लोगों ने इसको प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल बनाया और उसके बाद में यह हाई स्कूल बना मगर हुआ यह कि वहां पर अब प्राइमरी स्कूल नहीं रहेगा, उसको हटा दिया। जबकि बिल्डिंग भी वहीं के लोगों ने बनाई। इतना ही नहीं चेअरमैन महोदय, ऐसे ऐसे नमूने मिले कि एक किसी प्राइमरी स्कूल में लड़कियों की स्कूल थी और वहां पर मास्टरनियें काम कर रही थी, मगर ठीक दो तारीख को मास्टरनियें हटा दी गई। इस प्रकार एक तरह से यह जनता को असुविधा आई। पंचायत समिति के पास पैसा नहीं कि वे वहां पर एक्स्ट्रा मास्टर रख सकें। उनके पास पैसा नहीं और न उनको सरकार की उन स्कूलों से फर्नीचर आदि ही मिला। मैं तो यहां तक कहूँगा कि उनको सहकारी स्कूलों से दरी तक नहीं मिली....

एक माननीय सदस्य : यह कहां पर हुआ ?

श्री मोतीलाल : यह लाडनू है, जायली है। एक दृष्टिकोण से....

एक माननीय सदस्य : प्राइमरी स्कूलों का ज़िक्र है।

श्री मोतीलाल : यह प्राइमरी स्कूलों का ही तो जिक्र है। इसके अलावा ब्लॉक्स में रोड बनी। पी. डब्ल्यू. डी. ने उनको टेक ओवर नहीं किया। इसलिए उनकी मरम्मत नहीं होती है। हमारे डीडवाने में जो रोड बनी है उसको म्युनिसिपैलिटी ने टेकअप नहीं किया और जब पूछते हैं कि क्यों नहीं लेते तो कोई जवाब नहीं और जब ऐसी स्थिति है तो वह रोड खत्म हो जावेगी और जनता का रुपया जो इन रोडों पर लगा है वह फालतू जावेगा। होगा यह कि ऑफिसर कहेंगे कि हमने यह पंचायत को सौंप दिया था इसलिये यह फेल हो गई। इसलिये ऐसी स्थिति है। ५ वर्षों में कभी भी पी डब्ल्यू. डी. ने मरम्मत कराने की कोशिश नहीं की। अधिकारी यह कहेंगे कि जिस समय यह ब्लॉक्स सरकार के हाथ में थे तो रोड्स की बराबर मरम्मत होती रहती थी और जब हमने जनता के साथ में यह पॉवर दिया है तो रोड साफ हो गई। इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने हैं। अतः मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जिन जिन स्कूलों में यह परिस्थिति है और विशेष रूप से फन्ड की वहां पर उनको फन्ड दिया जावे और रोड और बिल्डिग्ज को सुधारा जावे, जनता आधा कॉन्ट्रिब्यूशन देने को तैयार है। जनता कॉन्ट्रिब्युशन देने के लिए तैयार है। लेकिन आधा कॉन्ट्रिब्युशन जनता को मिले। पंचायत समितियों में वह भी नहीं है ! सी. डी. ब्लॉक में न तो कोई फन्ड है, वहां पर यदि मकानात हैं तो वे मिडिल स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूलों के लिए। प्राइमरी स्कूलों के लिये अब नहीं रहे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन ब्लॉक्स को पैसा देते हैं उसके लिए इस ओर ध्यान रखें।

(श्री मोतीलाल)

नये या पुराने ब्लॉक्स में सहायता देते हैं तो ब्लॉक्स के गांवों की जनसंख्या और वहां के एरिया ऑफ ओपरेशन को भी ध्यान में रखना चाहिये कि वे कितनी दूरी पर हैं। डीग से आये माननीय सदस्य ने कहा था कि इतनी दूरी है ब्लॉक की लेकिन खर्चा मिलता कम है। कल तहसीलों का मैंने वर्णन किया था। उन ब्लॉक्स की दूरी और जन संख्या को देखें तो वैसा ही उसका वर्णन मिलेगा। जब ब्लॉक्स बनाने की बात करते थे उस समय यह बात थी हमारे सामने राजस्थान का स्पष्ट नक्शा खिंच जावेगा और डिमार्केशन ऐसा हो जावेगा कि जिससे सहूलियतें अधिक होंगी, खर्चा भी कम होगा और विकास भी अधिक होगा। लेकिन यहां तो उल्टा ही मामला है। कहीं डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन ज्यादा है तो कहीं कम और उनमें कहीं एरिया ज्यादा तो कहीं पर कम। जहां डेन्सिटी ऑफ पापुलेशन है वहां पर एरिया छोटा है और डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन नहीं है लेकिन एरिया बड़ा है और कहीं ऐसा भी है कि एरिया बड़ा है और वहां डेन्सिटी ऑफ पापुलेशन भी है। जैसे बाड़मेर है वहां पापुलेशन भी बड़ी है और एरिया भी। एरिया बड़ा हो और जन संख्या कम हो तो यह भी माना जा सकता है। चूरू है, नागौर है, १०० फीट के नीचे पानी मिलता है जब कि कोटा में दस फीट नीचे ही पानी मिलता है। वास्तविक स्थिति यह है जैसा कोटा डिवीजन को ही ले लीजिये। माननीय सदस्य नाराज नहीं होंगे तो मैं सिर्फ उदारता के तौर पर ही यह कह रहा हूँ। कोटा डिवीज़न में अटरू तहसील को ले लीजिये। कोटा के साथ मेरी सिम्पैथी है। अटरू में एक ब्लॉक है जन संख्या ४७ हज़ार है और एरिया ३३८ स्क्वायर मील है। देसूरी की पोपूलेशन है १, २० हजार और एरिया में भी अटरू से तीन गुना अधिक है, ६०० स्क्वायर मील है। ऐसी स्थिति जहां है, यह हमारी समझ में नहीं आता।

श्री अनूपसिंह : ऑर्डिनरिली यह नहीं है।

श्री मोतीलाल : देसूरी के एक्चुअल फीगर्स मेरे पास हैं। ५७६ स्क्वायर मील है और पोपुलेशन १, २० हज़ार है।

श्री चन्दनमल बैद : तहसील वाइज़ ?

श्री मोतीलाल : ब्लॉक वाइज़। "एन. ई. एस." शैडो ब्लॉक्स।

पोपुलेशन और एरिया को देखते हुए ठीक तरह के ब्लॉक बनाने चाहिए जिससे कि खर्चा ठीक तरह से हो। यह खर्चा डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से है न कि एडमिनिस्ट्रेशन से। बहुत से ब्लॉक ४०—५० हज़ार की जन संख्या के नीचे हैं। आबू ब्लॉक है, जन संख्या २५ हज़ार है। एरिया ऑफ़ ओपरेशन है वह ३०५ स्क्वायर माइल्स हैं। दूसरा, मैं जोधपुर का बताऊं, पोपुलेशन ६१ हज़ार है एरिया १,६०० स्क्वायर माइल्स है। उसको कम्पेयर कीजिये अटरू आबू से। तीसरा नमूना देता हूं.....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०): माननीय सभापति महोदय, जन-संख्या के आधार पर आपने फरमाया कि ब्लॉक जन-संख्या के आधार पर ही दिये जावें।

(श्री हरिप्रसाद यादव)

कई तहसीलें ऐसी हैं कि जहां पर १।। लाख की कमाई नहीं तो वहां उत्पादन नहीं होता और कई तहसीलें ऐसी हैं जहां उत्पादन ज्यादा होता है, सरकार को आमदनी भी ज्यादा मिलती है चाहे उनका एरिया छोटा हो। जन–संख्या का जो आधार रखा गया है उसको आधारभूत नहीं माना जाय।

श्री मोतीलाल : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं मेरे साथी को यह जानकारी दूँ कि रेवेन्यू कलेक्शन जयपुर से अधिक होता है, पहला नम्बर है और दूसरा नम्बर आता है नागौर का। कोटा की रेवेन्यू कम है ! बारानी की रेट चार आना और आठ आना है, जब कि नागौर में ।।।) है।

श्री चन्दनमल वैद : लैंड रेवेन्यू तो कल डिस्कस करेंगे।

श्री रामचन्द्र : कोटा में १ बीघा १३ बिस्वा माना गया है।

श्री हरिप्रसाद यादव : ७ लाख रुपया इन्कम मिलती है सरकार को टैक्स से।

श्री मोतीलाल : माननीय सदस्य का जब मौका आवेगा वे जितना कहना चाहें कहें। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप पांच मिनिट में भाषण समाप्त करेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : मुझे डिस्टर्ब किया गया है।

श्री सभापति : आप डिस्टर्ब्ड क्यों होते हैं ?

श्री मोतीलाल : मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा डेवेलपमेंट का जो वर्क है वह बिलकुल स्पष्ट होना चाहिये। राजस्थान का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि सारे राजस्थान के लिये यह नहीं सोचेंगे तो कहां से यह होगा ? मैं निवेदन इसलिए कर रहा था कि मैं कोटा में गया था कोटा डिविज़न में बारां है ६४ हजार पोपुलेशन है और एरिया ऑफ ओपरेशन है २०० स्क्वायर माइल, शाहबाद की पापुलेशन है ६६ हज़ार और एरिया है १२०० स्क्वायर माइल्स। ब्लॉक बनाते समय तहसीलों को ध्यान में नहीं रखा गया था। राजस्थान की तहसीलें २१२ हैं जब कि ब्लॉक्स ३३२ हैं। मैं आपके कथन पर आपत्ति नहीं कर रहा था, किन्तु मैं तो राजस्थान की एक पिक्चर दे रहा था। यह इस दृष्टि से था कि जहां भी हम रहें उसी को दृष्टिगत न रखते हुए सारे राजस्थान के दृष्टिकोण से इसको देखें, जिससे सारे राजस्थान का विकास भलीभांति हो सके।

श्री रामचन्द्र (डग मु०) : कोटा का मुकाबला किया है, क्या कभी कोटा देखा भी है।

श्री सभापति : कोटा के नहीं हैं।

(घंटी)

श्री मोतीलाल : मैं चाहता नहीं था कि व्यक्तिगत रूप में आऊं, लेकिन मैं बताऊं कि मैंने कोटा में जमीन ले ली है

(श्री मोतीलाल)

और मैं वहां का टिनेन्ट भी हूं। जितना रामचन्द्रजी ने कोटा नहीं देखा है मैं उतना वहां गया हूं, असेम्बली बनने से पूर्व कोटा मैं गया था।

श्री दलीपसिंह : लैंडलोर्ड हैं।

श्री मोतीलाल : लैंडलोर्ड नहीं हूँ।

अब कम्युनिटि डेवलपमेंट की ओर से ये बुकलेट्स निकलती हैं कि हमने इतना काम कर दिया, इतना कर दिया, उतना कर दिया। काम तो होता है लेकिन फीगर्स को करेक्ट रूप में दें और जो भी वर्क हुआ है उसको सही रूप में अंकित करें तभी गवर्नमेंट के सामने सही नक्शा रह सकता है कि कितना डेवलपमेंट वास्तव में हुआ है और क्या आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण दूँगा।

श्री सभापति : अब समय नहीं रहा।

(घंटी)

श्री मोतीलाल : एडल्ट एज्युकेशन के लिये बताया गया कि इतने सेन्टर्स खोल दिये और एक एक साल में ५५ हज़ार ६० हज़ार बिना पढ़े लिखे आदमियों को पढ़ा दिया। अगर इन फीगर्स को हम मिलते हैं तो अब तक हमारे राजस्थान में १० लाख आदमी पढ़े-लिखे हो जाने चाहिये थे इस तरह से। मैं चैलेन्ज नहीं करता हूं लेकिन फिर भी मैं समझता हूं और कहूँगा कि ये फीगर्स गलत फीगर्स हैं। इस तरह से आंकड़े दिये गये हैं। इतना कम्पोस्ट दिया, इतना फर्टीलाइज़र दिया, चित्र और आंकड़े सही नहीं हैं। इसलिए करेक्ट फ़ीगर्स होने चाहिए। आखिर मैं अर्ज करूंगा कि विकेन्द्रीकरण के बाद विकास खंड रहने चाहिये, उन्नति होती है तो खत्म नहीं होनी चाहिये। एनीमल हस्बेन्ड्री में उन्नति हुई है। पंचायत की इनकम तोड़ी नहीं जानी चाहिये।

पंचायत महकमा रहना चाहिये। पंचायत सम्बन्धी प्रोग्राम हों, विकेन्द्रीकरण आदि की जो स्कीमें हों, वे बिना इस विभाग के काफ़ी डेवलप्ड नहीं होंगी। इसलिये यह महकमा रहना चाहिये इस बारे में दृष्टिकोण साफ़ होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए वे आगे कदम रखेंगे इससे हमने जो पंचायत समितियों का गठन किया है उसका सही लाभ जनता को हो सके।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक १८ मार्च, १९६०, के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ५ बज कर २ मिनट पर, कल दिनांक, १८ मार्च, १९६० के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १७ मार्च, १९६०)

स्कम्भ   स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

कोटपुतली डिस्पेन्सरी में बैड्स, दवाइयों एवं ऑपरेशन के औजारों आदि की उपयुक्त व्यवस्था।

चलते-फिरते औषधालय के पशु-पालन अधिकारी, बीकानेर, के विरूद्ध शिकायत।

माही नदी पर कड़ाना प्रोजेक्ट।

एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्जेज़ में रजिस्टर्ड उम्मीदवार।

झालावाड़ जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हुआ सर्वेक्षण कार्य।

देसूरी व बाली तहसीलों को सिविल जज कोर्ट, पाली, के क्षेत्र में रखने के सम्बन्ध में।

जिला बोर्ड, जयपुर, के हटाये हुए अध्यापकों की फिर से नियुक्ति।

गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा।

सहकारी भूमि बंधक बैंक।

थाना, नीम का थाना के हथियारों

३१४८ का निरीक्षण।

बीकानेर मेडिकल कॉलेज का निर्माण-कार्य।

जयपुर शहर में शराब के ठेके की दुकानें।

आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत आये जिला बोर्ड के अधीनस्थ वैद्यों आदि को बकाया वेतन की अदायगी।

तहसील देवली की दीवानी, फौजदारी का ताल्लुक अदालत टोंक से स्थापित करना।

राजस्थान दुकान-वाणिज्य संस्थान अधिनियम का साग-सब्जी के विक्रेताओं पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्व कृषि प्रदर्शनी दिल्ली में राजस्थान पेविलियन में दिवाल से एक पेड़ का आधा हिस्सा लगाकर उसके पत्ते लगाने का ठेका।

जयपुर शहर के बस स्टेन्ड।

सिरोही जिले में हुई डकैतियां।

जोरपुरा पंचायत का क्षेत्र।

स्कम्भ

अरबन क्षेत्रों में हरिजन सुधार की योजनाएं ।

सहकारिता विभाग के एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स ।

आय-व्ययक, १९६०-६१

अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा ३२१२

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया । २५ और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । ५६ कटौती प्रस्ताव मुख्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् वापस ले लिये गये तथा वे अस्वीकृत हुए ।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३-ख-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि ३३१८

उपरोक्त मांग श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित की गई । इस मांग पर आज १६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

शुक्रवार, दिनांक १८ मार्च, १९६०. की कार्य-सूची

सामुदायिक परियोजनाओं आदि एवं भू-राजस्व की अनुदानों की मांगों पर मत-दान ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ का उत्तर देखिये)

राजस्थान के विभिन्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों के २९-२-६० को पाए गए चालू रजिस्टर पर दर्ज नामों की संख्या जिनको एक दफा भी इन्टरव्यू के लिये नहीं भेजा गया, जिनका नाम एक वर्ष से अधिक समय से रजिस्टर्ड है।

एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज	२९-२-६० को चालू रजिस्टर पर दर्ज नामों वाले व्यक्तियों की संख्या जिनको एक दफा भी इन्टरव्यू के लिये नहीं भेजा गया।	चालू रजिस्टर पर दर्ज नामों वाले व्यक्तियों की संख्या जिनका नाम एक वर्ष से अधिक समय से चालू रजिस्टर पर है।
अजमेर	२४६३	६९५
अलवर	१४५१	१७९
भरतपुर	१४७२	२९३
भीलवाड़ा	६१७	३
बीकानेर	११७५	८५
जयपुर	६१५४	१२४१
जोधपुर	२४९६	२१८
कोटा	११२८	१
पाली	२२२	१८
सवाई माधोपुर	७९३	२६४
सिरोही	२३८	२३
श्री गंगानगर	४९५	१४
टौंक	२७६	०
उदयपुर	१७९०	२२१
जोड़	२०७७०	३२५५

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४३ का उत्तर देखिये)

॥ सूची ॥

नं० नाम व्यक्ति जिनकी भूमि अवाप्त की गई।	अवाप्त कब की गई	रकबा
१. श्री कल्याण वल्द भैरूमाली श्री नेमीचन्द वल्द कन्हैयालाल महाजन	यह भूमि सन् १९४६ में मेवाड़ सरकार के समय में अवाप्त की गई थी।	१।)३ १)१
२. श्री कल्याण वल्द भैरूमोहन वल्द कल्याण-गुलाब-प्यारा, श्री किशन गोकरा वल्द ओंकारमाली	,, ,,	)३
३. श्री कल्याण वल्द भैरूमोहन वल्द कल्याण माली	,, ,,	५।)२
४. श्री काना वल्द जवाना माली श्री नेमीचन्द कन्हैयालाल	,, ,,	१।।)३
५. श्री मथुरालाल वल्द चौथमल महाजन	,, ,,	।।।)४
६. श्री काना वल्द जवाना, कल्याण वल्द भैरू माली	,, ,,	)१
७. श्री गोकल वल्द ऊंकार माली	,, ,,	।।)१
८. श्री गंगाराम रामसुख पिता श्रीराम माली काना वल्द जवाना, मांगिया वल्द दला कल्याण वल्द भैरू माली	,, ,,	।)४
९. श्री गंगाराम, रामसुख पिता श्रीराम माली	,, ,,	६)३

१	२	३		४
१०.	श्री गुलाब प्यारा पिता श्री किशन माली	,,	,,	२॥)३
११.	श्री बालू वल्द मांगिया दला माली,नेमीचन्द कन्हैयालाल पिता चान्दमल महाजन	,,	,,	१।)१
१२.	श्री हरिवल्लभ, वल्द हजारी महाजन	,,	,,	३।)३
१३.	श्री गिरधारी वल्द श्री सुराम ब्राह्मण	,,	,,	३।)२
१४.	श्री रामसुख वल्द गोकल-लाल, कन्हैयालाल वल्द पन्नालाल महाजन	,,	,,	२।)२
१५.	श्री रूपचन्द इन्दरमल पिता अणदीराम महाजन राम-लाल मथुरा सोमानी	,,	,,	२।)२
१६.	श्री बालूलाल वल्द फूलचन्द महाजन जोजे सोहनसिंह राजपूत	,,	,,	३)२
१७.	श्री फतेराम वल्द रामनाथ महाजन	,,	,,	)२ ४।।।)२
१८.	श्री घूकल वल्द लछमन, मदनलाल वल्द रामसुख ब्राह्मण	,,	,,	१)३
१९.	श्री चुन्नीलाल वल्द बद्री-लाल बच्छ	,,	,,	।)२
२०.	श्री भैरूमोहन पिता कजोड़ कुम्हार			६।)४

१ २	३	४
२१. श्री भैरूमोहन पिता कजोड़ हरिबल्लभ वल्द हजारी गिर-धारी वल्द धुलीराम	,, ,,	।)
२२. श्री रामलाल नानूराम पिता काशीराम महाजन	,, ,,	।।।)
२३. श्री बिलानाम रास्ता	,, ,,	१।।।)
		५३।)२

————

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ का उत्तर देखिये)

FP/WAF/1959/17 Camp: Bikaner House, New Delhi.
Dated the 26th of Nov., 1959.

M/s. Artifacts,
Decorators and Advertisers,
Bhown House, Haldiya Street,
Jaipur.

Camp: New Delhi.

Dear Sir,

Your quotation for depicting a typical villages scene in 3 dimensions on the outer wall (about 110 ft X 14 ft) of the Community Development Hall of the Rajasthan Pavilion at the World Agriculture Fair is hereby approved. A detailed sketch may kindly be got approved in advance.

The work may be finished by the 8th of December positively, failing to do which you will be liable to pay such damages to the Government as determined by the undersigned.

Yours faithfully,

Sd/-M. D. Jain,

Asstt., Director,

For Director of Public Relations.

Received and accepted.
Sd/-Mangal Singh.
26. 11. 59

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३८ का उत्तर देखिये)

STATE MENT SOHWING THE EXPENDITURE OF MINOR IRRIGATION WORK IN JHALAWAR DISTRICTS

S. No	Name of Work.	Amount of Sanctioned Estimate.	1955-56 Bud. Estt.	1955-56 Expdt.	1956-57 Bud. Estt.	1956-57 Expdt.	1957-58 Bud. Estt.	1957-58 Expdt.	1958-59 Bud. Estt.	1958-59 Expdt.	1959-60 Bud. Estt.	1959-60 Expdt.	Remarks.
1.	Cenatg. Make Sarne Irrig. Proj Teh. Pach Pahar Dist. Jhalawar Wstt. 80 of 55-56.	28,360/-	4,13,400 Lump-sum provision.	8,719/-	13,000/-	11,047/-	340/-	514/-	16,000/-	14,636/-	3,750/-	2,750/-	
2.	Raising and extending Bilsara Tank Tehr. Khanpur Dist. Jhalawar Estt. 80 of 55-56.	34,090/-	—		1,450/-	2,689/-	1,050/-	750/-	2,0000/-	—	250/-	—	

———

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १७ मार्च, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३१४८	अन्तिम से ४	ए ।	एवं
३१५०	४	ओर इस	और इस
३१५०	२२	कार्टपूताली	कोटपूतली
३१५१	प्रथम	मौहूद थे	मौजूद थे
३१५३	प्रथम	उाठया है	उठाया है
३१५९	६	(श्री चद्रीप्रसाट	(श्री बद्रीप्रसाद
३१६०	१०	संलगन तालिका	संलग्न तालिका
३१६३	१८	ता उनका	तो उनका
३१७१	शीर्ष	तरांकित	तारांकित
३१८८	१४	सामने स्थाई ।	सामने (स्थाई)
३१९५	४	नहीं रए गया।	नहीं रखा गया।
३२०३	४	वे पास्ट्स	वे पोस्ट्स
३२०४	८	की एप्रवल	की एप्रूवल
३२१३	शीर्ष	१५ म	मांग संख्या १५ [३२१३
३२१८	१५	आपने यइ	आपने यह
३२१९	९	मैं बड़ा भाग्यशाली रहूंगा	है। मैं बड़ा भाग्यशाली रहूंगा कि
,,	१०	हो यह	हो मैं यह
३२२०	अन्तिम से ७	स्थिति मैं	स्थिति में मैं
३२२१	२६	ालये मैं	लिए मैं
३२२३	शीर्ष	शिक्षा	१५-शिक्षा
३२३२-३३	शीर्ष	-१७ माच	-१७ मार्च
३२४१	२	स्कूल क	स्कूल की
३२४४	५-६	डि-सेटिसफेक्शन	डिस्सेटिस्फेशन
,,	८	कुछ मिंसग है	कुछ मिसिंग है।
३२४५	६	हो सकता	सरकार का हो सकता
,,	७	को उन्होंने	लेक्चरार्स की ग्रेड को उन्होंने
३२५२	शीर्ष	श्री दयाकृष्णा	श्री दयाकृष्ण विजय
३२५९	९	for pri^ate	for private
३२६६	२६	VsQuanttiy	Vs Quntity

१	२	३	४
३२७६	११	विरोध रहा	में विरोध रहा
३२८६	२१	सब का	सब की
३२८८	३	उयपुर और	उदयपुर और
३२८६	६	फाइर इयर	फाइव इयर
३२६०	२५	र्थी ईयर्स	थ्री ईयर्स
३२६४	प्रथम	कहां कि जानेचा हिए।	कहा कि जाने चाहिये।
,,	२२	का कि हायर	का एक हायर
३२६५	११	मैं आ चुका	में आ चुका
,,	२६	कि मेरा	कि मेरी
३२६६	२२-२३	मैरे	मेरे
,,		की तरक से	की तरफ से
३३०४	८	समभाव	समभाव
	अन्तिम से२	छेड़ कर	छोड़ कर
३३०६	२६	खच करें	खर्च करें
३३०६	२०	सुखड़िया	सुखाड़िया
३३११	अन्तिम से४	मेजर श्रीफतसिंह	मेजर श्री फतहसिंह
३३१३	,, ३	बाजा,	बाजार,
३३१४	६	(सरदार शहर)	(सरदार शहर)
,,	२०	डॉ० चन्दकला	डॉ० चन्द्रकला
३३१६	१५	प्रस्तुत करेंगे	प्रस्ताव करेंगे
३३२१	२१	,, ,,	,, ,,
३३२४	६-७	नइ होगी	नहीं होगी
३३२५	अन्तिम से३	ता रख	तो रख
३३२६	,, ,, २	म्युनिसिपैलिटा	म्युनिसिपैलिटी
३३२७	१०	का	को
३३३०	१८	का ले लिया	को ले लिया
३३३१	१५	समय तेबनी	समय से बनी
३३३२-३३	शीर्ष	-१७ माच	-१७ मार्च
३३३२	अन्तिम से २	के ।नागरिकों	के नागरिकों
३३३५	२३	ब्लॉक्सदिये	ब्लॉक्स दिये
३३४०	२	एन अबन	एन अर्बन
३३४२	अन्तिम से ६	श्रीमती गंगादेवी (डाटा)	श्रीमती गंगादेवी डाटा
३३४७	,, ,, ४	चाहे ध्यान	चाहे आप ध्यान

(३)

१	२	३	४
३३५२	१२	रहो है	रही है
३३५४	३	हेतु	हेतु
३३५५	१३	चतुर्वेदी	चतुर्वेदी
३३५६	१८	विचा कर	विचार कर
३३५६	११	गवर्मर्मेमेंट	गवर्नमेंट
३२६१	शीर्ष	हरियजोंनाएं	परियोजनाएं
३३७५	शीर्ष	सामुदायिक	सामुदायिक